खण्ड-231, अंक-4
सोमवार, 7 ज्येष्ठ, शक संवत् 1884
(28 मई, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 231 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	३०३–३०७
प्रश्नोत्तर	३०७–३३१
प्रश्नों के स्थगन तथा उत्तर न मिलने पर आपत्ति	३३१–३३३
नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति के अधीन प्रख्यापित नियमावली (उपस्थापित की गई)	३३३
मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं (अनुज्ञा नहीं दी गई)	३३३–३३६
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	३३६–३३९
विधान मण्डल पुस्तकालय परामर्शदात्री, नियम तथा याचिका समितियों के सदस्यों के नामों की घोषणा	३३९–३४१
भावी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सूचना	३४१–३४२
श्री अध्यक्ष को अध्यक्ष पद से हटाने का प्रस्ताव (सदन द्वारा प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	३४२–३४९
१९६२–६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान— अनुदान संख्या २८—सूचना निदेशालय (स्वीकृत)	३४९
अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी (स्वीकृत)	३४९
अनुदान संख्या १७—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप (जारी)	३५०
अनुदान संख्या २६—नियोजन और एकीकरण (जारी)	३५०–३७६
विभिन्न समितियों के सदस्यों के निर्वाचन के लिये नाम वापसी की तिथि में परिवर्तन की सूचना	३७६
१९६२–६३ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान— अनुदान संख्या २६—नियोजन और एकीकरण (स्वीकृत) ..	३७६–३८७
अनुदान संख्या १७—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप (स्वीकृत) ..	३८७
नत्थियां	३८८–४०३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २८ मई, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६३

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, श्री राजा
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीनाथबहादुर, श्री
काशीप्रसाद, द्विवेदी श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
किसुना, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगासिंह, श्री
गणेशचन्द, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री

गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद, श्री
जगन्नाथ, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट झिल्लू, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (मुरादाबाद)
नरेन्द्रसिंह, श्री (पिठौरागढ़)
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खां, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचम, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पतीराम, श्री
पितई, श्री
पीतमसिंह, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री

बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बैचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास य दवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजर, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, यादव, श्री
राधेश्याम, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री
रामआवध, श्री

रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री (फतेहपुर)
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र बिकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामायण, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, श्री राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ, श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल, कुंवर
श्रीराम, श्री (उन्नाव)
श्रीराम, श्री (बिजनौर)
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह, यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द शर्मा, श्री
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री

सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह तथा वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २८ मई, १९६२

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

कानपुर में मरे रेलवे क्रासिंग पर ऊपरी पुल बनाने का विचार

१--श्रीमती सुशीला रोहतगी** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को यह पता है कि कानपुर में मरे (Murray) रेलवे क्रासिंग पर घंटों बसों, मोटरों, रिक्शों और टांगों को रोजाना अनेक दफे रुकना पड़ता है जब रेलवे का फाटक रेलगाड़ियों के आने-जाने से बन्द रहता है ? क्या सरकार उपर्युक्त स्थान पर ऊपर से पुल बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)--जी हां, यहां पर पुल बनाने के संबंध में स्थानीय नगर महापालिका अभी इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि ऊपर का पुल (Over bridge) बनाया जाय या नीचे का पुल (Sub way) बनाया जाय। इस प्रश्न पर निर्णय हो जाने के पश्चात् पुल बनाने का कार्य केन्द्रीय सरकार के रेलवे विभाग द्वारा आरम्भ किया जायगा।

२--श्रीमती सुशीला रोहतगी** (अनुपस्थित)--क्या सरकार ने इस संबंध में अभी तक केन्द्रीय सरकार से भी कोई लिखी-पढ़ी या बातचीत की है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--राज्य के प्रमुख नगरों में विभिन्न स्थानों पर वर्तमान लेवेल क्रासिंग (Level crossing) के स्थान पर ऊपर का पुल (over bridge) बनाने के विषय में केन्द्रीय सरकार से सामान्यरूप से पत्र-व्यवहार हुआ है। केन्द्रीय सरकार इस शर्त पर पुल बनाने को तैयार हो गई है कि स्थानीय निकाय पुल के दोनों तरफ पहुंचने के रास्ते (Approaches) स्वयं अपने खर्च से बनाये।

[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर श्री कमलासिंह यादव का २५ मई, १९६२ का स्थगित तारांकित प्रश्न २]

तारांकित प्रश्न

गाजीपुर और वाराणसी जिलों की धूरधारा

*२--**श्री कमलासिंह यादव** (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार ने कोई demarcation line गाजीपुर और वाराणसी जिले के लिये तय करने के लिये कोई कदम बढ़ाया है ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---जी नहीं, इन दो जिलों के बीच गोमती नदी की धूरधारा ही सीमा निर्धारित करती है। इस कारण कोई सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

आजमगढ़ जेल में छः मास से अधिक समय के हवालाती

*१---**श्री दौलतलाल** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जेल में कितने हवालाती ६ माह से अधिक समय से हवालात में बन्द हैं ?

कारागार राज्य मंत्री (श्री गोविंदसहाय)---केवल एक हवालाती।

*२---**श्री दौलतलाल** (अनुपस्थित)---क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जेल में जो हवालाती ६ माह से अधिक से हवालात में बन्द हैं, वह किन-किन अपराधों में बन्द हैं ?

श्री गोविंदसहाय---इस समय वह भारतीय दण्ड विधान की धारा ४५७/४११ के अन्तर्गत बन्द हैं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

सुहेलवा फारेस्ट से माफीदारों को लकड़ी

*१---**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह** (जिला गोंडा) (अनुपस्थित) तथा **श्री मुन्नूसिंह** (जिला बहराइच)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले के सुहेलवा फारेस्ट में माफीदारों को जो लकड़ी दी जाती है, वह कब तक दी जावेगी ?

वन मंत्री (श्री अलगूराय शास्त्री)---सुहेलवा फारेस्ट (जिला बहराइच) में माफीदारों को जो लकड़ी दी जाती है वह इसी महीने (मई) में दिये जाने की आशा है।

[२८ मई, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

लखनऊ व इलाहाबाद महापालिकाओं का निर्धारित समय में बजट न पास होना

*१---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलायेंगे कि प्रदेश के किन महापालिकाओं ने ३१ मार्च, १९६२ तक अपना सालाना बजट पास करके सरकार के पास भेजा है तथा किन-किन महापालिकाओं ने नहीं ?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा-सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)---कानपुर, वाराणसी तथा आगरा नगर महापालिकाओं का वर्ष १९६२-६३ का आय-व्ययक दिनांक ३१-३-६२ के अन्दर पास हो गया था और सरकार को यथासमय प्राप्त हो चुका है। परन्तु लखनऊ तथा इलाहाबाद नगर महापालिकाओं का बजट ३१-३-६२ तक पारित नहीं हुआ था।

*२---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या यह सही है कि इलाहाबाद महापालिका ने ३१ मार्च, १९६२ तक अपना बजट महापालिका में पेश नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---जी हां, गत सामान्य चुनाव (General Elections) में इलाहाबाद महापालिका की कार्यकारिणी समिति के कुछ सदस्य व्यस्त थे, इसलिये १९६२-६३ का आय-व्ययक ३१ मार्च, १९६२ तक महापालिका के समक्ष नहीं प्रस्तुत किया जा सका।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन महापालिकाओं ने बजट समय से पास नहीं किया है उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---१९५९ के ऐक्ट की धारा १४६(३) के अनुसार ऐसा नियम था कि महापालिकाओं को अपने निर्धारित समय में बजट पास कर लेना चाहिये किन्तु इसके साथ-साथ यह भी प्रतिबन्ध था कि १० जनवरी तक मुख्य नगर अधिकारी अनुमानित बजट प्रस्तुत कर दे कार्यकारिणी के समक्ष और १५ फरवरी तक कार्यकारिणी पारित कर दे और महापालिका में भेज दे । इसलिये लखनऊ और इलाहाबाद का महापालिका में पास नहीं हुआ किन्तु कार्यकारिणी लखनऊ ने समय के अन्दर पास कर दिया और इलाहाबाद के मुख्य नगर अधिकारी ने समय के अन्दर अपना तखमीना बजट बना दिया । इसलिये कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन महापालिकाओं ने और विशेषकर इलाहाबाद ने बजट अभी तक पास नहीं किया है, सरकार इस बात की जांच करायेगी कि अभी तक क्यों नहीं पास हुआ ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---अभी माननीय सदस्य से मैंने कहा कि यह प्रतिबन्ध है धारा १४६ की उपधारा (१) के अन्तर्गत कि यदि महापालिका ने बजट नहीं पास किया तो मुख्य नगर अधिकारी का अनुमानित बजट तब तक नये वर्ष में लागू होगा जब तक नगर महापालिका अपनी कोई अगली कार्यवाही न करे ।

*३---**श्री शराफत हुसैन रिजवी** (जिला मुरादाबाद)---[७वें गुरुवार के लिये प्रश्न १३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

अध्यक्ष, झांसी नगरपालिका के विरुद्ध आरोपों की जांच रिपोर्ट पर विचार

*४---**श्री लखपतराम शर्मा** (जिला झांसी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध लगभग ८० आदमियों को जिला बोर्ड तथा जिलाधीश व कमिश्नर की स्वीकृति के नौकर रखने व हजारों रुपया उन्हें दे देने की शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---जी हां, उस शिकायत पर जिलाधीश झांसी से एक आख्या मंगाई गई, जो शासन के विचाराधीन है ।

श्री लखपतराम शर्मा---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो ये ८० आदमी अवैधानिक रूप से नौकर रखे गये हैं इस पर कब तक निर्णय सरकार दे देगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---जिस समय यह शिकायत आई उसी समय जिलाधीश, झांसी से शासन ने इस बात की जानकारी की और १७ जनवरी, सन् १९६२ को जिलाधीश, झांसी का उत्तर प्राप्त हुआ था । अब शासन विभाग से कानूनी सलाह ले रहा है और जैसे ही सलाह प्राप्त हो जायगी, उचित कार्यवाही की जायगी ।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)---जो शिकायतें हैं उनमें मुख्य-मुख्य क्या हैं, जिनकी जांच हो रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---शिकायतों की सूची बहुत लम्बी है । यदि आप आज्ञा दें, तो पढ़ दूं ।

श्री अध्यक्ष---दो-चार मुख्य-मुख्य बतला दीजिये ।

श्रीमती तारा अग्रवाल---नजूल क्लर्क, क्लर्क, चपरासी, बिल क्लर्क आदि के बारे में शिकायतें हैं और इसी प्रकार की अनेक शिकायतें हैं जिनके बारे में जिलाधीश से मालूम करने पर पता चला कि ११ का अप्वाइन्टमेन्ट बोर्ड ने मंजूर कर लिया है। एक दो शिकायतें हैं अध्यक्ष के खिलाफ, जिन पर कार्यवाही करने के लिये शासन कानूनी विभाग से मशविरा कर रहा है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---इस बात को देखते हुये कि झांसी नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध इस सदन में भी कई बार प्रश्न उठाया गया और उनके विरुद्ध तमाम गंभीर आरोप पैसे के दुरुपयोग के, अपने रिश्तेदारों को नौकरी देने और पद के दु पयोग के लगाये गये है, तो इन आरोपों की जांच के लिये क्या सरकार उनको मुअत्तल करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---मैं समझती हूं कि शासन के पास जो शिकायतें आयी हैं और जो जांच हो रही है उस पर शीघ्र ही निर्णय किया जायगा और उसके पहिले इस प्रकार की कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री लखपतराम शर्मा---जिन ८० आदमियों को रखा गया है उसके अतिरिक्त ऐसी भी शिकायतें है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को इंस्पेक्टर आदि के पद पर तरक्की दे दी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---कुछ है तो अवश्य।

*५-६---**श्री गिरधारीलाल** (जिला वाराणसी)---[६ वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

धौरहरा क्षेत्र में नलों पर व्यय

*७---**श्री तेजनारायण** (जिला खीरी)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि धौरहरा असेम्बली क्षेत्र, जिला खीरी में L. S. G. E. D. द्वारा कितने नल, किन-किन स्थानों में लगाये गये थे, उक्त नलों का ठेका कितने रुपये का हुआ और सरकार को एक नल की औसत कीमत कितनी देनी पड़ी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा धौरहरा असेम्बली क्षेत्र, जिला खीरी में ७७ नल, ३६ स्थानों में सन् १९५६-५७ में लगाये गये। स्थानों की सूची संलग्न है।

(अ) इन नलों के ३ ठेके जो कि प्रत्येक ७,५०० रु० का था, सरकार को एक नल की औसत कीमत ३०० रु० देनी पड़ी।

(देखिये नत्थो 'क' आगे पृष्ठ ३८८ पर)

*८---**श्री तेजनारायण**---उक्त प्रत्येक नल में कितना पाइप डाला गया तथा उक्त कितने नल पानी देते हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---प्रत्येक नल में लगभग ४१ फीट पाइप डाला गया। नल बन जाने के पश्चात् उन्हें ग्राम सभाओं को हस्तांतरित कर दिया गया था और वही इनका रख-रखाव कर रही है। इस समय इन नलों में से कितने पानी देते हैं, इसकी सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

श्री तेजनारायण---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि नलों के लगाने में सरकार ने क्या क्रम निश्चित किया था तथा इसके पीछे सरकार का क्या उद्देश्य था ?

श्री अध्यक्ष---क्रम और उद्देश्य से आपका मतलब क्या है, साफ कर दीजिये।

श्री तेजनारायण---मैंने यह जानकारी की थी कि किन-किन स्थानों में यह नल लगाये गये थे। मैं यह जानना चाहता हूं कि वे किस क्रम में लगाये गये यानी कि प्राथमिकता किस आधार पर दी गयी, कोई आबादी के आधार पर दी गयी या कोई और आधार था ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में जल कल योजना के अन्तर्गत पूरे प्रदेश के लिये १ लाख रुपया रखा गया था जिसमें ३० हजार रुपया लखीमपुर-खीरी के लिये था। इस संबंध में मुख्य अभियंता को यह कार्य सौंप दिया गया था। उन्होंने जहां-जहां आवश्यकता समझी, वहां नल लगवाने की व्यवस्था की।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या राजस्व मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि ३०० ० प्रति नल के हिसाब से जो दाम दिया गया, उनको क्या इस बात की भी जानकारी है कि लखीमपुर के बाजार में किसी भी ऐसे नल की कीमत १०० ० से अधिक नहीं थी? यदि हां, तो फिर यह ३०० रुपये कैसे किये गये?

श्री हुकुमसिंह विसेन—लखीमपुर-खीरी का बाजार भाव मुझे नहीं मालूम।

श्री उग्रसेन—क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि जो नल लगवाये गये वे कांग्रेसी लोगों के दरवाजे पर ही लगवाये गये, विरोधी दलों के लोगों के दरवाजों पर नहीं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसकी सूचना नहीं है।

बांट तथा माप विभाग में हरिजनों की नियुक्तियां

*९—**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ फरवरी, सन् १९६२ से बांट तथा माप विभाग में जो सीनियर इन्स्पेक्टरों, इन्स्पेक्टरों, क्लर्कों की नियुक्तियां होने वाली थीं, वह अब तक हो गई या नहीं? क्या इस विभाग में नियुक्तियां करने के लिये कोई कमेटी बनाई गई है? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन सदस्य हैं?

रसद उप-मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—संबंधित नियुक्तियां अभी पूरी नहीं हुई।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*१०—**श्री ऊदल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस विभाग में जो हरिजनों का १८ फीसदी नियुक्तियों का कोटा है, वह पूरा हो गया या नहीं?

श्री बलदेव सिंह आर्य—१८ प्रतिशत नियुक्तियों में से जो हरिजन इस विभाग में संबंधित पदों के लिये उपलब्ध थे, नियुक्त कर लिये गये। शेष रिक्त प्रतिशत के लिये इम्प्लायमेंट इक्सचेंज को लिखा गया है कि उपयुक्त अभ्यर्थी भेजें।

*११—**श्री ऊदल**—क्या यह सच है कि इस विभाग में एक इन्स्पेक्टर जो १९६० में रक्खा गया था उसको पदोन्नति इन्टरटेनमेंट विभाग की सेवाओं को जोड़ कर किया गया है जबकि खाद्य विभाग में दसियों वर्ष पुराने अनुभवी लोग हैं, उन्हें नहीं किया गया? इसका क्या कारण है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इंटरटेनमेंट विभाग के एक निरीक्षक की नियुक्ति बांट तथा माप विभाग के निरीक्षक के पद पर ११-८-६० को हुई थी। पदोन्नति के समय उसकी वे भी सेवायें जो उसने उक्त विभाग में उच्च (निरीक्षक) पद पर अर्पित की थीं, जोड़ी गईं। ३३ प्रतिशत पदोन्नति बांट तथा माप निरीक्षकों की की गई और शेष खाद्य रसद विभाग के वरिष्ठ निरीक्षकों की।

श्री ऊदल—यह सारी नियुक्तियां कब तक पूरी हो जायेंगी?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—इम्प्लायमेंट एक्सचेंज से नाम मांगे गये हैं, वहां से नाम आने पर यह कार्य पूरा हो जायेगा।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अब तक जो नियुक्तियां हुई हैं उनमें से कितने लोगों को सेवा आयोग के पास भेजा गया और कितनों को सरकार द्वारा नियुक्त की गई?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--सेवा आयोग के पास जाने का सवाल नहीं उठता, क्यों कि यह टेम्पारेरी डिपार्टमेंट है ।

श्री ऊदल--क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि इन्टरटेनमेंट विभाग के निरीक्षक की नियुक्ति में उसके उस विभाग में काम करने की अवधि को भी जोड़ दिया गया जब कि उससे भी सीनियर लोग इस विभाग में मौजूद थे, तो इस नियुक्ति को करने का क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इस विभाग के जो वरिष्ठ, सीनियर इन्सपेक्टर्स थे उनमें से बहुत से लोगों ने आने से इंकार कर दिया, इसलिये गवर्नमेंट के रिट्रेंच्ड इम्प्लाई, किसी विभाग के हों, उनको ले लिया करते हैं ।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)--क्या यह सही है कि खाद्य तथा रसद विभाग के बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी सर्विसेज दस साल से अधिक हो गई हैं और वह आना भी चाहते हैं, तो जो आना चाहते हैं उनको क्यों नहीं लिया गया, बाहर से क्यों लिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--और विभागों में तनख्वाहें अच्छी हैं इसलिये वह आना नहीं चाहते हैं ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)--जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि बहुत से लोगों ने जाने की इच्छा नहीं प्रकट की तो जिन कुछ लोगों ने जाने की इच्छा प्रकट की, उनमें से लोगों को क्यों नहीं भेजा गया ?

श्री अध्यक्ष--जिनकी इच्छा थी, वह लिये गये या नहीं लिये गये, यह सवाल है ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जिनकी इच्छा थी, वे ले लिये गये लेकिन तीन हिस्से किये गये हैं, एक सप्लाई विभाग का, एक मार्केटिंग विभाग का और एक वह जो इस विभाग में कार्य कर रहे हैं । खाद्य विभाग वालों को चूंकि ट्रेनिंग मिल चुकी थी इसलिये प्रमोशन का मौका दिया गया ।

श्री नरसिंहनारायण--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि दस-दस साल लोगों को काम करते हो गया लेकिन अभी तक वह मुस्तकिल नहीं किये गये, तो क्या कोई ऐसा प्रबन्ध करने जा रहे हैं जिससे यह विभाग परमानेंट हो जाय और कर्मचारियों की नियुक्ति परमानेन्ट हो जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--दस परसेंट लोगों को परमानेंट करने के लिय पिछले बजट में हो चुका है और पांच परसेंट के लिये रूल्स बन रहे हैं । इस तरह से १० परसेंट और पांच परसेंट का हो जायगा ।

श्री ऊदल--क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस विभाग में कितने पदों की आवश्यकता है और अब तक कितनी नियुक्तियां हो चुकी हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--आवश्यकता तो सीनियर इन्सपेक्टर्स ४८ की, इन्स्पेक्टर्स ११ की, सीनियर एकाउन्ट्स क्लर्क ४६ की और जूनियर एकाउन्ट्स क्लर्क ८ की है, इनमें से हरिजनों को कितना लिया गया, वह ब्योरा है, बाकी के लिये सूचना की आवश्यकता है ।

यू० पी० जेल्स के हेड आफिस द्वारा सामान का क्रय

*१२--**श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर) तथा **श्री रक्षपालसिंह** (जिला फतेहपुर)--जेल मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जेल विभाग के ऊंचे अधिकारियों जैसे सुपरिंटेंडेंट, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट तथा जेलर को अपने घर से दो सौ मील से बाहर न बदले जाने के आदेश है तथा सहायक जेलर व डिप्टी जेलर आदि छोटे कर्मचारियों को अपने घर से २०० मील से भी अधिक दूरी पर स्थानान्तरण करने की राजाज्ञा है ?

कारागार मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)—जी नहीं।

*१३—श्री हिम्मतसिंह तथा श्री रक्षपाल सिंह—क्या जेल मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में ग्रू०पी० जेल्स के हेड आफिस द्वारा क्या-क्या सामान, कितने-कितने रेटों पर किन-किन फर्मों से तथा कितनी-कितनी मात्रा में खरीदा गया व कितना-कितना बेचा गया, इस संबंध में सूचना विभाग द्वारा प्रकाशन कराये गये अथवा नहीं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३८९–३९३ पर)

श्री हिम्मतसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मूंज और सज्जी मिट्टी जो दो हजार मन और तीन हजार दो सौ मन खरीदी गई, उसके संबंध में सप्लायर्स ने किस रेट से टेंडर भेजे थे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—सज्जी मिट्टी के टेंडर के लिये सूचना विभाग द्वारा नियमित रूप से प्रकाशन कराया गया था, कैलाशनाथ, काहू कोठी वाले का कम टेंडर था।

श्री हिम्मतसिंह—मूंज के लिये कितने आदमियों ने टेंडर दिये थे और उनमें से सबसे कम कौन-सा था ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—सर्वश्री अमीरुल्ला मुहम्मद सिद्दीक, एटा वालों का था।

श्री रक्षपालसिंह—मंत्री जी बतायेंगे कि यह कितनी मात्रा में सामान बेचा गया है और कितने में खरीदा गया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—बारदाना नीली धारी का, बिना छेद का, पैबन्द का, सफेद धारी का, एक छेद का, नीली धारी का, १ छेद का, सफेद धारी का, २ छेद का पैबन्द का।

श्री अध्यक्ष—यह सूची में दर्ज है।

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी हां। सूची माननीय सदस्य के पास भेज दी गई है।

श्री हिम्मतसिंह—जो सामान बेचा गया उसमें संख्या नहीं है, तो संख्या न देने का क्या कारण है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—भेजी गई सूची में संख्या नहीं है।

श्री केसरीप्रसाद (जिला जौनपुर)—मूंज सप्लाई के लिये किन-किन लोगों ने टेंडर दिये थे और किसका मंजूर हुआ और उसका रेट क्या है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—मूंज २,००० मन खरीदी गई १२.५० रुपये प्रतिमन पर एफ० ओ० आर० जेल गेट। वह टेंडर अमीरुल्ला मुहम्मद सिद्दीक, एटा वालों का था।

श्री नरसिंहनारायण—क्या कुछ गवर्नमेंट के नामिनी रखे गये और उन्हीं के द्वारा माल बेचा जाता है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—सूचना विभाग द्वारा प्रकाशन कराया जाता है। नियम के अनुसार टेंडर खोले जाते हैं।

*१४—श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—[हटा दिया गया।]

*१५–१६—श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)—[६ठवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१८—श्री चन्द्रजीत—[६ ठवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

जेल कर्मचारियों को दूध देने वाले पशु पालने के लिये आज्ञा लेने का प्रतिबंध

*१९—श्री सत्यनारायण पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेशीय शासन की ओर से क्या ऐसे आदेश दिये गये हैं कि जेल के कर्मचारी कोई भी दूध देने वाले पशु को न पालें ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी नहीं ।

*२०—श्री सत्यनारायण पाण्डेय—यदि हां, तो सरकार ने उनके परिवार वालों के लिये सस्ते दूध की क्या व्यवस्था की है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सत्यनारायण पाण्डेय—जेल कर्मचारियों के दूध देने वाले पशु पालने के बारे में सरकार के वर्तमान आदेश क्या हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—कारागार महानिरीक्षक के आदेश से पाल सकते हैं ।

श्री सत्यनारायण पाण्डेय—अभी तक जेल सुपरिंटेंडेंट के द्वारा आज्ञा लेने का आदेश था जो कारागार महानिरीक्षक के द्वारा इतनी लम्बी रस्सी क्यों कर दी गई ?

श्री गोविन्दसहाय—सरकार के नोटिस में यह बात आई कि जेल सुपरिंटेंडेंट इजाजत दे देते थे और उसका दुरुपयोग होता था । उससे जेल के बगीचे और सब्जी वगैरह को हानि होने की संभावना है । इसलिये उस पर रोक लगाने के लिये आई० जी० से इजाजत लेने की बात रखी गई ?

श्री कल्पनाथसिंह—इस बात को देखते हुये कि छोटी तनख्वाह वाले वहां अधिक होते हैं, खासकर वार्डरों के लिये, सरकार यह आदेश भेजने की कृपा करेगी कि वे इतने पशु पाल सकते हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गोविन्दसहाय—वार्डर वगैरह दूध देने वाले पशु पाल सकते हैं । तब्दीली सिर्फ इतनी हुई है कि उसकी परमिशन लेनी होगी । सरकार इससे भलीभांति परिचित है कि उनका वेतन कम है । उन्हें हानि न होने देने की भावना से ही यह किया गया है ।

श्री सत्यनारायण पाण्डेय—माननीय कारागार मंत्री जी जब दौरे पर गये थे और विभिन्न जेल कर्मचारियों ने उनसे दूध देने वाले पशु पालने की इजाजत चाही थी और मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था, तो क्या वह शीघ्र अपना निर्णय करने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—निर्णय तो यह है कि कारागार महानिरीक्षक से आज्ञा लेकर पाल सकते हैं ।

*२१-२३—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—[६ठवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

नैनोलबाग वाले लकड़ी के भट्ठे की स्वीकृति

*२४—श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं, तहसील सहसवान, ग्राम नैनोलबाग वाले लकड़ी के भट्ठे की स्वीकृति समाप्त हो गई है ? यदि हां, तो कब ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—ग्राम नैनोलबाग वाला, तहसील सहसवान, जिला बदायूं में जो भट्ठा सर्वश्री चन्द्रपाल महेंद्रपाल के नाम से है उसकी स्वीकृति ३१-३-६२ को समाप्त हुई थी जिसको कि पुनः ३१-३-६३ के लिये रिन्यू कर दिया गया है ।

*२५--श्री उलफतसिंह (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं, तहसील सहसवान, ग्राम नैनोलबागवाला में अब जो उक्त लकड़ी का भट्ठा चल रहा है वह किस के हुक्म से और कौन चला रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह भट्ठा जिला पूर्ति अधिकारी की आज्ञा से चल रहा है तथा इसे सर्वश्री चन्द्रपाल महेंद्रपाल चला रहे हैं ।

*२६-२८---श्री कमलासिंह यादव---[६ठ वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

जेल कर्मचारियों को हफ्ते की छुट्टी

*२९---श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के जेल कर्मचारियों को हफ्ते की छुट्टी क्यों नहीं दी जाती ?

श्री गोविन्द सहाय---जेल शासन को ध्यान में रखते हुए जहां तक सम्भव होता है जेल कर्मचारियों को हफ्ते की छुट्टी दी जाती है ।

*३०---श्री विजयपालसिंह (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश जेल कर्मचारियों को हफ्ते की छुट्टी का ओवरटाइम दिया जाता है ?

श्री गोन्विद सहाय---जी नहीं ।

*३१-३३---श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---[६ठवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*३४-३६---श्री रघुवीरसहाय (जिला फतेहपुर)---[६ठवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

घोसी तहसील की कुछ ग्राम सभाओं को मिला कर नगरपालिका बनाने का सुझाव

*३७---श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतलायेंगे कि आजमगढ़ जिला की घोसी तहसील की चार ग्राम सभायें---घोसी, मैदापुर-समसपुर (रतन), बड़ागांव तथा करीमुद्दीनपुर, जो बिलकुल आस-पास सटी हुयी हैं---को मिलाकर नगरपालिका के निर्माण के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी नहीं । इस संबंध में शासन को कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है और न कोई ऐसी बात विचाराधीन ही है ।

बरेली नगरपालिका द्वारा टोल टैक्स लगाने का कथित प्रस्ताव

*३८---श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली नगरपालिका की ओर से कोई टोल टैक्स लागू करने का प्रस्ताव उसे प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

*३९---श्री हरीशकुमार गंगवार---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सरकार बरेली में चुंगी के स्थान पर टोल टैक्स कब से लागू करने जा रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---क्या सरकार को ज्ञात है कि १ वर्ष से भी अधिक हुआ बरेली की टोल टैक्स की दरों का प्रकाशन बरेली नगरपालिका द्वारा कराया जा चुका है जो बिना सरकार की पूर्व स्वीकृति के नहीं किया जा सकता है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा स्टाम्प ड्यूटी लेना

*४०---श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद के रेगुलेटेड एरिया के जिस भूमि (२९,००० एकड़) को नोटीफिकेशन नं० ५४५-एच/३७--५० (६५८)-एच, दिनांक, ९ फरवरी, १९६२ के अनुसार एक्वीजीशन से मुक्त कर दिया गया है, उस क्षेत्र में रहने वालों से इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन फीस ली जायेगी या नहीं ? अगर हां, तो क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद द्वारा कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाती । परन्तु यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेन्ट ऐक्ट, १९१९ की धारा ६७-एच के अन्तर्गत यह प्राविधान है कि इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्टों के क्षेत्र में पड़ने वाली प्रत्येक अचल सम्पत्ति के मूल्य पर या बन्धक (usufructuary mortgage) की रकम पर २ प्रतिशत स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा कर ली जाय और वह संबंधित इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को दी जाय । यही स्टैम्प ड्यूटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, गाजियाबाद को मिलेगी ।

श्री तेजसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट बनाया गया था उस वक्त ५० गांवों की भूमि को एक्वायर करने का सरकार का डेवलप करने का इरादा था, जब वह भूमि एक्वायर नहीं की जा रही है और डेवलपमेन्ट से उन गांवों का कोई वास्ता नहीं है, तो वहां क्यों स्टाम्प ड्यूटी ली जायगी ? अब सिर्फ ६,००० एकड़ एक्वायर कर रहे हैं ।

श्रीमती तारा अग्रवाल---चूंकि यह मुक्त की गई भूमि गाजियाबाद इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की सीमा के अन्दर है, इसलिये वहां भी २ परसेंट स्टाम्प ड्यूटी वसूल की जायगी ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि जब ट्रस्ट की ओर से वहां कोई डेवलपमेन्ट का कार्य नहीं हो रहा है तो क्यों चार्ज लिया जाता है ? और उनका जवाब यह है कि ट्रस्ट के एरिया में है, इसलिये लिया जाता है ।

*४१-४३---श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)---[६ठवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

जलकल के बिना नगरपालिकायें

*४४---श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़), श्री दौलतलाल तथा श्री मंगलदेव---क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कौन-कौन नगरपालिकायें हैं जहां पर जलकल का प्रबन्ध अब तक नहीं हो पाया है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---इस समय प्रदेश में ६१ ऐसी नगरपालिकायें हैं जहां पर जलकल का प्रबन्ध अब तक नहीं हो पाया है । इन नगरपालिकाओं की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३९४ पर)

श्री रामसुन्दर---क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कारण है कि इन नगरपालिकाओं में अभी तक पानी का प्रबन्ध नहीं किया जा सका है और कब तक प्रबन्ध करने का विचार है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---दी हुई सूची में बताया जा चुका है कि ६१ में २४ नगरपालिकायें ऐसी हैं जिनमें जलकल का कार्य प्रारम्भ हो गया है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष—माननीय मंत्री जी जरा देखें। सूची में ६१ नाम हैं और इसमें कहीं यह नहीं दिया है कि कहां काम शुरू हो गया है, कहां नहीं। अब प्रश्न यह है कि वहां पर काम शुरू क्यों नहीं हुआ है, कोई कारण आप बता सकते हैं? कब तक आशा है कि यह कार्य प्रारम्भ हो जायगा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—प्रश्नकर्ता ने पूछा कि जलकल का प्रबन्ध अब तक नहीं हो पाया है। उत्तर दिया गया है कि ६१ नगरपालिकाओं में नहीं हो पाया है। ६१ में २४ ऐसी हैं जहां कार्य हो रहा है मगर पूरा नहीं हुआ है। २३ जगह ऐसी हैं जहां तीसरी योजना में कार्य प्रारम्भ कर देने का विचार है। १४ जगह केवल ऐसी रह जाती हैं जहां अभी धनाभाव के कारण विचार नहीं किया गया।

श्री रामसुन्दर—क्या स्वायत्त शासन मंत्री जी वह तालिका बताने की कृपा करेंगे जहां काम प्रारम्भ हो गया है और जहां होने जा रहा है और जहां तृतीय योजना में होने वाला है ?

श्री अध्यक्ष—मैं मंत्री जी को आदेश दे दूंगा कि आपको वह लिस्ट दे दें। उसमें १४ को छोड़ कर ४७ स्थान ऐसे हैं जहां कि जलकल का प्रबन्ध हो रहा है या तीसरी पंचवर्षीय योजना में हो जायगा। तो अगर आप सब का नाम सुनना चाहते हैं तो यह तो बड़ी लम्बी सूची हो जायगी, इसकी मैं इजाजत नहीं देता।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब इस योजना में जल-कल के विस्तार की योजना सरकार की है और जब बरहज नगरपालिका, देवरिया में जलकल का कार्य प्रारम्भ हो गया था तो फिर उसे राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने रोक क्यों दिया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। लेकिन जहां कार्य शुरू हो गया है वह मेरे पास है, अगर अध्यक्ष महोदय आज्ञा दें, तो मैं उसे पढ़ दूं।

श्री मंगलदेव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन २४ स्थानों में काम शुरू हो गया है उनमें क्या आजमगढ़ जिले की मऊनाथभंजन नगरपालिका भी है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जी हां, मऊनाथ भंजन है जहां कि कार्य शुरू हो गया है और उसका एस्टीमेट ८ लाख ४३ हजार रुपये का है, जिसमें से ३ लाख रुपये दिये भी जा चुके हैं।

श्री रामसुन्दर—क्या स्वायत्त शासन मंत्री उन स्थानों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे जहां कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी जल-कल का प्रबन्ध होने वाला नहीं है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—देवबन्द, मवाना, सिकन्दराबाद, अनूपशहर, जहांगीराबाद, गंजडुवारा, सोरों, आंवला, सहसवान, विल्सी, तिलहर, शाहाबाद, पीहानी और करनैलगंज।

श्री रामसुन्दर—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन नगरपालिकाओं में जलकल का प्रबन्ध हो रहा है उन पर सरकार का कितना रुपया खर्च होने वाला है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—वैसे तो १६ लाख कुछ हजार का इस्टीमेट है जिसमें से १६ लाख रुपये विभिन्न नगरपालिकाओं को दिया गया है जहां कि कार्य शुरू हो गया है।

*४५—**श्री यशपाल** (जिला सहारनपुर)—[हटा दिया गया।]

*४६-४७—**श्री रामसुन्दर तथा श्री नरसिंहनारायण**—[६ ठवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

*४८--श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)---[३० मई, १९६२ के लिये प्रश्न २० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४९-५०---श्री सहदेवसिंह--[हटा दिये गये।]

मथुरा जेल में पानी की कमी

*५१--श्री राधेश्याम (जिला मथुरा)--क्या जेल मंत्री कृपया बतायेंगे कि मथुरा जिला जेल से इस बात की शिकायत आई है कि वहां पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--जी हां, चार हैंड पम्प लगाने की स्वीकृति दे दी गई है तथा एक और योजना सरकार के विचाराधीन है।

श्री राधेश्याम---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो योजना-विचाराधीन है वह क्या है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--वह योजना ट्यूबवेल लगाने की है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ट्यूबवेल लगाने की योजना है वह कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---इस योजना में ३५,५०० रुपया अनावर्तक ३,७०० रुपये आवर्तक अनुज्ञान दे दिया गया है और संभवतः ६३-६४ के वित्तीय वर्ष में आवश्यक मदों के साथ इस योजना पर पुनः विचार किया जायगा।

श्री नरसिंह नारायण---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस उत्तर प्रदेश के बहुत से जिलों में जहां कि जिला कारागार हैं लेकिन वहां पानी के लिये जलकल की कोई व्यवस्था नहीं है, तो इस तरह के कारागारों में वे इसकी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---यह सारे यू० पी० का प्रश्न नहीं है, केवल मथुरा की बात है।

श्री राधेश्याम---क्या मंत्री जी, इस सूचना को सही मानकर कि वहां इन ४ हैंडपाइपों से काम चलने वाला नहीं है, वह वहां और अधिक हैंडपम्प लगवाने की कृपा करेंगे ?

श्री गोविन्द सहाय---इस की जानकारी भी कराई जा सकती है और आवश्यक हुआ तो और भी लगाये जा सकते हैं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---अध्यक्ष महोदय, नियोजन मंत्री जी सो रहे हैं, जरा उन को जगा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---आंखें बन्द करना सोना नहीं है।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जेल के फार्म में सब्जी की खेती को सींचने की क्या व्यवस्था है, पानी कहां से जाता है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---चरस से दिया जाता होगा जैसा बाग-बगीचों में दिया जाता है।

श्री चैतन्यराजसिंह (जिला अलीगढ़)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से बाग-बगीचे में पानी दिया जाता है, तो वह पानी देने की क्या व्यवस्था है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--जिस व्यवस्था के संबंध में माननीय सदस्य ने पूछा, यदि वह जेल में पानी लगाने के संबंध में है तो वहां कुंआ होगा, रहट होगा या चरस चलता होगा ।

श्री अध्यक्ष--मंत्रिमंडल के सदस्यों से मेरा निवेदन है कि सदन में अनुमान से उत्तर न दिये जायं । अगर नहीं मालूम है तो यह कहा जा सकता है कि 'सूचना नहीं है', और 'होता होगा' का कोई मतलब नहीं है ।

श्री राधेश्याम--मथुरा जेल में पानी की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सभी जेलों से अधिक खराब है, तो क्या मंत्री जी इस सूचना को सही मानकर वहां पानी के संबंध में ट्यूबवेल योजना को शीघ्र कार्यान्वित कराने की कृपा करेंगे ?

श्री गोविन्दसहाय--अवश्य ही करेंगे ।

*५२-५३--**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)--[६ ठवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ नगरपालिका का अवक्रमण समाप्त करने की प्रार्थना

*५४--**श्री दयाराम** (जिला फर्रुखाबाद)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री इस बात को बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ नगरपालिका जिसको कि सरकार ने अबसे लगभग २ वर्ष पूर्व अपने हाथों में ले लिया था उसे मुक्त कर आगामी नगरपालिकाओं के चुनाव के अवसर पर फर्रुखाबाद-फतेहगढ़, की जनता का अपने मत से अपना प्रतिनिधि बोर्ड बनाने का अवसर प्रदान करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ नगरपालिका के अवक्रमण की अवधि १८ सितम्बर, १९६२ को समाप्त होगी । आम चुनावों द्वारा इसके बोर्ड के निर्माण के प्रश्न पर यथासमय ही विचार किया जा सकेगा ।

*५५--**श्री दयाराम**--क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद फतेहगढ़ नगरपालिका में पिछले कुछ माह के प्रशासन की नियुक्ति से नगरपालिका का कोई अतिरिक्त भार बढ़ा या नहीं और यदि बढ़ा, तो कितना मासिक ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--माननीय सदस्य का अभिप्राय कदाचित् प्रभारी अधिकारी (officer-in-charge) की नियुक्ति के फलस्वरूप बढ़े हुये खर्चे के संबंध में जानकारी प्राप्त करने से है । यह सत्य है कि उक्त नियुक्ति से नगरपालिका पर आर्थिक भार बढ़ा है जो ९६० रु० मासिक है ।

श्री दयाराम--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां अवक्रमण के समय अध्यक्ष किस दल का था ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--किस दल का था यह तो नहीं मालूम, लेकिन वहां का वह एक नागरिक था ।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)--क्या मंत्री जी फर्रुखाबाद नगरपालिका को जब्त करने का कारण बतायेंगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--जो सुपरसेशन के कारण होते हैं वही इस में भी था ।

श्री दयाराम--क्या मंत्री जी निश्चित रूप से बताने की कृपा करेंगे कि सुपरसेशन का क्या विशेष कारण था ?

श्री अध्यक्ष--आपने जो लिखित प्रश्न दिया है उसमें कारण तो नहीं पूछा ।

श्री दयाराम—अभी कुछ समय पूर्व उसके अवक्रमण के समाप्त किये जाने के विषय में एक डेपुटेशन सरकार से मिला था ? यदि हां, तो उसको क्या उत्तर दिया गया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—क्या सरकार बतायेगी कि २ साल पूर्व जिन बुराइयों के कारण इस नगरपालिका को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था वे बुराइयां दो साल के अन्दर दूर हो गईं कि नहीं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जो बुराइयां थीं उनमें अब बहुत कुछ कमी हो गई है।

मुबारकपुर में सस्ते गल्ले की चार दूकानें एक कांग्रेसी सज्जन द्वारा चलाने पर आपत्ति

*५६—**श्री सुरजन** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय मुबारकपुर टाउन एरिया, जिला आजमगढ़ में कोयला करकट और गल्ले की दूकानों का ठेका या लाइसेन्स किन-किन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३९५ पर)

श्री सुरजन—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वहां की ४ सस्ते गल्ले की दूकानें एक बहुत बड़े कांग्रेसी अकेले चलाते हैं और जिनके खिलाफ शिकायतों की दरख्वास्तें हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री रामसुन्दर—क्या खाद्य मंत्री जी बतायेंगे कि यह दुकानें करकट की और सस्ते गल्ले की व्यक्तियों को दी गई हैं या संस्थाओं को ? अगर संस्थाओं को दी गई हैं तो कौन-कौन सी हैं, और व्यक्तियों को दी गई हैं तो कौन-कौन व्यक्ति हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जिन जिन संस्थाओं और व्यक्तियों को यह दूकानें दी गई हैं उनकी एक सूची प्रश्नकर्त्ता को दे दी गई है। वैसे मैं फिर बताये देता हूं ।

कोयला भट्टे के लाइसेंसियों की सूची

१—मोहम्मद रफी, २—नूर मोहम्मद, ३—श्री नन्द लाल गुप्ता और ४—गांधी विद्यालय ।

कोल डिपो के लाइसेंसियों की सूची

१—श्री इमदाद [illegible] ।

गल्ले की दूकानों के लाइसेंसियों की सूची

१—पंचायत हायर सेकेन्डरी स्कूल, रेन्डा ।

२—ग्राम समाज, पिचरी ।

३—शिशु बालिका पाठशाला, मुबारकपुर ।

४—डी० सी० एफ० आजमगढ़ ।

५—इस्लामिया स्कूल, बाग मीरपेढ़ू, आजमगढ़ ।

६—श्री देवनाथ तिवारी ।

श्री चन्द्रजीत—क्या मंत्री जी, जो माननीय सुरजन ने पूछा है कि एक स्थानीय कांग्रेसी नेता ने यह दूकानें विभिन्न संस्थाओं के नाम पर ले ली हैं और स्वयं चला रहे हैं, इस बात को सूचना मान कर इसकी जांच करायेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो जरूर जांच करायेंगे ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---अभी मंत्री जी ने कहा कि माननीय सदस्य लिख कर दें तो जांच करा लूंगा । मैं समझता हूं जब सदन में माननीय सदस्य ने एक बात कही तो वह पूर्ण रूप से जिम्मेदारी की बात मानी जानी चाहिये और उसका उचित वजन होना चाहिये । तो आप श्रीमन्, इस पर कुछ ध्यान दें और यह जो पद्धति चल रही है कि लिख कर दें, इसके माने यह हैं कि सदन में कुछ लोग गलत बात कहते हैं । इस पर आपकी व्यवस्था चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष---मेरा ऐसा खयाल है कि अगर कोई सूचना दी जाती है तो सरकार के लिये दो तरीके हैं । या तो यह कहे कि हमें सूचना नहीं है, आप सूचना हमें दें तो हम इसको कर देंगे । तो सूचना देने का तरीका यह होता है कि प्रश्न के रूप में सूचना दें, यह कदाचित् उनका मतलब है । अगर वह लिखित सूचना चाहते हैं तो मांग सकते हैं । लिखित सूचना का तात्पर्य यही है कि प्रश्न कर लें, उनके पास सूचना नहीं है । माननीय मंत्री का क्या मतलब है इसे वह स्पष्ट कर देंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---मतलब यह है कि अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो क्वेश्चन कर लें । अगर क्वेश्चन करना पसन्द न करें तो लिख कर दे दें, मैं इंक्वायरी करा लूंगा ।

श्री यादवेन्द्रदत्त---जब चन्द्रजीत ने यह कहा कि उनके प्रश्न को सूचना मान कर जांच करा ली जाय तो क्या यह लिखित के बराबर नहीं हुआ ? इस तरह से कहना थोड़ा सदन की डिगनिटी को कम करता है ।

श्री अध्यक्ष---यह बहस की बात है । लिखने से और स्पष्ट हो जाता है वर्ना वह सूचना काफी होनी चाहिये ।

श्री नरसिंहनारायण---क्या खाद्य मंत्री बतलायेंगे कि मुबारकपुर के नागरिकों ने उपरोक्त जो दूकानदार हैं उनके खिलाफ यह शिकायत की है एक अग्रणी कांग्रेसी द्वारा यह दूकानें चलाई जाती हैं ? अगर की है तो माननीय मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---कोई शिकायत सरकार के पास नहीं पहुंची है ।

अर्थ एवं संख्या निदेशकालय के तीन कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित करना

*५७---**श्री चिरंजीलाल** (जिला एटा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अर्थ एवं संख्या विभाग में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें पदोन्नति से वंचित कर दिया गया है उनके नाम, पद जिससे वंचित रखा गया है एवं उसका कारण बताने की कृपा करे ?

श्री अलगूराय शास्त्री---अर्थ एवं संख्या निदेशकालय में ऐसे तीन कर्मचारी हैं जिन्हें पदोन्नति से वंचित किया गया है । उनके नाम क्रमशः सर्वश्री एन० एस० मुकर्जी, एन० के० कुलश्रेष्ठ तथा आर० एन० पाण्डेय हैं । प्रथम व्यक्ति को ज्येष्ठान्वेषक एवं सहायक अधीक्षक (Senior investigator-Cum-Assistant Superintendent) के पद पर, द्वितीय व्यक्ति को संख्या सहायक एवं अर्थ संख्यान्वेषक के पद पर तथा तृतीय व्यक्ति को अवर वर्ग सहायक (Lower Division Assistant) के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है । श्री मुकर्जी को अन्य सहायकों के कार्य की देख रेख करने में अनुपयुक्त पाया गया । श्री कुलश्रेष्ठ को फर्जी कार्य करने तथा निरीक्षण में असफल होने के कारण तीन वर्ष के लिये पदोन्नति से वंचित किया गया है । श्री पाण्डेय का आचरण तथा व्यवहार ठीक नहीं था अतः उनके विरुद्ध प्रशासकीय कार्यवाही हो रही है । इन्हीं कारणों से इन तीन व्यक्तियों को पदोन्नति नहीं दी जा सकी ।

*५८—**श्री चिरंजीलाल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ऐसे कर्मचारियों के अभ्यावेदन राज्य सरकार को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो कब प्राप्त हुये हैं और क्या निर्णय लिया गया है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—जी हां, श्री मुकर्जी ने दिनांक १५-१२-१९६१ को, श्री कुलश्रेष्ठ ने दिनांक १२-३-१९६२ को तथा श्री पाण्डेय ने दिनांक २६-२-१९६२ को अभ्यावेदन राज्य सरकार को दिये हैं। ये तीनों अभ्यावेदन अभी शासन के विचाराधीन हैं।

बदायूं नगरपालिका में जल निकासी की व्यवस्था न होने की शिकायत

*५९—**कुंवर रुकुमसिंह राठौर** (जिला बदायूं)—क्या सरकार को पता है कि बदायूं नगरपालिका की मीराजी गौढ़िया, कबूलपुरा, गौढ़िया खंड तथा वकील सरकार की कोठी के निचले मुहल्लों के रास्ते वर्षा ऋतु में पानी से भरे रहते हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—नगरपालिका बदायूं के मीराजी गौदिया, कबूलपुरा गौदिया खंड तथा वकील सरकार की कोठी के निचले मैदानों में जहां नालियों का ढाल कम है वर्षा ऋतु में पानी कुछ समय के लिये रुक जाता है।

कुंवर रुकुमसिंह राठौर—क्या सरकार बतलायेगी कि इन नालों की ढाल को वर्षा के पहले ठीक कर दिया जायगा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—बदायूं नगरपालिका ने जल निकास योजना बनाई है लेकिन जो मुख्य अभियन्ता की अग्रिम फीस देने की बात है वह पूरी नहीं की गयी है, इसलिये सरकार इस पर कुछ नहीं कर सकी है।

कुंवर रुकुमसिंह राठौर—यह गरीबों के मोहल्ले हैं, इसलिये वहां की नगरपालिका को इस विषय में खयाल करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—कह तो रहे हैं कि उसका प्रबन्ध हो रहा है।

*६०—**कुंवर रुकुमसिंह राठौर**—[६ठवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

बड़हलगंज टाउन एरिया में पेय जल व्यवस्था के विरुद्ध शिकायत

*६१—**श्री कल्पनार्थसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की बड़हलगंज टाउन एरिया में पीने के लिये शुद्ध जल की व्यवस्था करने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जी नहीं। ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह—क्या सरकार को मालूम है कि उक्त टाउन एरिया में जलकल विभाग के दोनों ट्यूबवेल्स मौजूद हैं और उक्त टाउन एरिया में जलकल विभाग की ओर से दो दो जगह पाइप लगाये गये हैं पानी पीने के, तो क्या कारण है कि उन पाइप्स का एक्सटेंशन नहीं किया जाता ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—शासन के पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है।

*६२—**श्री कल्पनार्थसिंह**—[६ ठवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

बड़हलगंज टाउन एरिया में नालियों की दुर्व्यवस्था

*६३—**श्री कल्पनार्थसिंह**—क्या सरकार को पता है कि बड़हलगंज टाउन एरिया में नालियों की साफाई, मरम्मत और उचित व्यवस्था न होने के कारण गन्दगी रहती है ? यदि हां, तो उसकी मरम्मत और सफाई की क्या व्यवस्था होने जा रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---जहां तक सरकार को विदित है बड़हलगंज टाउन एरिया में नालियों की सफाई एवं मरम्मत की उचित व्यवस्था है और मेहतरों द्वारा बराबर सफाई होती है। बाकी प्रश्न नहीं उठता।

श्री कल्पनार्थसिंह---क्या सरकार को मालूम है कि उक्त टाउन एरिया में सभी नालियां कच्ची हैं? यदि हां, तो उनको पक्का कराने की भी कोई व्यवस्था विचाराधीन है?

श्रीमती तारा अग्रवाल---यह कार्य टाउन एरिया का है।

श्री कल्पनार्थसिंह---उक्त टाउन एरिया को कितना अनुदान नालियों को ठीक करने के लिये या उनके एक्सटेंशन के लिये पिछले ५ साल में दिया गया है?

श्रीमती तारा अग्रवाल---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामसुन्दर---क्या यह सही है कि बड़हलगंज टाउन एरिया की आर्थिक दशा खराब है और इसीलिये नालियां कच्ची हैं? यदि हां, तो इस खराब आर्थिक अवस्था को देखते हुये उस टाउन एरिया को सरकार कुछ अनुदान देने की कृपा करेगी?

श्रीमती तारा अग्रवाल---जब अनुदान मांगा जायगा तब सरकार उस पर विचार करेगी।

श्री कल्पनार्थसिंह---क्या यह सही है कि गत वर्ष उक्त टाउन एरिया ने कोई पत्र सरकार को लिखा था? यदि हां, तो उसमें क्या लिखा था?

श्रीमती तारा अग्रवाल---ऐसी कोई इत्तला नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण---जितने सफाई कर्मचारी सफाई करने के लिये रखे गये हैं वे वहां की आबादी को देखते हुये बहुत कम हैं। तो क्या सरकार उनकी संख्या बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न अलग कर लीजियेगा।

*६४---**श्री झिलमिट झिल्लू** (जिला गाजीपुर)---[८ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

बदायूं जिले में ईंट के भट्ठे

*६५---**श्री उल्फतसिंह**---विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९५९ के तीसरे सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में एक भट्ठे के विरुद्ध अनधिकृत कोयला जमा करने की शिकायत जो जिला सप्लाई आफिसर के पास आई थी उसमें जांच-पड़ताल के बाद भट्ठे के विरुद्ध कुछ कार्यवाही हो रही है? यदि हां, तो क्या?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां। मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री उल्फतसिंह---यह कब से विचाराधीन है और कबतक हो जायगा?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---साल भर से कुछ ऊपर हुआ है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से रिपोर्ट आने पर निर्णय हो जायगा।

श्री नरसिंहनारायण---इस बात को देखते हुये कि साल भर से यह मामला विचाराधीन पड़ा हुआ है और अभी ऐसी उम्मीद है कि शायद सन् १९६७ के बाद ही यह मामला खत्म हो सकेगा, क्या मंत्री महोदय इस बात की व्यवस्था करने जा रहे हैं कि शीघ्रातिशीघ्र इस पर कोई निर्णय हो जाय?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---चूंकि इस मामले से एक भूतपूर्व एम० एल० ए० भी संबंधित थे इसलिये की गई इन्क्वायरीज से सरकार संतुष्ट नहीं हुई और फिर दोबारा रिपोर्ट मांगी गयी इसलिये इसमें देर हुई और लाजिमी था देर होना ।

इलाहाबाद में गंगातटीय ग्रामों की दशा सुधारने के मास्टर प्लान बनाने का सुझाव

*६६---**डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी** (जिला इलाहाबाद)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद शहर के गंगा के किनारे के गांवों की दशा सुधारने लिये कोई मास्टर प्लान बनाया गया है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---इलाहाबाद शहर के गंगा के किनारे के गांवों की दशा सुधारने के लिये स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अभी तक कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया गया है ।

*६७---**डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी**---यदि हां, तो उसमें क्या गांवों को बाढ़ से बचाने का ध्यान रखा गया है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---प्रश्न नहीं उठता ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---यह कहा गया कि अभी कोई मास्टर प्लान नहीं है तो क्या माननीया मंत्री महोदया इस मास्टर प्लान की आवश्यकता नहीं मानतीं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---इलाहाबाद नगर के आसपास के गांवों से ऐसी कोई भी मांग नहीं आयी है, इसलिये कोई प्रश्न नहीं उठता ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री इस तथ्य से अवगत हैं कि गंगा के किनारे के ये गांव प्रति वर्ष बाढ़ से क्षतिग्रस्त होते हैं और नगरमहापालिका के द्वारा उनका कोई प्रबन्ध नहीं किया जाता इसलिये इसकी आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष---वह कहती हैं कि मांग की जाय तो हम मास्टर प्लान बना लेंगे ।

*६८---**श्री छेदालाल चौधरी** (जिला खीरी)---[हटा दिया गया ।]

*६९-७०---**श्री छेदालाल चौधरी**---[६ ठवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*७१-७२---**श्री तेजसिंह**---[६ ठवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

सफाई मजदूर संघ, मारहरा की मांगें

*७३---**श्री चिरंजीलाल** (अनुपस्थित)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला एटा, नगरपालिका मारहरा के अध्यक्ष के विरुद्ध जनवरी, १९६२ से अप्रैल, १९६२ तक कितने प्रार्थना-पत्र सफाई मजदूर संघ, मारहरा के प्राप्त हुये हैं और उसका क्या निर्णय किया गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---सफाई मजदूर संघ, मारहरा का नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ था । तीन प्रार्थना-पत्र जिनमें कुछ मांगों की पूर्ति के लिये प्रार्थना की गई थी जिलाधीश को अवश्य प्राप्त हुये थे । दोनों पक्षों के आरोपों का निबटारा शान्तिपूर्वक हो गया ।

*७४---**श्री चिरंजीलाल** (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वहां के मेहतरों पर चेयरमैन नगरपालिका, मारहरा (एटा) ने कुछ मुकदमे दायर किये हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---अध्यक्ष, नगरपालिका मारहरा ने ६ गैर मुलाजिम मेहतरों के विरुद्ध, जो नगरपालिका के कार्य में बाधा डाल रहे थे, मुकदमे दायर किये थे ।

*७५—श्री चिरंजीलाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीश, एटा ने इस मामलेकी जांच कराई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय दिया गया और क्या उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर सरकार रखने की कृपा करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां। दोनों पक्षों के आरोपों का निबटारा शान्तिपूर्वक हो गया। रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि† प्रस्तुत है।

*७६—७८—श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—[६ ठवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

राज्य में आयात अनाज

*७९—श्री चन्द्रजीत—क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में राज्य में प्रति वर्ष कितना-कितना अनाज और किस-किस प्रकार का बाहर से मंगाया गया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—गत पांच वित्तीय वर्षों में राज्य सरकार ने जो-जो अनाज प्रदेश के बाहर से मंगाये उनकी एक तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३९६ पर)

*८०—श्री चन्द्रजीत—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, सन् १९६१ से ३१ मार्च, सन् १९६२ तक राज्य में बाहर से कितना और कितने रुपये का गल्ला मंगाया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—राज्य सरकार ने जनवरी, सन् १९६१ से ३१ मार्च, सन् १९६२ तक १,२४,०४९ मैट्रिक टन विदेशी गेहूं केंद्रीय सरकार से लिया, जिसका मूल्य लगभग ४,६५,२९,८१२ रुपया है।

अध्यक्ष, नगरपालिका मुगलसराय के विरुद्ध आरोपों की जांच

*८१—श्री उमाशंकर—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, मुगलसराय, जिला वाराणसी के अध्यक्ष के विरुद्ध सन् १९६१ में किसी नागरिक ने गम्भीर आरोप लगाये थे जिसके फलस्वरूप अधिकारियों के आदेशानुसार हाकिम इलाका पश्चिमी चन्दोली ने उन आरोपों की जांच भी की थी ? यदि हां, तो आरोप क्या थे और जांच का क्या परिणाम हुआ ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—डाक्टर रामप्रकाश, निवासी मुगलसराय ने अध्यक्ष, नगरपालिका मुगलसराय के विरुद्ध दो आरोप पत्र दिनांक, ९ जून, १९६१ तथा १३ जुलाई, १९६१ आयुक्त, वाराणसी डिवीजन को भेजे गये। इन आरोप-पत्रों में लगाये गये आरोपों का विवरण संलग्न सूची में उल्लिखित है। आयुक्त ने आरोप-पत्रों पर जिलाधीश, वाराणसी के माध्यम द्वारा जांच कराई थी। जिलाधीश से प्राप्त जांच रिपोर्ट को आयुक्त ने शासन को अग्रसारित किया था। क्योंकि जांच रिपोर्ट में पूर्ण विवरण नहीं थे, अतएव आयुक्त, वाराणसी डिवीजन से शेष विवरण मांगे गये हैं जो अभी शासन को प्राप्त नहीं हो सके हैं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३९७ पर)

*८२–८४—श्री मतोलासिंह [६ ठवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

---

†प्रति छापी नहीं गई।

नोट—तारांकित प्रश्न ८० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

स्थानीय निकायों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों को स्थान देने के लिए आदेश

*८५—श्री भगवानदास (जिला आगरा)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद नगरपालिका के अध्यक्ष का चुनाव कब तक होगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—फिरोजाबाद नगरपालिका के अध्यक्ष का पद अभी रिक्त नहीं। अतः चुनाव कराने का प्रश्न नहीं उठता है।

*८६—श्री भगवानदास—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय संस्थाओं के प्रशासन में अनुसूचित जातियों के लिये कितने प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रश्न में उपयुक्त शब्द "प्रशासन" से माननीय सदस्य का अभिप्राय कदाचित् "सेवाओं" से है। १६ सितम्बर, १९५४ को प्रसारित किये गये एक शासकीय आदेश में स्थानीय निकायों से यह कहा जा चुका है कि वे अपनी सेवाओं में प्रत्यक्ष नियुक्तियों के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों को उस अनुपात में स्थान दें जो कि उस क्षेत्र में रहने वाली इन जातियों की आबादी का वहां की कुल आबादी से है।

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, हरगांव में अनियमितताएं

*८७—श्री बैजूराम (जिला सीतापुर)—क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, हरगांव, जिला सीतापुर के किस अधिकारी द्वारा अप्रैल, १९६२ ई० में ऐसे कितने मामलों की जांच की गई जिनमें लोहा और टीन के परमिट बेचे गये या परमिट पर प्राप्त माल को ब्लैक मार्केट में या अनियमित तौर पर दूसरे कितने व्यक्तियों को दिया गया और जांच के पश्चात् सम्बन्धित मामलों में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सूचना एकत्र की जा रही है।

*८८—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—[वापस ले लिया गया।]

यू० पी० जेल्स मुख्यालय तथा जेल ट्रेनिंग स्कूल के लिपिक वर्ग सम्बन्धी केडर का मिलाना

*८९—श्री हिम्मतसिंह, श्री मुकुटबिहारीलाल, श्री रक्षपालसिंह तथा श्री जगदीशप्रसाद—क्या जेल उपमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि यू० पी० जेल्स मुख्यालय तथा जेल ट्रेनिंग स्कूल का अलग-अलग बजट है तथा उनके नौकरियों की श्रेणियां (Service of clerical cadres) अलग होते हुये हाल में ये (cadres) मिला दिये गये हैं इसका क्या कारण है ? क्या भूतपूव आई० जी० प्रिजन्स, श्री सी० पी० टंडन ने भी कई बार सरकार को लिखा था कि हेडक्वार्टर के क्लर्कों को जेल ट्रेनिंग स्कूल न भेजा जाय ?

श्री गोविन्दसहाय—जी हां, जेल अनुदान के अन्तर्गत ही मुख्यालय व जेल ट्रेनिंग स्कूल के अलग-अलग उपलेखा शीर्षक हैं और १ अप्रैल, १९५६ से इन दोनों कार्यालयों के लिपिकवर्ग सम्बन्धी केडर मिला दिये गये हैं। जेल ट्रेनिंग स्कूल में हेड क्लर्क, स्टोर कीपर, व टाइपिस्ट के केवल एक-एक पद होने के कारण सम्बन्धित व्यक्तियों को छुट्टी देने में कठिनाई होती थी और उनके पदोन्नति के कोई अवसर न होने से उनमें उत्साह से कार्य करने का अभाव पाया जाता था और वे सदैव दूसरी जगहों की तलाश में रहते थे। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये, विधान मंडल की स्वीकृति से, उन पदों के वेतन क्रमों को मुख्यालय के वेतन-क्रमों के स्तर में लाकर, दोनों कैडरों को मिला दिया गया। यह सही है कि भूतपूर्व कारागार, महा-निरीक्षक ने लिखा था कि मुख्यालय के क्लर्कों को जेल ट्रेनिंग स्कूल न भेजा जाय।

*९०-९२--श्री शराफत हुसैन रिजवी--[६ठवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

नगर महापालिकाओं को सड़कों के लिए अनुदान

*९३--श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा) तथा श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा, लखनऊ, प्रयाग, कानपुर व वाराणसी में सड़कों की लम्बाई कितनी-कितनी है और सन् १९५९-६०, १९६०-६१, व१९६१-६२ व १९६२-६३ में प्रत्येक नगर की महापालिकाओं को सड़कों के रक्षार्थ कितना-कितना अनुदान दिया गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--आगरा, लखनऊ, प्रयाग, कानपुर व वाराणसी की सड़कों की लम्बाई तथा सन् १९५९-६०, १९६०-६१, १९६१-६२ और १९६२-६३ में प्रत्येक नगर महापालिका को सड़कों के रक्षार्थ दिये गये अनुदानों की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३९८ पर)

अध्यक्ष, नगरपालिका, ललितपुर के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*९४--श्री कृष्णचन्द (जिल झांसी)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ललितपुर (जिला झांसी) की नगरपालिका के कुछ सदस्यों तथा प्रमुख नागरिकों ने ललितपुर नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध कुप्रबन्ध, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग और आय-व्यय, पक्षपात व पद के दुरुपयोग करने के संबंध में १ जनवरी, सन् १९६१ से ३० मार्च, १९६२ तक कई बार सरकार के पास शिकायतें भेजी हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हां ।

*९५--श्री कृष्णचन्द--क्या सरकार ने इन शिकायतों की जांच कराई है ? यदि हां, तो क्या वह जांच के परिणामों को सूचित करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हां, उन शिकायतों में से कुछ पर जांच कराई गई है । जांच के फलस्वरूप एक शिकायत में लगाये गये आरोप असत्य पाय गये, दूसरी पर शासन ने अध्यक्ष, नगरपालिका, ललितपुर के उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जिसमें उन्होंने श्री कैलाश नारायण शर्मा को बोर्ड के अस्थायी अधिशासी अधिकारी के पद पर नियुक्ति की स्वीकृति मांगी थी, और दो अन्य शिकायतों पर आयुक्त, झांसी मंडल से रिपोर्ट शासन को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय

*९६--श्री गेंदासिंह--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि १९४६-४७, १९५०-५१ तथा १९६०-६१ में प्रदेश की राष्ट्रीय आय क्या थी और उसमें ग्रामीण तथा शहरी आय क्या थी ?

श्री अलगूराय शास्त्री--१९४६-४७ के प्रदेश की आय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । १९५०-५१ में १९४८-४९ के मूल्यों के आधार पर, प्रदेश की कुल आय रुपये १६३२.२ करोड़ रुपये थी जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र की आय १०६५.६ करोड़ रुपये और शहरी क्षेत्र की ५६६.६ करोड़ रुपये थी ।

१९६०-६१ में, १९४८-४९ के मूल्यों के आधार पर, प्रदेश की कुल आय १९६८.२ करोड़ रुपये थी । इसमें से ग्रामीण क्षेत्र की आय १३०५.७ करोड़ रुपये थी और शहरी क्षेत्र की ६६२.५ करोड़ रुपये थी ।

*९७--श्री गेंदासिंह--उक्त वर्षों में शहरी तथा ग्रामीण प्रति व्यक्ति की आय क्या थी और उसमें इतने भारी अन्तर के क्या कारण हैं ?

श्री अलगूराय शास्त्री—ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय १९५०–५१ में क्रमशः १९४.७४ रुपये और ६९८.२८ रुपये थी। १९६०–६१ में प्रति व्यक्ति आय क्रमशः २०५.४१ और ६८६.३३ रुपये थी।

समस्त प्रदेश की आय का लगभग २/३ भाग ग्रामीण क्षेत्रों से और १/३ भाग शहरी क्षेत्रों से उपलब्ध होता है जबकि दोनों क्षेत्रों की जनसंख्या का अनुपात ७.१ है। ग्रामीण क्षेत्रों की और शहरी क्षत्रों की प्रति व्यक्ति आय का अन्तर मुख्यतः इसी कारण से है।

*९८—**श्री गेंदासिंह**—क्या वर्ष १९६१–६२ के उक्त आंकड़े उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो वह क्या हैं ?

श्री अलगूराय शास्त्री—१९६१–६२ के आंकड़े अभी तैयार नहीं हैं।

वाराणसी नगर महापालिका को अनुदान तथा ऋण

*९९—**श्री ऊदल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अब तक वाराणसी नगर महापालिका को कितना रुपया कर्ज में तथा कितना अनुदान में सरकार ने किन-किन मदों में दिया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सरकार ने नगर पालिका वाराणसी को २७,००,००० रु० ऋण तथा ६२,७२,३४५ रु० अनुदान के रूप में निम्नलिखित मदों में दिया है:—

(अ) ऋण—

१—मल प्रवाह योजना	..	..	२,००,०००
२—विस्थापित व्यक्तियों के लिये दूकानों के निर्माण की योजना			२,५०,०००
३—अल्प आय वर्ग आवास योजना	..	..	१४,५०,०००
४—मध्यमवर्ग आवास योजना	..	..	८,००,०००
	योग	..	२७,००,०००

(ब) अनुदान—

१—महंगाई भत्ता	..	..	२३,२०,७३२
२—चिकित्सा संबंधी	..	..	५७,१२३
३—शिक्षा संबंधी	..	..	१५,६६,६३५
४—सामान्य प्रयोजन संबंधी	..	..	१,०८,७४५
५—अर्थदंड के बदले में	..	..	३०,४३०
६—सड़कों के लिये	..	..	१६,४७,३४५
७—मेहतरों के क्वार्टरों के लिये	..	..	१,५०,०००
८—मेहतरों को हाथ गाड़ियां तथा व्हील बैरोज देने के लिये		..	१५,०००
९—जेनिया पार्क के सुधार के लिये	..	..	४७,८३५
१०—विकास संबंधी दिन प्रतिदिन कार्यों के लिये		..	३,२८,५००
	योग	..	६२,७२,३४५

फैजाबाद पश्चिमी क्षेत्र में पशुचर भूमि का अभाव

*१००—**श्री धूमप्रसाद** (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद पश्चिमी क्षेत्र में, जो जंगलात से घेर लिया गया है—जनता तथा उनके पशुओं को निकलने व ठहरने का स्थान सरकार देगी ?

श्री अलगूराय शास्त्री—फैजाबाद जिले का पश्चिमी क्षेत्र जो जंगलात से घिरा हुआ ह वहां पर सड़कें व छोटे-छोटे रास्ते या तो खुले हुये हैं या दूसरी सड़क व अन्य छोटे-छोटे रास्ते उनकी जगह पर दिये गये हैं। चूंकि इस क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है इसलिये वहां पशुओं को चराई के लिये ठहराना उचित नहीं है।

अध्यक्ष, झांसी नगरपालिका के विरुद्ध आरोपों की जांच

*१०१—**श्री लखपतराम शर्मा**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध राज्य सरकार के आदेश पर एक जनवरी, सन् १९५७ से जनवरी, सन् १९६२ तक लगभग १०० मामलों पर जांच हुई व जांच करने वाले अधिकारियों में जिलाधीश, झांसी से लगाकर प्रांत का गुप्तचर बिभाग तक था? यदि यह सत्य है तो राज्य सरकार द्वारा कितने मामलों पर आज तक निर्णय दिया गया तथा कितने मामले आज भी विचाराधीन हैं? शिकायतें किस-किस प्रकार की हैं व शिकायतकर्त्ता उस अवधि से कौन-कौन हैं और अब तक जबकि जांच समाप्त हो चुकी है निर्णय न होने का क्या कारण है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—झांसी नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध १ जनवरी, १९५७ से जनवरी, सन् १९६२ तक माननीय सदस्य द्वारा प्रकाशित "श्री बाबू लाल उदैनिया, अध्यक्ष, नगरपालिका, झांसी के कार्यों पर खुला अभियोगपत्र" नं० १ तथा २, दिनांक २० फरवरी, १९५९ तथा ३ सितम्बर, १९५९ नाम की पुस्तकों में वर्णित मामलों के अतिरिक्त लगभग ४८ और विषयों पर जांच हुई व जांच करने वाले अधिकारियों में जिलाधीश झांसी से लगाकर प्रान्त के गुप्तचर विभाग तक थी।

चूंकि माननीय सदस्य द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में उल्लिखित सभी आरोपों के संबंध में सिविल जज, झांसी के न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया जा चुका है। अतः सरकार इस संबंध में कुछ कहने में असमर्थ है। अन्य ४८ मामलों में से १० मामलों में शासन ने निर्णय लिया और शेष ३८ मामले सरकार के विचाराधीन हैं।

माननीय सदस्य द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में उल्लिखित आरोपों के अतिरिक्त अन्य शिकायतें नत्थी 'क' के अनुसार हैं। इस अवधि में शिकायतकर्त्ता माननीय सदस्य के अतिरिक्त श्री रामेश्वर सिंह चिलवार, श्री बी०डी०साहू, श्री ब्रह्मा नन्द शर्मा तथा नगरपालिका के अन्य सदस्य "बुन्देलखंड साप्ताहिक" झांसी के नागरिक, श्री गोविन्द सिंह विष्ट, श्री रघुनाथ दयाल दबकर तथा श्री हर प्रसाद हैं।

चूंकि अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतों पर जिलाधिकारियों की रिपोर्टें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुईं और उनके संबंध में समय-समय पर बराबर दुबारा लिखा-पढ़ी करनी पड़ी अतएव इन मामलों पर अब तक सरकार द्वारा निर्णय न लिया जा सका।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३९९–४०० पर)

टाउन एरिया कमेटी, पुरकाजी के कर्मचारियों को वेतन न मिलना

*१०२—**श्री शुगनचन्द मजदूर** (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर टाउन एरिया कमेटी पुरकाजी के मुलाजिमान को कितने दिनों से वेतन नहीं मिला है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इन कर्मचारियों को सितम्बर, १९६१ से लेकर अब तक वेतन नहीं मिला है।

*१०३—**श्री शुगनचन्द मजदूर**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह वेतन समय पर न मिलन का कोई विशेष कारण है? यदि हां, तो क्यों?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—टाउन एरिया कमेटी के पास धन का अभाव होने से वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है।

फर्रुखाबाद जिले के सप्लाई विभाग द्वारा पनारीदार सफेद टिन के इण्डेण्ट्स

*१०४—**श्री होरीलाल यादव**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले के सप्लाई विभाग द्वारा गत वर्ष १९६१-६२ में कितने Indents पनारीदार सफेद टिन के लिये भेजे गये, कितने टन टिन की मांग उन Indents में की गई और सरकार द्वारा कितना टिन स्वीकार किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—फर्रुखाबाद जिले के सप्लाई विभाग द्वारा १९६१-६२ में ६ इन्डेन्ट्स पनारीदार सफेद टिन के लिये भेजे गये। इन इन्डेन्ट्स में १३८ टन टिन की मांग की गई। ११ टन टिन उक्त वर्ष में जिले को मिली।

*१०५-१०७—**श्री कल्पनार्थसिंह**—[हटा दिये गये।]

*१०८-१०९—**डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी**—[१ जून, १९६२ के लिये प्रश्न ८३-८४ के अन्तर्गत स्थानांतरित किये गये।]

*११०—**श्री जगरनाथ** (जिला बलिया)—[६ ठवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१११—**श्री मुन्नूसिंह**—[६ठवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

वाराणसी इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट द्वारा मकानों का गिराया जाना

*११२—**श्री गिरधारीलाल**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी नगर महापालिका के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा विगत दो वर्षों से आज तक कितने मकान अनधिकृत निर्माण के आधार पर गिराये गये और कितने तावान वसूल कर छोड़ दिये गये ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अप्रैल, १९६० से २३ मई, १९६२ तक १२० मकानों के अनधिकृत निर्माण गिराये गये तथा ६४६ अनधिकृत निर्माण संबंधी मामले तावान लगा कर छोड़ दिये गये।

*११३—**श्री गिरधारीलाल**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जो मकान गिराये गये उन मकानों को बनाने में लगभग कितना रुपया खर्च हुआ होगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अनधिकृत मकान जो गिराये जाते हैं उनके निर्माण में जनता द्वारा किये गये व्यय का कोई अभिलेख महापालिका के कार्यालय में नहीं है।

रायबरेली तथा अन्य जिलों में चावल पर लेवी

*११४—**श्री रतीपाल** (जिला रायबरेली)—क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों में चावल पर सरकारी लेवी लगती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—प्रदेश के जिन जिलों में चावल पर सरकारी लेवी लगी है उनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ४०१ पर)

*११५—**श्री रतीपाल**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला रायबरेली में कितना चावल लेवी में वर्ष १९६१-६२ में प्राप्त हुआ, कितने और कौन-कौन कर्मचारी उपरोक्त कार्य के लिये तैनात थे तथा जिले में कुल कितने लाइसेन्सदार हैं और अलग-अलग कितना चावल वर्ष १९६१-६२ में उन्होंने जमा किया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी––वांछित सूचना निम्न प्रकार है :

१९६१–६२ में जिला रायबरेली में लेवी के अन्तर्गत ५७६ मन चावल प्राप्त हुआ।

केवल पृथक रूप से चावल की खरीदारी के लिये कोई कर्मचारी तैनात नहीं किया गया।

जिले में कुल ६८ लाइसेन्सदार हैं। उन लाइसेन्सदारों की सूची जिन पर लेवी लगाई गई, संलग्न है।

उपरोक्त ५७६ मन में से अब तक ३२० मन चावल की वसूली संबंधित लाइसेन्सदारों से कोआपरेटिव सोसाइटी, लालगंज द्वारा की जा चुकी है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ४०२ पर)

शास्त्रीनगर लेबर कालोनी, कानपुर में पानी का कष्ट

*११६––**श्री सन्तसिंह यूसुफ** (जिला कानपुर)––क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य मंत्री ने २२ अप्रैल, १९६२ को कानपुर के शास्त्रीनगर में लेबर वेलफेयर सेन्टर के वार्षिक समारोह का उद्घाटन किया था? यदि हां, तो क्या वहां के मजदूरों ने अपने क्वार्टरों में पानी न मिलने के संबंध में कोई रिप्रेजेन्टेशन दिया है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा––मुख्य मंत्री ने शास्त्रीनगर में लेबर वैलफेयर सेन्टर के वार्षिक समारोह का उद्घाटन दिनांक १५–४–६२ को किया था न कि २२–४–६२ को। वहां के मजदूरों ने कोई रिप्रेजेन्टेशन क्वार्टरों में पानी न मिलने के संबंध में नहीं दिया है।

*११७––**श्री सन्तसिंह यूसुफ**––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गर्मी के दिनों में पीने तक का पानी न मिलने से मजदूरों को जो कष्ट हो रहा है उसको दूर करने के लिये अब तब क्या कदम उठाये गये हैं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा––शास्त्रीनगर लेबर कालोनी में सोपान १ के अन्तर्गत बने हुये कुछ गृहों में कम पानी मिलने की शिकायत थी किन्तु वहां पर पाइप लाइन बदल देने के पश्चात् से कोई शिकायत नहीं है। इस कालोनी में सोपान ३ के अन्तर्गत बने हुये कुछ ऊपरी मंजिल के गृहों में प्रेशर कम होने के कारण पानी कम पहुंचता है। इसके लिये पाइप लाइन को बदलने का प्रबन्ध किया जा रहा है। इस बीच पर्याप्त संख्या में वाटर स्टैंडपोस्ट (Water standpost) सड़क पर लगा दिये गये हैं जिससे किरायेदारों को कठिनाई न हो। शेष गृहों में जल की शिकायत नहीं है।

प्रश्नों के स्थगन तथा उत्तर न मिलने पर आपत्ति

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)––श्रीमन्, एक सूचना चाहता हूं कि आज जो प्रश्न सूची में लगे हुये हैं उनमें बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो अस्वीकृत किये गये हैं और ऐसे मंत्रियों से संबंधित हैं जो आज उपस्थित हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारी जो नियमावली है उसके किन नियमों के अनुसार ये प्रश्न स्थगित किये गये हैं?

श्री अध्यक्ष––इस संबंध में, आप अध्ययन कर लेंगे।

श्री चन्द्रजीत––श्रीमन्, मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं कि...

श्री अध्यक्ष––मैं निवेदन कर रहा था कि हम और आप बैठ जायं। भविष्य में भी यह प्रश्न आयेगा तो मैं भी सावधान रहूंगा।

श्री चन्द्रजीत––मैं आपका ध्यान दिलाये देता हूं और आप देख लें क्योंकि परम्परा बन गई है। आप अध्ययन कर लें और सदन को अवगत करायें।

श्री अध्यक्ष—नियमावली के प्रश्न ३९ को देखें । वह इस प्रकार है कि—

"३९–प्रश्नों के उत्तर देने का ढंग—(१) प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के विषय से सुसंगत होंगे और यदि अध्यक्ष यह विनिश्चित करें तो वे सभा की मेज पर विवरण रखने के रूप में हो सकेंगे ।

(२) किसी प्रश्न का उत्तर उस तिथि को दिया जायगा जिसके लिये वह सूचीबद्ध किया गया हो । यदि सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध न हो तो मंत्री तद्नुसार स्थिति बतायेंगे और अध्यक्ष इतना अधिक समय, जिसे वे परिस्थितियों को देखते हुये उपर्युक्त समझे दे सकेंगे तथा उत्तर के लिये कोई तिथि नियत करेंगे ।

मालूम होता है कि मंत्री द्वारा जब सूचना प्राप्त होती है हमारे यहां तो कुछ समय प्रश्नों के उत्तर में लगेगा ही तो उन सूचनाओं के अनुरूप समय बढ़ा दिया जाता है । अब चूंकि इस संबंध में सदन के माननीय सदस्यों को असुविधा होती है, तो मैं स्वयं देख लिया करूंगा कि क्या कारण उन्होंने बताया है ताकि सदन के माननीय सदस्यों को असुविधा न हो ।

श्री चन्द्रजीत—श्रीमन्, नियम ३६ और ४१ को भी देख लें जिनमें स्पष्ट रूप से जो प्रश्न स्थगित किये जायेंगे उसके लिये दिया गया है और नियम ३६ में व्यवस्था रखी गयी है कि यदि कोई मंत्री महोदय विशेष अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण अनुपस्थित रहेंगे तो इस बात का ध्यान रखा गया है कि आमतौर पर प्रश्न स्थगित नहीं होना चाहिये । लेकिन नियम ३९ (२) में यह नहीं लिखा हुआ है कि मंत्री महोदय कारण स्पष्ट बता देंगे । इसलिये यह होना चाहिये कि सदस्य जान सकें कि प्रश्न क्यों स्थगित किया गया है । लेकिन इस बात की सूचना नहीं होती है कि किस लिये स्थगित होता है । जैसा कि आपने कहा कि सम्भवत: हमारे कर्यालय में सूचना आ जाती होगी । मैं समझता हूं कि आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से देखें और कारण जान कर स्थगित करें । मैं ध्यान दिलाऊंगा कि बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न स्थगित हो जाते हैं, इसलिये आप देख लें और कारण आना चाहिये कि क्यों स्थगित किया गया है ?

श्री अध्यक्ष—मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप भी आ जायं और हम दोनों बैठकर निश्चित कर लेंगे ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी के लिये पूछना चाहता हूं कि सूची में प्रश्नों के आने का क्या कायदा है ? मेरी समझ में एक दिन प्रश्न आयें और टल जायं और दूसरे दिन भी आखिर में आयें, यह ठीक नहीं है बल्कि पहले दिन जो प्रश्न स्थगित हो गये थे उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—यह तो हम और आप बैठकर बातचीत कर लें और समझ लें । यहां तो निश्चय क्या होगा ?

श्री सन्तसिंह यूसुफ—हमारी बदकिस्मती यह है कि एक ही बार प्रश्न आया था । पहले आया तो स्थगित हो गया और आज आया तो अन्त में आया ।

श्री अध्यक्ष—इस बात के ऊपर सदन में विवाद करने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा । यह बात हम और आप बैठ कर समझ सकते हैं । हम आप को आमंत्रित करते हैं कि आप आइये । मैं देखने के लिये तैयार हूं ।

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)—एक प्रश्न के संबंध में और निवेदन कर दूं कि जिन प्रश्नों का जवाब दे दिया जाता है, उनके बारे में भी आपके कार्यालय से लिख कर दे दिया जाता है कि यह अस्पष्ट है, इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष—इस पर हम लोग मिल कर, बैठ कर बात कर लेंगे ।

श्री शिवचरण (जिला आगरा)—एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष——व्यवस्था का प्रश्न उस समय पैदा होता है जब कोई कार्यवाही हो रही हो ।

श्री शिवचरण——मेरे दो प्रश्न मार्च से नहीं आ रहे हैं । १४७, १८८ नम्बर पर आते हैं । इस प्रकार तो मेरे प्रश्न आ ही नहीं सकेंगे ।

श्री अध्यक्ष——उसी के संबंध में निमंत्रित कर रहा हूं । आप आ जाइये, हम जांच कर लेंगे ।

नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति के अधीन प्रख्यापित नियमावली*

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)——अध्यक्ष महोदय, मैं नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या ७१–म (नि–१६)–११–ग–१ कार्प (४)–५७ दिनांक, २६ फरवरी, १९६२ के अधीन प्रख्यापित महापालिका पशुकर नियमावली, जो दिनांक १ मई, १९६२ को सदन की मेज पर रखी गयी महापालिका वाहन कर नियमावली, १९६२ के साथ संलग्न है, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखती हूं ।

श्री अध्यक्ष——आइटम नम्बर ४ ।

श्री टम्बरेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)——अध्यक्ष महोदय, आप जो नम्बर दो आइटम, नम्बर चार आइटम कहते हैं, इस पर मुझे आपत्ति है । इन के पर्यायवाची हिन्दी में हैं ।

श्री अध्यक्ष——आप बता दीजिये क्या कहूं ? मद संख्या, मद नम्बर कहूं ? मुझे शब्द मालूम नहीं था । अच्छा हुआ आपने बतला दिया ।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष——मेरे पास दो विशेषाधिकार की सूचनाएं आयी हैं । एक माननीय दीपनारायणसिंह की है । उन्होंने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न माननीय मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त के विरुद्ध उठाया है । उन्होंने यह कहा है कि माननीय अध्यक्ष की असहमति के होते हुए भी सदन स्वयं इस प्रश्न पर निर्णय दे ।

मैं इसके लिये अनुमति नहीं दे रहा हूं । यही प्रश्न १९६० में हैदराबाद में स्पीकर्स कान्फ्रेंस में आया था कि यदि किसी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर अध्यक्ष अपनी अनुमति न दे और इस परिणाम पर पहुंचे कि विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता तो ऐसा प्रश्न सदन के समक्ष स्पीकर की असहमति के होते हुए भी प्रस्तुत किया जा सकता है या नहीं । जो प्रश्न माननीय दीपनारायण जी ने रखा है वही प्रश्न स्पीकर्स कान्फ्रेंस में सन् ६० में, जैसा मैंने निवेदन किया, आया था । लोक सभा के स्पीकर और हमारे भारतवर्ष की विभिन्न विधान सभाओं के स्पीकर्स की उपस्थिति में इस प्रश्न पर विचार-विनिमय हुआ । लोकसभा के स्पीकर, जो उस समय सभापतित्व कर रहे थे उन्होंने कहा था कि लोक सभा के नियम १८६, जो हमारे नियम १०८ के बराबर है, से यह स्पष्ट होता है कि विशेषाधिकार की अवहेलना से संबंधित प्रश्न एक संकल्प के रूप में सदन के समक्ष नहीं आ सकता । नियम १०८ मैं आपके सामने पढ़कर सुना दूं——

> "कोई प्रश्न ग्राह्य् हो सकेगा इसके लिये वह निम्न शर्तें पूरी करेगा, अर्थात्
>
> (४) उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायगा ।"

---

*छापी नहीं गयी ।

[श्री अध्यक्ष]

यही प्राविधान लोकसभा के नियम १८६ द्वारा प्रतिपादित किया गया है। लोक सभा के अध्यक्ष ने अपना विचार प्रकट करते हुये कहा कि नियम जब बन गये हैं तो नियम का अनुसरण और पालन करना अनिवार्य है। उस पर प्रश्न यह उठा कि क्या अध्यक्ष का निर्णय गलत होते हुए यह उचित न होगा कि वह प्रश्न सदन के समक्ष लाया जाय और क्या अगर ऐसा नियम बनाया जाता है तो वह हमारे संविधान के अनुच्छेदों और प्राविधानों के विरुद्ध होगा? इस पर विचार करते हुए अन्त में जिस परिणाम पर वह स्पीकर्स कान्फ्रेंस पहुंचो उसको मैं आपके सामने निवेदन कर दूं—

"The Chairman winding up the debate said that the Legislatures in India were equated to the House of Commons only in matters of substantive law relating to privileges and not in procedural matters. So far as, procedural matters were concerned the Speaker was competent to frame rules regulating them with the approval of the House. When a rule was framed regulating procedure for raising a motion of privilege the same could not be challenged. The Speaker, Jammu and Kasmir queried, If such a rule could be queried in a Court of law. The Chairman replied that according to the Constitution, so far as the rules of procedure were concerned, no court of law had any jurisdiction over them."

इसका अर्थ यह है कि अगर हम प्रक्रिया संबंधी नियम बना लेते हैं जैसा कि एक नियम है कि संकल्प में किसी स्थिति और अवस्था में भी विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता तो वह प्रक्रिया का नियम होने के कारण इस सदन पर या जहां जहां वह नियम हो वहां वहां सदन उसका पाबन्द होगा। और जो प्रक्रिया संबंधित अन्य प्रतिबन्ध रखा गया है वह भी सदन के ऊपर लागू होगा। एक बार अगर मैंने यह निश्चय कर लिया कि विशेषाधिकार की अवहेलना के संबंध में प्रश्न पैदा नहीं होता और मैं अपना निर्णय दे देता हूं तो वह निर्णय हमारे नियमों के अनुसार भी अन्तिम है और फाइनल है। नियम ३१८ कहता है कि उस संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। जहां तक प्रक्रिया का सवाल है, उस प्रक्रिया से हम सब लोग पाबन्द हैं। अगर हमारे आदरणीय सदन के सदस्य इस सिलसिले में जो बहस और विचार-विनिमय स्पीकर्स कान्फ्रेंस में हुआ था, उसको देखने की कृपा करेंगे तो वे सारे प्रश्न, जो माननीय दीपनारायण सिंह जी इस सूचना के द्वारा उठाना चाहते हैं, उन सब के ऊपर विचार करने के अनन्तर इसी परिणाम पर पहुंचेंगे जिस पर वह कान्फ्रेन्स पहुंची कि किसी संकल्प के द्वारा यदि स्पीकर अपनी अनुमति नहीं देता है तो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया नहीं जा सकता।

तो इस अवस्था में मैं उस प्रस्ताव को आपके सामने पढ़ दूं और मैं उसी कारण से इसको अस्वीकृत करता हूं जिसका विवरण अभी किया। आपका प्रस्ताव यह है कि "चूंकि माननीय मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त जी ने इस सदन के प्रत्यक्ष दिनांक ४, ५, ६२ को संविधान के अनुच्छेद २११ एवं नियम २८९ (२) (ख) (च) का उल्लंघन करके विशेषाधिकार की अवहेलना व सदन का अवमान किया, इसलिये उन्हें दंडित कराने की प्रक्रिया में माननीय अध्यक्ष महोदय के नियम ६४ के अन्तर्गत दी जाने वाली किसी सम्मति के बिना भी इस सदन को उक्त विशेषाधिकार की अवहेलना व सदन के अवमान के प्रश्न को निर्णय करने का अधिकार प्राप्त है। सम्मति किसी प्रकार भी व्यवस्था या नियम का रूप नहीं ले सकती। उसके न होते हुए नियम ६९ के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय प्रस्तावकों को सदन के समक्ष अपने प्रस्ताव रखने की बात कहते और सदन द्वारा आगामी तिथि पर विचारार्थ रखने की घोषणा करते। ऐसी दशा में यह सदन निश्चय करता है कि उक्त विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन के अवमान के प्रश्न को वह माननीय अध्यक्ष महोदय की असहमति के होते हुये भी स्वयं निर्णय करेगा।"

तो मैं अधिक उन विचारों में और प्रतर्कों में, जिनका हवाला स्पीकर्स कान्फ्रेन्स में दिया गया था, न जाकर इसको स्वीकार करने में असमर्थ रहा हूं और इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आपने जो रूलिंग दी, उस संबंध में आपने स्पीकर्स कान्फ्रेन्स का हवाला दिया। क्या स्पीकर्स कान्फ्रेन्स के डिसीजन इस सदन के ऊपर बाइंडिंग है? क्या स्पीकर्स कान्फ्रेन्स की रिपोर्ट गोपनीय है या हम लोग भी उसको देख सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं?

श्री अध्यक्ष—मैं आपसे यह निवेदन कर दूं कि सिर्फ मैं यह दिखा रहा था कि अगर मैं गलत हूं तो क्या बड़े-बड़े भी यह गलती कर रहे हैं। हमारे देश के प्रमुख व्यक्तियों की ऐसी राय है और वह जिस परिणाम पर पहुंचे हैं उस से मेरी बात का समर्थन होता है। इसमें पाबन्दी का प्रश्न नहीं होता है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सदन के सामने वह रूलिंग रख दूं आपको नियमावली के उन नियमों को स्पष्ट करने के लिये जिनसे स्पष्ट हो जाय और मैं अपने प्वाइंट को जरा स्ट्रेस कर सकूं।

श्री अध्यक्ष—मैं निवेदन कर दूं कि आप ब्रिटिश पार्लियामेंट के संबंध में जो कुछ कहना चाहें उसका इसमें भी उल्लेख है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो पद्धतियां हैं इस विषय में वह हमारे ऊपर लागू नहीं हैं और इस वजह से मैंने पढ़ा। सब्स्टेंटिव ला का जहां तक प्रश्न है, प्रिविलेज के संबंध में, वे तो हमारे ऊपर लागू होते हैं, लेकिन प्रक्रिया संबंधी जो पार्लियामेंट के प्रोसीजर्स हैं वे हमारे ऊपर लागू नहीं होते।

(व्यवधान)

अब मैं दूसरा ले रहा हूं। (श्री दीपनारायणसिंह के खड़े होने पर) आप को जो कुछ कहना हो, बाद में कहियेगा।

काशीनाथ जी ने भी वही प्रश्न उठाया है। २४ मई, १९६२ के बारे में कि कई बार माननीय मुख्य मंत्री को मुझे बुलाना पड़ा ताकि वह चन्द्रजीत यादव द्वारा किये गये प्रश्न का उत्तर दें। आपने यह लिखा है कि "कल २४-५-६२ को प्रश्नोत्तर काल के उपरान्त नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा दिये गये बयान से उत्पन्न पूरक प्रश्नों का उत्तर देने के लिये माननीय अध्यक्ष महोदय ने दो बार 'माननीय मुख्य मंत्री, माननीय मुख्य मंत्रीजी', कहा फिर "आर्डर" शब्द के साथ मेज ठोक कर दो बार 'माननीय मुख्य मंत्री', फिर जरा ऊंचे स्वर में 'माननीय मुख्य मंत्री जी' कह कर पुकारा, फिर भी माननीय मुख्य मंत्री जी खड़े नहीं हुए। उसके बाद जब सरकारी पक्ष का दूसरा सदस्य अपना स्थान छोड़ कर मुख्य मंत्री जी के पास आया और उनका कंधा झकझोर कर माननीय अध्यक्ष की ओर आकृष्ट किया तब मुख्य मंत्री जी खड़े हुए और माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश की अवहेलना करने का कारण दिये कि चूंकि वह माननीय सूचना मंत्री जी से बात कर रहे थे इसलिये माननीय अध्यक्ष के आदेश की ओर ध्यान नहीं दिये।

माननीय अध्यक्ष के लगातार चार बार जोर से पुकारने के बाद माननीय मुख्य मंत्री का खड़ा न होना स्पष्ट अध्यक्ष का अवमान है। अध्यक्ष का अवमान सदन का अवमान है। आदरणीय सदन का अवमान विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न प्रस्तुत करता है। अतः मैं माननीय मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त जी के विरुद्ध विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न प्रस्तुत करता हूं।"

मेरा निवेदन इस संबंध में था कि जिस समय यह घटना हुई उसी समय माननीय मुख्य मंत्री से मैंने कह दिया था कि उनका ध्यान सदन की कार्यवाही के प्रति बहुत स्पष्ट रहना चाहिये ताकि सदन को उनकी यहां उपस्थिति का पूरा सहयोग मिल सके और मैं समझता हूं कि जितनी बात मैंने कही उससे वहीं नियंत्रण हो गया और अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उग्रसन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के हिसाब से और सारी दुनिया में यह तो डिस-ओबीडियेन्स है, अवज्ञा है और हाउस का सीधा-सीधा अवमान है।

श्री अध्यक्ष---मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में यह भी लिखा है कि कोई शख्स नहीं बोलेगा जब तक कि अध्यक्ष उसका नाम न ले। आप मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस का पालन कीजिये। मैंने आपको बुलाया नहीं है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---नियम ५२ और कार्य-स्थगन प्रस्ताव एक दो हैं। माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने जो प्रस्ताव भेजा है उसे मैंने नियम ५२ में माननीय श्रम मंत्री जी के पास भेज दिया है। माननीय श्रम मंत्री इस पर कब तक प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्रम मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---इसी संबंध में मैंने ११ तारीख को अपना बयान दिया था। उसक बाद मुझ खेद है कि उस परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। हमारी बहुत कोशिश के बावजूद भी कोई परिवर्तन नहीं आया और इसका कारण यह है कि उसके मालिक हिन्दुस्तान के बाहर हैं। जब तक कारखाने के मालिक यहां न आ जायं तब तक हम किसी तरह फैसला नहीं करवा पा रहे हैं। उम्मीद है कि वे दो तीन रोज में बाहर से वापस आ जायेंगे। अगर ७ दिन का समय दिया जा सके तो कोई नयी बात जरूर बतलायी जा सकेगी, नहीं तो परिस्थिति वैसी की वैसी ही रहेगी।

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)---क्या सूचना थी यह तो हम लोगों को मालूम नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष---माननीय कल्पनार्थसिंह जी, यदि ७ दिन के लिये वह स्थगित कर दी जाय तो कोई हर्ज है ?

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---इसमें तो बहुत देर हो जायगी। जरा जल्दी हो जाय।

श्री अध्यक्ष---तो पहले मैं इसे पढ़े देता हूं। वह इस प्रकार है---

"अलीगढ़ जिले के हाथरस नामक स्थान में एम० के० क्लाथ ऐन्ड जनरल मिल्स तथा बिजली काटन मिल्स के मजदूरों ने गत २८ अप्रल, १९६२ से शान्तिपूर्ण हड़ताल कर रखी है। इस सदन में विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम ५२ के अन्तर्गत सरकार एवं सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। किन्तु यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जहां इस सरकार को मजदूरों की न्यायोचित मांगों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाना चाहिये था वहां उल्टे सरकार ने उद्दंडता और बर्बरतापूर्ण नीति अपना कर न केवल हड़तालियों की मांगों को ही अनसुनी किया, बल्कि शान्तिपूर्ण हड़तालियों को पुलिस ने मारा, गिरफ्तार किया, यूनियन कैम्प पर हमला किया, पार्टी का झंडा छीना, फाड़ा जिससे शांति भंग का अन्देशा पैदा हो गया है।"

इस पर माननीय संबंधित मंत्री अपना वक्तव्य देना कब चाहेंगे ? पहली या दूसरी को दे सकेंगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---प्रध्यक्ष महोदय, बयान तो मैं दे सकती थी, लेकिन अभी तक स्थिति में परिवर्तन नहीं हो पाया है, क्योंकि मालिक बाहर गये हुये हैं। हम चाहते थे कि जब मालिक बाहर से आ जाते, वे दो तीन दिन में आने वाले हैं, तो हम इस मामले को निबटाने की कोशिश करते और उसके बाद इस सदन को उसकी सूचना देते तो ठीक रहता। इसके लिये एक हफ्ते का टाइम रख दीजिये। वैसे तो मैं २ तारीख को भी बयान दे सकती हूं।

श्री कल्पनार्थसिंह---श्रीमन्, इसमें पुलिस की बर्बरता के संबंध में भी शिकायत है, उस संबंध में माननीय मंत्री जो कुछ आश्वासन दे देते। इसको आप दो तारीख को रख दें।

श्री अध्यक्ष—दोनों बातें साथ-साथ आ जायेंगीं। यह दूसरी को रख दिया जायगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीया सुचेता जी की बात सुनी। अगर वे दो दिन बाद बयान देना चाहें तो यह ठीक रहेगा कि उनको वह समय और दे दिया जाय। उन्होंने कहा है कि वे उसको निबटाने की कोशिश करेंगी और अच्छा हो कि मामला सुलझ जाय। तो मैं समझता हूं कि एक दो दिन में मामला बिगड़ने वाला नहीं है, उनको दो दिन का टाइम और दे दिया जाय, इसके लिये माननीय कल्पनाथसिंह जी को भी आपत्ति नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष—जैसा कि माननीया मंत्राणी जी ने कहा, बहुत स्पष्ट है कि वे सहानुभूति-पूर्वक झगड़े को निबटाना चाहती हैं। जब माननीय कल्पनाथसिंह जी को ४ तारीख के लिये आपत्ति नहीं है, तो मैं इसको ४ तारीख के लिये रख देता हूं। यह ४ तारीख को लिया जायगा।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—मेरा भी प्रस्ताव था....

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठिये, एक दिन में एक ही प्रस्ताव लिया जा सकता है। आप उसको किसी और रूप में फिर दे दीजिये।

अब मैं कमेटियों के निर्वाचन के बारे में कुछ सूचना देना चाहता हूं....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, हमारा भी नियम ५२ का एक प्रस्ताव था और वह बहुत महत्त्वपूर्ण था। मैं ५ रोज से उस प्रस्ताव को रख रहा हूं। अलाभ कर जोत के संबंध में (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष—माननीय उग्रसेन जी, आप कृपया बैठिये।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, उस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी से आप बयान तो दिलवा दीजिये। वह हमारी बहुत सी महत्त्वपूर्ण मांगें हैं कृपया (व्यवधान) आप मंत्री जी से पूछ तो लीजिये।

श्री अध्यक्ष—जरूरत होगी तो मैं पूछ लूंगा। यह इस तरह से बोलना ठीक नहीं है। आप कृपया बैठ जायं, आप कृपया बैठिये...

(श्री उग्रसेन अपने स्थान पर खड़े रह कर बोलते रहे)

मैं आपको पुनः आदेश देता हूं कि आप कृपया बैठ जायं।

एक सदस्य—आपकी आज्ञा का माननीय सदस्य ने अनेक बार उल्लंघन किया है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उग्रसेन—मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है। आप सरकार से स्पष्टीकरण दिलाते हैं.....

श्री अध्यक्ष—आपकी नोटिस मेरे पास बार-बार आई कि सरकार से यह मांगें हैं। मैंने आदेश दिया कि आपकी मांगें आज की नहीं बल्कि पिछले पांच वर्षों से सुनते आ रहे हैं और सरकार की नीति जो है उसकी घोषणा सदन के अन्दर और सदन के बाहर बार-बार होती रही है....

श्री उग्रसेन—यह जनता की मांग है।

श्री अध्यक्ष—यदि आप बैठ नहीं रहें हैं तो आप सदन छोड़ दीजिये। मैं आदेश देता हूं कि आप सदन छोड़िये।

श्री उग्रसेन—मेरी बात तो सुन लीजिये।

(श्री उग्रसेन बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष--मैं सदन का ध्यान दिलाता हूं कि माननीय सदस्य मेरे आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं इसलिये मैं उनको 'इंगित' करता हूं ।

श्री उग्रसेन--आप सक्षम हैं इंगित करने के लिये।

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि आपके आदेश का उल्लंघन करने के कारण माननीय सदस्य को इस सदन की सेवा से दो दिन के लिये वंचित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि श्री उग्रसेन को सदन के बाहर जाने की अध्यक्ष द्वारा दी गई आज्ञा न मानने पर, दो दिन के लिये सदन को सेवा से वंचित किया जाय ?

(विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई)

श्री उग्रसेन--प्रस्तुत प्रस्ताव में मेरा संशोधन है कि माननीय मुख्य मंत्री को चार दिन के लिये सदन से निकाल दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--इस समय यह प्रश्न नहीं है । प्रश्न यह है कि श्री उग्रसेन को सदन के बाहर जाने की अध्यक्ष द्वारा दी गई आज्ञा न मानने पर दो दिन के लिये सदन की सेवा से वंचित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ--

पक्ष में---१३८
विपक्ष में---७२) ।

श्री अध्यक्ष--माननीय उग्रसेन जी सदन छोड़ें ।

श्री उग्रसेन--मेरा व्वयस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--आपको अधिकार नहीं है इस समय सदन में रहने का ।

(तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने मार्शल को आदेश दिया कि वह नम्रता-पूर्वक श्री उग्रसेन से सदन के बाहर जाने के लिय प्रार्थना करें ।)

श्री उग्रसेन--सदन हमको बाहर निकाल सकता है, लेकिन जनता ने हमको भी कुछ जिम्मेदारी सौंपी है. . .

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके सदन छोड़िये । आप यहां पर अब बोल नहीं सकते । मार्शल माननीय सदस्य को बाहर ले जायं ।

(मार्शल ने श्री उग्रसेन के पास जाकर प्रार्थना की कि वे सदन के बाहर चले जायं, किन्तु वे बराबर बोलते रहे ।)

श्री उग्रसेन--मैं बाहर तो जाता हूं, लेकिन इस तरह से सरकार चुप्पी साध कर देश के गरीबों की जिन्दगी के साथ खिलाड़ नहीं कर सकती ।

(इसके उपरान्त मार्शल श्री उग्रसेन के पास गये और तब मार्शल के प्रार्थना करने पर श्री उग्रसेन सदन से बाहर चले गये ।)

श्री नरसिंहनारायण--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं । अभी मैंने देखा कि माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय सूचना मंत्री जी दोनों, जबकि आप आदेश दे रहे थे, उस समय तैश में आ गये और तैश में आ करके उन्होंने इस सदन का अवमान किया है और आपका अवमान किया । इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री तथा सूचना मंत्री को इस सदन से एक हफ्ते के लिये निष्काशित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--आप कृपया बैठें । (व्यवधान) ।

श्री नरसिंहनारायण—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जिस नियम के अन्तर्गत माननीय नेता सोशलिस्ट पार्टी को दो दिन के लिये इस सदन से निलम्बित किया गया है उसी प्रक्रिया नियमावली के अन्तर्गत में आपसे अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री और सूचना मंत्री को एक हफ्ते के लिये इस सदन से निलम्बित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—नरसिंह नारायण जी, कोई सदन से बाहर नहीं निकाला जा सकता जब तक कि उसको इंगित न किया जाय, । मैंने उनको इंगित नहीं किया है और न उन्होंने ऐसा कोई व्यवहार ही किया है । आपका ऐसा कोई प्वाइंट नहीं, इसलिये आप कृपया बैठ ।

(व्यवधान)

श्री नरसिंहनारायण—मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब इसी तरह का प्रस्ताव मुख्य मंत्री ने किया था तो उसे आपने स्वीकार कर लिया, फिर जब मैं मुख्य मंत्री के खिलाफ इसी तरह का प्रस्ताव कर रहा हूं तो उसे आप क्यों नहीं स्वीकार करते ?

श्री अध्यक्ष—मुझे एक सूचना देनी है ....।

(व्यवधान)

श्री नरसिंहनारायण—श्रीमन्, मैं फिर प्रस्ताव करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री व सूचना मंत्री को एक हफ्ते के लिये इस सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके लिये कि उन्हें निलम्बित किया जाय ।

श्री नरसिंहनारायण—श्रीमन्, आपके निर्णय को शिरोधार्य करते हुये भी जो आपने व्यवस्था दी है उससे हम असहमति प्रकट करते हैं, क्योंकि इससे माननीय सदन के विशेषाधिकार का प्रश्न पैदा होता है । आपकी व्यवस्था से असहमति प्रकट करते हुये सोशलिस्ट पार्टी के सारे सदस्य सदन का परित्याग एक घंटे के लिये करते हैं ।

(इसके उपरान्त समाजवादी दल के सभी सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

विधान मंडल पुस्तकालय परामर्शदात्री, नियम तथा याचिका समितियों के सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—जिन सदस्यों को मैंने विधान मंडल पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति के लिये मनोनीत किया है वे इस प्रकार हैं—

(विधान सभा के सदस्य)

१—श्री होतीलाल अग्रवाल, उपाध्यक्ष, उभापति,
२—श्री अहमद बख्श,
३—श्री रामप्रसाद देशमुख
४—श्री नौरंग लाल,
५—श्रीमती किश्वर आरा बेगम,
६—श्री वीरसेन,
७—श्री केशभान राय,
८—श्री गुलाब सिंह,
९—श्री किशोरीलाल अग्रवाल,
१०—श्री सूबेदार सिंह,
११—श्री झारखंडे राय,
१२—श्री दीपनारायण सिंह,

[श्री अध्यक्ष]

१३—श्री सत्यनारायण पांडेय,
१४—डाक्टर रघुनाथसिंह,
१५—श्री शिवनाथ सिंह,
१६—श्री भानुप्रतापसिंह,
१७—श्री रामसुन्दर शास्त्री,
१८—श्री रक्षपाल शर्मा,
१९—श्रीमती सुशीला नायर,
२०—श्री अब्दुल बशीर खां,

(विधान परिषद् के सदस्य)

२१—डाक्टर ईश्वरीप्रसाद,
२२—श्री महावीरसिंह,
२३—श्रीमती सावित्री श्याम,
२४—श्री मदनमोहन,
२५—बेगम ऐजाज रसूल।

नियम समिति—

नियम समिति में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य हैं—

१—श्री हुकुमसिंह विसेन,
२—श्री सैयद अली जहीर,
३—श्री बनारसीदास,
४—श्री जगदीशप्रसाद,
५—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट,
६—श्री रामजीलाल सहायक,
७—श्री डूंगरसिंह,
८—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा
९—श्री कल्पनाथसिंह,
१०—श्री अवधेशकुमार सिन्हा,
११—श्री रामाधार कनौजिया,
१२—श्री भगवान सहाय,
१३—श्री झारखंडे राय।

याचिका समिति—

याचिका समिति में श्री उपाध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य हैं—

१—श्री जगदीशशरण अग्रवाल,
२—श्री सुक्खन लाल,
३—श्री जियाऊर्रहमान,
४—श्री गंगासिंह विष्ट,
५—श्री छत्रपति अम्बेश,
६—श्री गंगाप्रसादसिंह,
७—श्रीमती राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी,
८—श्री रामरूपसिंह,
९—श्री हरिनाथ तिवारी,

१०--श्री सहदेवसिंह,
११--श्री लक्खीसिंह,
१२--श्री शराफत हुसैन रिजवी,
१३--श्री काशीनाथ बहादुर पाल,
१४--श्री विक्रम शाह ।

भावी कार्य-क्रम के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष--अब माननीय सूचना मंत्री हमारे कार्यक्रम के संबंध में कुछ घोषणा करेंगे ।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)--श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं सदन के कार्यक्रम के संबंध में निवेदन करता हूं कि ४ तारीख तक तो इस सदन के अन्दर बजट पर विचार करना था और एप्रोप्रियेशन बिल पास करना था। ५ तारीख को नान आफिशयल डे था और ६, ७ तारीख को सरकार की तरफ से दो विधेयकों पर विचार करना था। तो ६, ७ तारीख को उन दो विधेयकों पर विचार नहीं किया जा सकेगा और सरकार ने ऐसा निश्चय किया है कि दूसरे अधिवेशन में ही उन पर विचार किया जाय। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि यह अधिवेशन ४ तारीख को ही समाप्त कर दिया जाय और ५ तारीख को जो गैर सरकारी दिन था उसके लिये दूसरे अधिवेशन में पहला दिन दे दिया जाय और यदि शुक्रवार ही पड़ता हो तो शुक्रवार के साथ ही एक दिन और अगले अधिवेशन में दे दिया जाय ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। अब माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में मौजूद हैं तो नेता सदन के नाते यह आगामी कार्यक्रम की घोषणा उनको स्वयं करनी चाहिये और अन्य किसी व्यक्ति को नहीं ।

श्री अध्यक्ष--ऐसा हमारे नियमों में नहीं है, अन्य कोई उन की तरफ से कर सकता है। अब माननीय नेता विरोधी दल इस कार्यक्रम के विषय में कुछ कहेंगे ?

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जब माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दे दिया कि अगले सत्र में पहले ही दिन असरकारी कार्य लिया जायगा तब फिर कोई आपत्ति की बात नहीं है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--श्रीमन्, एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि हमारे गैरसरकारी दिनों के संबंध में जरा उदारता बरती जानी चाहिये । पिछली बार कुछ ऐसा रहा कि गैरसरकारी दिन जितने मिलने चाहिये थे वह नहीं मिले और सरकार की ओर से इस संबंध में कुछ नादिहन्दगी दिखलाई गई, हमें डर है कि अब के भी ऐसी बात न हो। इस साल बात यह है कि.....

श्री अध्यक्ष--मैं जिम्मेदारी लेता हूं गेंदासिंह जी, हम देखेंगे और जैसा मंत्री जी ने कहा है, पहला ही दिन अगले सत्र में असरकारी होगा ।

श्री गेंदासिंह--इसके अलावा एक बात और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं और वह यह है कि क्या हम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बिल के लिये उम्मीद करें कि वह दोबारा अवश्य सदन में आ जायगा, उस में देर तो न होगी ? सारे सूबों में ऐसा कानून बन चुका है और यही सूबा इस मामले में पिछड़ा हुआ है । उसके न आने का तो कोई अन्देशा अगले सेशन में नहीं है ?

श्री अध्यक्ष--अभी तो वह बिल इन्ट्रोड्यूस भी नहीं हुआ है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त--श्रीमन्, मैं इतना जरूर जानना चाहूंगा कि यह सेशन एडजर्न होगा या प्रोरोग होगा ? एडजर्न ही हो तो ज्यादा अच्छा है ।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अभी तो एडजर्न ही होगा । इस के अलावा माननीय गेंदासिंह जी ने जो शिकायत की कि सरकार की तरफ से नादिहन्दगी हुई तो उस संबंध में मैं उन्हें आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि वह असरकारी दिन उन को मय सूद के आगे दिये जायंगे ।

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि विधान सभा का सत्र बहुत पिछड़ कर बुलाया जाता है और जब बुलाया जाता है तो सरकार को बड़ी परेशानी महसूस होती है और वह उसे जल्द बन्द करना चाहती है और गैर सरकारी दिवस देने में भी वह कोई प्रसन्नता महसूस नहीं करती ।

दूसरा निवेदन मेरा यह भी है कि विधान सभा का सेशन जल्द बुलाया जाना चाहिये ताकि समय से अधिक काम हो सके । इसके अलावा जो लोकसभा का तरीका है कि बन्द होने से कुछ दिन पहले ही वहां आगे के सेशन की तारीख बता दी जाती है, इस प्रकार की चीज करने के लिये कई बार सदन में चर्चा हुई कि यहां पर भी वही परिपाटी अपनाई जाय और माननीय मुख्य मंत्री ने और अध्यक्ष, श्री खेर, ने कई बार आश्वासन भी दिया कि यहां भी वही परिपाटी अपनाई जायगी । पहले से तारीख निश्चित न होने का हम लोगों के प्रोग्राम पर कभी कभी बहुत बुरा असर पड़ता है और बहुत से कामों के करने में हर तरह की दिक्कतें सामने आती हैं । मेरा निवेदन है कि आप मुख्य मंत्री से आग्रह करें . . . ।

श्री अध्यक्ष---मैं निवेदन करूंगा कि ज्यादा उपयुक्त होता कि जो बातें आप कह रहे हैं वह आप अपने दल के नेता के द्वारा कहते और यह सब बातें नेता सदन, मैं और अन्य नेता मिलकर तय कर लेते । यदि हर पार्टी के सदस्य सुझाव दें तो कठिनाई होगी । तो नेता विरोधी दल, नेता सदन, श्री गेंदा सिंह जी, श्री जेड० ए० अहमद ,यह सब लोग विचारशील व्यक्ति हैं, सब लोग तय कर लेंगे ।

श्री रामसुन्दर---मेरी धृष्टता क्षमा की जाय । अगर माननीय नेता सदन और हमारे नेता से हम लोगों की बातचीत न हो सके तो उस समय हर एक माननीय सदस्य को अपनी बात कहने का अधिकार है ।

श्री अध्यक्ष---मैं कब कहता हूं कि अधिकार नहीं है । लेकिन ज्यादा शोभा इसी में है कि नेताओं द्वारा इस किस्म की बात आये ।

श्री अध्यक्ष को अध्यक्ष-पद से हटाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---एजेन्डे के क्रम संख्या ९ पर जो आइटम है वह मुझ से संबंधित है, इस वजह से माननीय उपाध्यक्ष इसका संचालन करेंगे ।

(इस समय १२ बजकर ४७ मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करने की सदन से अनुज्ञा मांगता हूं :—

"दिनांक ४ मई, १९६२ से १७ मई, १९६२ ई० तक माननीय जस्टिस मुल्ला व उनके संबंधित निर्णय के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री, चन्द्रभानु गुप्त, के आक्षेपों के बारे में माननीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा, द्वारा जो व्यवस्था, विनिश्चय व निर्णय दिय गय उनसे सदन के अवमान और विशेषाधिकार की अवहेलना तथा संविधान की उपेक्षा होती है । इसलिये सदन का निश्चय है कि माननीय श्री मदनमोहन वर्मा जी को अध्यक्ष पद से हटा दिया जाय ।"

इस प्रस्ताव के पहले नियम २७१(२) के अन्तर्गत.....

श्री उपाध्यक्ष---आप कोई भाषण नहीं दे सकते, केवल रीजन्स बतायेंगे और वह भी संक्षेप में ।

श्री दीपनारायणसिंह—मैं संक्षेप में जो रीजन्स बता रहा हूं वह भी केवल १ घंटा लेगा, क्योंकि कानून और संविधान का संबंध है....

श्री उपाध्यक्ष—कोई स्पीच आपकी नहीं होगी।

श्री दीपनारायणसिंह—मैं समझ रहा हूं, मैंने नियमों को पढ़ लिया है। मैं माननीय मदनमोहन जी वर्मा को सीनियर ब्रदर लाइयर समझ कर....

श्री उपाध्यक्ष—यह कोई रीजन नहीं है; यह तो आप भाषण शुरू कर रहे हैं, केवल रीजन्स बताइये।

श्री दीपनारायणसिंह—मैं रीजन्स दे रहा हूं, एक-एक करके। पार्लियामेंट की रूलिंग लाया हूं, संविधान लाया हूं। आप भी सदन के नियम और संविधान के मातहत काम कर रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष—आप तो फिर भाषण देते जा रहे हैं।

श्री दीपनारायणसिंह—विशेषाधिकार की अवहेलना तथा संविधान की उपेक्षा और सदन के अवमान का प्रश्न निहित है। इन तीनों के संबंध में रीजन्स दे रहा हूं। इसलिये मैं समझता हूं कि मुझे बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—रीजन्स दीजिये।

श्री दीपनारायण सिंह—रीजन्स के संबंध में ही कहना चाहता हूं। वह १ मिनट में तो नहीं बताये जा सकते।

श्री उपाध्यक्ष—नियम में साफ तौर से लिखा हुआ है कि भाषण नहीं होगा।

श्री दीपनारायणसिंह—आप कांस्टीट्यूशन की किताब मंगायें और पार्लियामेंट की १९५९-६० की रूलिंग मंगा लीजिये। मैं उनका उद्धरण देता हूं। आर्टिकिल २०८ के अन्तर्गत ही इस विधान सभा के नियम बनते हैं और २११ के अन्तर्गत यह लिखा हुआ है कि जज के कंडक्ट के खिलाफ असम्बली में कोई डिसकशन नहीं हो सकता। ४ मई, १९६२ को हर सदस्य यह देख रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री ने अनुच्छेद २११ की अवहलना की। माननीय जस्टिस मुल्ला ने जिस पद पर आसीन हो कर निर्णय दिया है वह गलत, असंतुलित और वास्तविकता से परे है, ऐसा उन्होंने कहा। इसका साफ अर्थ है कि उन्होंने जानबूझ कर माननीय मुल्ला ने जो ड्यूटी हाईकोर्ट के जज की हैसियत से डिसचार्ज की उस पर हमला किया। आर्टिकिल २११ संविधान का होने से सुप्रीम आर्टिकिल है। कांस्टीट्यूशन सुप्रीम है। उसकी आवहेलना करके आप यहां कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, यहां सदन में हम लोग नहीं बैठ सकते।

श्री उपाध्यक्ष—एक रीजन हो गया।

श्री दीपनारायणसिंह—यह रीजन ऐसे समझ में नहीं आता। यह मजाक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—एक निवेदन मैं कर दूं। वह यह है कि हीट पैदा करने से कोई फायदा नहीं। मैं यह चाहता हूं कि जैसा कायदा है उसके मुताबिक सारा काम चले। इसमें यह तो साफ लिखा हुआ है कि कोई भाषण नहीं होगा, कोई डिबेट नहीं होगी। माननीय सदस्य जो इस प्रस्ताव पर बहस कर रहे हैं वह केवल रीजन्स बतला देंगे, यह नहीं कि उस पर एक भाषण हो जाय। आप एक-एक करके, जितने रीजन्स होंगे, वह बतला दीजिये। उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं इधर के माननीय सदस्यों से भी कहूंगा कि रीजन्स जब तक वह दे रहे हैं तब तक कोई हस्तक्षेप न हो। शान्ति के साथ सारा काम हो जाय। जब आपको लीव मिल जायगी उसके बाद डिबेट होगी। लेकिन उसके पहले आप केवल रीजन्स बतलायें।

श्री दीपनारायणसिंह---मैं इस प्रस्ताव की अनुज्ञा मांगते हुए कानूनी और वास्तविक तथ्यों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं रीजन नं० १, २, ३ करके। नम्बर एक रीजन यह है कि ४-५-६२ को इस सदन के समक्ष इस सदन की अवहेलना हुई है और संविधान की भी उपेक्षा हुई है और माननीय मुख्य मंत्री जी जैसे बड़े अधिकारी के द्वारा हुई। संविधान सारे कानूनों के ऊपर (अबव आल लाज) होता है। संविधान के मातहत यह सदन काम करता है। संविधान के मातहत ही बनाई हुई नियमावली के अनुसार हम कार्य संचालन करते हैं और आर्टिकिल २०८ (१) के मातहत नियमावली बनती है और अगर वह अनुच्छेद का उल्लंघन करती है तो अवैध होती है।

श्री उपाध्यक्ष---आपका प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष महोदय के प्रति है न कि मुख्य मंत्री महोदय के प्रति।

श्री दीपनारायणसिंह---माननीय मुख्य मंत्री की अवहेलना के संबंध में जो उन्होंने विनिश्चय ४ मई से १७ मई तक किये हैं वे सब संविधान के खिलाफ हैं, नियमावली के खिलाफ हैं और इस सदन की मर्यादा भंग करने वाले हैं और जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं उसकी आबरू व इज्जत को नीचा गिराने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष---यह रीजन तो आ गया। अब आप आगे कहें।

एक सदस्य---उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। आपने माननीय दीपनारायणजी को यह आज्ञा दी है कि वे केवल रीजन दें। पहले रीजन में उन्होंने पांच मिनट ले लिये। इसलिये हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि उनको केवल रीजन ही देने के लिये कहा जाय।

(व्यवधान)

श्री दीपनारायणसिंह---आपके सामने मैं संविधान की धारा कोट करूं तो क्या यह रीजन में नहीं आता। पहला आफेन्स क्या हुआ? यह कोई सदन की नियमावली की अवहेलना नहीं थी, बल्कि कांस्टीट्यूशन की अवहेलना थी....

श्री उपाध्यक्ष---अवहेलना अगर की तो मुख्य मंत्री ने की, लेकिन उनके खिलाफ आपका कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री दीपनारायणसिंह---४-५-६२ को मेरे प्वाइंट आफ आर्डर के ऊपर जबकि मैं रोक रहा था कि मुख्य मंत्री जो सदन की अवहेलना न करें उस समय उन्होंने अध्यक्ष पद से यह व्यवस्था दी थी। इसलिये अबेटमेंट का चार्ज उन पर भी लगता है।

श्री उपाध्यक्ष---दीपनारायणजी, भाषण नहीं होगा। या तो आप रीजन दीजिये या विराजिये।

(व्यवधान)

श्री दीपनारायणसिंह---उन्होंने अपनी ४-५-६२ की व्यवस्था को कार्यवाही से उड़ा दिया।

श्री उपाध्यक्ष---दीपनारायणजी, आप जरा बैठ जाइये।

श्री दीपनारायणसिंह---आप इस तरह मेरे बीच में बोलेंगे.....

श्री उपाध्यक्ष---मैं बड़ी नम्रतापूर्वक आपसे कहता हूं कि कायदे के हिसाब से आप रीजन्स दे दीजिये; उसमें आप चाहे जितना ही टाइम ले लीजिये, लेकिन बहस नहीं करेंगे। आप केवल रीजन्स बताइये। उसके बाद जब आज्ञा मिल जाय तब बहस होगी।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---आप एक मिनट मेरी बात सुन लें। इस सदन का समय इस विवाद में काफी नष्ट हो रहा है कि आप कहते हैं कि रीजनिंग दीजिये और जिस वक्त वह कहना शुरू करते हैं तो आप कहते हैं कि रीजनिंग नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि जो डाक्यूमेंट उन्होंने आपको दिया है वह तो इस सदन की प्रापर्टी है इस वक्त। वह तो अखबारों में छप सकता है और वह सारी बात आ सकती है। उससे ज्यादा बात कोई नहीं कह सकता। (व्यवधान) आप सुन तो लीजिये। तो मैं तो यह समझता हूं कि थोड़ी देर आप जरूर वाच कर के देखें कि वह बहुत दूर तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनको कह लेने दें। मैं एक बात जरूर कह दूं कि उनके पक्ष में राय देना और न देना यह दूसरे लोगों का काम है। श्रीमन्, आपका भी कोई दखल उसमें नहीं है। इसलिये हम लोगों को सुनने दें।

श्री उपाध्यक्ष---जैसा माननीय गेंदासिंह जी ने कहा, मैं उसे अक्षरशः मानता हूं। मैं उनको मौका देने के लिये तैयार हूं। वह रीजनिंग नहीं, रीजन्स दें। यही इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। इसके ही मुताबिक वह काम करें तो अच्छा होगा। सदन का काम भी ठीक चलेगा और सब की मर्यादा भी पूरी होगी।

कारागार मन्त्री के सभा सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य) ---श्रीमन्, समय निश्चित कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---समय क्या निश्चित किया जाय, उन्हें कहने दीजिये थोड़ी देर।

श्री मैनेजर (जिला बलिया)---मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि माननीय दीपनारायण जी जब अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं तो जो रीजन्स वे दे रहे हैं उनको सुना जाय और यदि वे कोई ऐसी बात कहें जो रीजन्स में न आती हो तो आप टोकें कि अमुक बात रीजन्स में नहीं आती है, लेकिन आप जिस प्रकार से टोक रहे हैं मैं समझता हूं उससे कार्यवाही नहीं चलेगी और सदन के समय का अपव्यय हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---यह नियमावली है, इसी से कोट करके मैं आपको सुना दूं, उसके बाद आप कहें। वह यह है---

"जिस सदस्य के नाम में प्रस्ताव हो वह प्रस्ताव वापस ले सकेगा, परन्तु यदि वह ऐसा न करे तो वह प्रस्ताव उपस्थित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगेगा। इस क्रम पर किसी भाषण की अनुज्ञा नहीं होगी, किन्तु प्रस्तावक प्रस्ताव लाने के कारणों का संक्षेप में उल्लेख कर सकेगा।"

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन केवल इतना है जैसा कि माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि आप उनको बात कहने दें, नहीं तो उन्होंने यह कहा, वह कहा, इसी में आध घंटे से समय बेकार जा रहा है, इसलिये आप उनकी बात सुन लें। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि वे विषय के बाहर न जायं। उनकी बात सुन लें, उनको कह लेने दें। यदि वे विषय के बाहर जाते हैं तो आप उनको रोक दें अन्यथा विवाद में बेकार समय नष्ट होगा।

श्री उपाध्यक्ष---मैं वही चेष्टा कर रहा हूं।

श्री दीपनारायणसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद १९४(१) को पढ़ता हूं। वह इस प्रकार है कि---

"*Article* 194 (1)—Subject to the provisions of this Constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of the Legislature, there shall be freedom of speech in the Legislature of every State."

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दीपनारायणसिंह]

Article 211—"No discussion shall take place in the Legislature of a State with respect to the conduct of any Judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties."

श्री उपाध्यक्ष—देखिये आप रीजन्स नहीं दे रहे हैं, बल्कि रीजनिंग कर रहे हैं।

श्री दीपनारायणसिंह—श्रीमन्, मैं अनुच्छेद २११ पर कह रहा हूं कि यह अनुच्छेद भी हमारी नियमावली के नियम ३०० के अन्तर्गत आ जाता है। वह रूल में पढ़े देता हूं।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—माननीय दीपनारायण जी, मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि .....

श्री दीपनारायणसिंह—श्रीमन्, अनुच्छेद २११ भी हमारी नियमावली के नियम ३०० के अन्तर्गत आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट के.....

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—माननीय गेंदासिंह जी, मैं आप से पूछना चाहता हूं कि यह रीजन्स दे रहे हैं या रीजनिंग आप ही अब इसका फैसला करेंगे।

श्री दीपनारायणसिंह—रीजन्स और क्या हो सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—देखिये, आप बैठ जाइये। आप रीजन्स दें, रीजनिंग न करें।

श्री दीपनारायणसिंह—श्रीमन्, अनुच्छेद २११ में.....

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—माननीय दीपनारायण जी, आप बैठ जाइये।

श्री दीपनारायणसिंह—इसलिये जो उनकी रूलिंग हुई है वह गलत है और कोई आक्षेप आप जज के ऊपर नहीं कर सकते हैं.....

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—दीपनारायण जी, मैंने आपको काफी समय दे दिया है।

श्री दीपनारायणसिंह—मैंने नियम के उल्लंघन के बारे में कहा था कि...।

श्री उपाध्यक्ष—यह कोई तरीका ठीक नहीं है।

श्री दीपनारायणसिंह—श्रीमन्, हाउस को अधिकार था कि सजा दे या छोड़ दे, लेकिन उन्होंने सदन के अधिकारों का अपहरण किया है और सदन की मर्यादा को निश्चय ही नीचे गिरा दिया है। इसलिये मैं कह रहा हूं.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—अब आप शान्त हो जाइये। यह भाषण करने का मौका नहीं है।

(श्री दीपनारायणसिंह के बोलते रहने पर।)

बैठ जाइये आप कोई रीजन नहीं दे रहे हैं।

श्री दीपनारायणसिंह—कहीं कोई रुकावट नहीं है.....

श्री उपाध्यक्ष—बैठ जाइये, बैठ जाइये।

श्री दीपनारायणसिंह—जब तक अनपार्लियामेंटरी न हो, अनडिगनिफाइड न हो, जब तक डिफमेटरी न हो.....

श्री उपाध्यक्ष---आप बैठ जाइये। आप तो भाषण कर रहे हैं। माननीय दीपनारायणजी, आप बैठ जाइये।

(श्री दीपनारायणसिंह के बोलते रहने पर)

आप बैठ जाइये। संतोष कीजिये। अब आप बैठ जाइये। आप के प्रस्ताव पर वोट लिया जाता है। (श्री दीपनारायणसिंह बोलते रहे)।

जो माननीय सदस्य माननीय दीपनारायणसिंह जी के प्रस्ताव के पक्ष में हों, वह कृपा करके खड़े हो जायं।

(श्री दीपनारायणसिंह बोलते रहे।)

माननीय दीपनारायण जी, बैठ जाइये।

श्री उपाध्यक्ष---जो माननीय सदस्य अनुज्ञा देने के पक्ष में हों वह कृपा कर अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो जायं।

(कोई भी सदस्य खड़ा नहीं हुआ।)

माननीय दीपनारायणसिंह के प्रस्ताव के पक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ, इसलिये अनुज्ञा नहीं दी गयी।

श्री दीपनारायणसिंह---मैं वाक आउट करता हूं।

(श्री दीपनारायणसिंह सदन का त्याग करके चले गये।)

श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य इस सदन के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रखने के लिये सदन से अनुमति मांग रहे थे। इसके लिये आवश्यक था कि वह प्रस्ताव के पक्ष में जो आवश्यक तर्क हों वह सदन के सामने रखें।

श्री उपाध्यक्ष---आप का खयाल गलत है। यह नहीं है कि तर्क दे सकें। मैंने कई दफा पढ़ कर सुना दिया। वह प्रश्न रखा गया और खत्म हो गया। इसलिये अब कोई सवाल पैदा नहीं होता।

श्री सहदेवसिंह---इसलिये आपत्ति है।

श्री उपाध्यक्ष---उसका कोई इलाज नहीं है।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना है। मेरा प्रश्न यह है कि जिस प्रकार आपने इस प्रस्ताव पर हाउस का मतदान लिया जब कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उनका भाषण जारी हो था, उस समय आपने वोट लिया जब कि इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वालों को यह स्पष्ट भी नहीं हो सका कि किस बात पर आप वोट ले रहे हैं। क्या वह वोट लेने का ढंग आप का ठीक था? इस पर व्यवस्था चाहता हूं। आप को सबसे पहले कम से कम उस व्यक्ति को बैठा देना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय गेंदासिंह जी के कहने पर मैंने उनको टाइम दिया और कहा और रूल पढ़कर बताया कि कोई भाषण नहीं हो सकता, केवल रीजन्स दिये जा सकते हैं, रीजनिंग नहीं दी जा सकती, न भाषण ही हो सकते हैं। माननीय सदस्य बार-बार कहने पर भी, २० दफे कहने पर भी, जब नहीं बैठे, अवज्ञा करते रहे तब कोई चारा नहीं रह गया था और मैंने स्पष्टतया कई दफा मत लेने की बात कही पर एक भी माननीय सदस्य खड़े नहीं हुए। तो मैं नहीं समझता कि यह कहा जाना उचित है कि माननीय सदस्यों को यह मालूम नहीं हुआ। यह भी बात बिलकुल गलत है। इस आदरणीय सदन में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिये। अब वह प्रश्न हो चुका है। अब आगे की चीज चलनी चाहिये।

श्री भानुप्रतापसिंह---जो कुछ माननीय दीपनारायण सिंह जी ने कहा उसके बार में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर उनका व्यवहार बुरा था, तो आप उनको बैठा देते या निकलवा देते, जो भी उचित समझते करते। लेकिन जो ढंग आपने अपनाया है वह उपयुक्त नहीं है। आप पहले एक बार उनको बैठा देते तब वोट लेते। एक सदस्य कोई बोल रहा हो, उसी समय वोट का लिया जाना उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---देखिये, मैंने इसके बजाय कि मैं उनको इंगित करता, उनको सदन से निकलवाता, यह ज्यादा मुनासिब समझा और यह बात गलत है कि माननीय सदस्यों ने नहीं समझा, मैंने बार-बार रिपीटेडली उसे रखा और सब लोगों ने सुना।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या उचित होगा कि अगर मैं बोल रहा हूं और आप भी बोलना शुरू कर दें तो क्या सदन के बाकी सदस्यों की समझ में कुछ आयेगा? एक सदस्य बोल रहा है और आपने भी बोलना शुरू कर दिया तो किसी की समझ में कुछ आया कि क्या कहा जा रहा है?

श्री उपाध्यक्ष---एक सदस्य अगर गलती करता है तो दूसरा माननीय सदस्य अच्छी तरह उसको समझते हैं और उन्होंने समझा और समझकर कोई खड़े नहीं हुए।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---हमारी दिक्कत तो यह है कि हम जो बात समझना चाहते थे कि क्या वह कह रहे हैं और क्या आप कह रहे हैं, वह कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आप प्रोसीडिंग्स रेकर्ड करने वालों को बुलाकर पूछ लीजिये, कुछ भी रेकर्ड न हुआ होगा। पिछली बार भी यही हुआ था....

श्री उपाध्यक्ष---सुनिये, सुन लीजिये। माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा, दूसरे साहब ने कहा, इसके बाद मैंने काफी पेशेंस से उनको सुनने की कोशिश की और काफी टाइम देने के बाद फिर उनसे यह कहा कि कृपा करके बैठ जायं। लेकिन वह नहीं बैठ रहे थे, बार-बार कहने पर भी....(व्यवधान) अब आप कृपा करके बैठिये।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---आपने कहा कि मैंने सुनने की कोशिश की, दरअसल यह प्रश्न जो था वह सदन के सुनने का था।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। श्रीमन्, सदन की मान मर्यादा रखना सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष दोनों का कर्तव्य है। लेकिन श्रीमन्, सदन में, (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको ऐड्रेस कर रहा हूं और माननीय मंत्री जी बीच में बहुत उत्तेजित हो रहे हैं। तो श्रीमन्, आज तक इस सदन में यह नहीं हुआ कि कोई प्रश्न आया हो और माननीय सदस्य खड़े रहे हों और अध्यक्ष महोदय, या उपाध्यक्ष महोदय, खड़े होकर एकदम वोट लेलें। सदन के इतिहास में आज तक ऐसी चीज नहीं हुई। श्रीमन्, अगर नियमों का पालन हम लोगों ने नहीं किया तो अध्यक्ष हों या सदस्य हों, या उपाध्यक्ष हों, यह बहुत ही गलत है। मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि जितना भी कार्यक्रम अभी तक चला, माननीय दीपनारायण जी ने प्रस्ताव रखा, वह कारणों पर प्रकाश डाल रहे थे, उनको इन्टरेप्ट किया गया, उसके बाद भी वह खड़े थे, तो आप उनको इंगित करते, सदन से निकालते, उसके पश्चात् वोट लेते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, इसलिये यह सब नियम विरुद्ध है और आशा है कि आप इस पर अपनी व्यवस्था देंगे।

श्री उपाध्यक्ष---देखिये नेकराम जी, जिस समय वह बात हुई उस समय आपने भी व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया। दूसरी बात यह कि अगर माननीय सदस्य के साथ मैंने कोई रियायत की तो उसका उल्टा इलजाम मेरे ऊपर लगाना कि आपने वोट क्यों ले लिया यह ठीक नहीं है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---उपाध्यक्ष महोदय, उस समय आप खड़े थे। हमारी तो बोलने की इच्छा थी, लेकिन आप खड़े थे इसलिये नहीं बोले।

श्री मैनेजर (जिला बलिया)---आपने माननीय दीपनारायण सिंह के साथ रियायत की है, लेकिन सदन के साथ रियायत नहीं की, बल्कि ज्यादती की है कि अनुचित ढंग से मत ले लिया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप व्यवस्था बनाये रखें।

एक बात और कहना चाहता हूं। अभी यहां बहस चल रही है, वातावरण उच्छृंखल हो रहा है। एक मंत्रिमंडल के सदस्य मुख्य मंत्री फायल लाये हैं और वह तो आपकी छत्र छाया में सेफ हैं। वह अपने को सुरक्षित समझते हैं, क्योंकि उनके लिये कोई कानून कायदा नहीं, वह अपना काम कर रहे हैं। इस पर आप ध्यान रखें।

श्री उपाध्यक्ष---आप विराजिये।

(श्री दीपनारायण सिंह के खड़े होने पर)

आप भी विराजिये।

१९६२-६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या २८---सूचना निदेशालय

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)---श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २८-सूचना निदेशालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४१,१८,२०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २८-सूचना निदेशालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४१,१८,२०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी।)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---श्रीमन्, जब आपने कह दिया कि "हां" की संख्या अधिक है और मांग स्वीकृत हुई तो फिर डिवीजन के लिये घंटी कैसे बजायी जा रही है?

श्री उपाध्यक्ष---वह चूंकि कहते हैं कि हमें मौका नहीं दिया इसलिये बजायी गयी। डिवीजन में कोई बुराई नहीं है।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३---राज्य आबकारी

आबकारी राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३-राज्य आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६९,४२,१०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३-राज्य आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त ६९,४२,१०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १७—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य-कलाप

डाक्टर सीताराम—उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १७—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, जो लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २०,५९,००० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री नेकराम शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, सदन का यह निश्चय हो चुका है कि १ और २ बजे के बीच किसी प्रान्ट पर भी मतदान नहीं हो सकता । इस समय १ और २ बजे का समय है ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस समय किसी भी माननीय सदस्य को एतराज नहीं है । ऐतराज होने पर ऐसा हो सकता है ।

श्री नेकराम शर्मा—मैं इस पर एतराज कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है, इसको थोड़ी देर बाद ले लिया जायगा । पहले इसके आगे की प्रान्ट हम लिये लेते हैं ।

अनुदान संख्या २६—नियोजन और एकीकरण

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २६—नियोजन और एकीकरण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ९,६१,२७,१०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान संख्या सदन के सामने मंजूरी के लिये रखी गयी है वह ज्यादातर विकास योजनाओं के लिये है । भारतवर्ष के आजाद होने के बाद जो योजनायें देश के सामने हैं, उनमें इनका विशेष स्थान है, क्योंकि इन विकास योजनाओं की सफलता सरकारी प्रयत्न पर ही नहीं अपितु जन साधारण के सहयोग के ऊपर निर्भर करती है । इस योजना के द्वारा हमारी कोशिश है कि भारतवर्ष के जितने ग्रामांचल है, देश के जितने पिछड़े इलाके है जहां तक अभी विकास की सहायता नहीं पहुंच पाई है उन सारे इलाकों को हाथ में लेकर उनमें सम्पूर्ण रूप से सर्वांगीण प्रगति हम लायें । यह सम्पूर्ण और सर्वांगीण प्रगति केवल सरकारी मुहकमें ही द्वारा पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सकते है । अगर वह सारा काम उनके ही हाथ में दिया जाय तो इस काम में हमको सम्पूर्ण सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि यह जो विकास का काम है, जिसको हम करना चाहते हैं, यह सिर्फ थोड़ा सा विकास का काम नहीं है यह थोड़ी सी प्रगति का काम नहीं है । यह क्रान्ति का काम है जिससे सारे देश और समाज की अर्थ व्यवस्था में हम परिवर्तन करना चाहते हैं । हम लोगों ने जो समाजवादी समाज की रचना का उद्देश्य अपने सामने रखा है और जो हम लोगों ने प्रजातन्त्र में विकेन्द्रीकरण के आदर्श को लोगों के सामने रखा है वह काम सिर्फ हमारे प्रान्त का ही काम नहीं है वह सारा काम समाज के ढांचे को नये रूप से बदलने का काम है । इसी उद्देश्य से हमने यह काम लोगों के सामने रखा है । नया परिवर्तन लाने के लिये क्रान्ति की जरूरत होती है और इस क्रान्ति को लाने का काम २, ४ मुहकमें के अफसरों का काम नहीं है । यह काम तभी हो सकता है जब जन साधारण सम्पूर्ण रूप से इसे अपने हाथ में ले ले । इसलिये यह विकास की योजना का जो प्रोग्राम है यह एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है और एक महत्वपूर्ण अनोखा, प्रोग्राम है । इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिये अभी जो ढांचा देश के सामने रखा गया है वह पंचायतीराज का है और उस पंचायतीराज के मार्फत हम विकास का काम गांव-गांव में पहुंचाना चाहते हैं । पंचायती राज में हम लोग त्रिस्तरीय व्यवस्था इस प्रान्त में ला रहे हैं जिनमें जिला परिषद् क्षेत्रीय परिषद् और पंचायत हैं । इन तीनों के ऊपर जगह-जगह जिम्मेदारी

हम देंगे और इनके हाथ में पैसा भी पूरा-पूरा दिया जायगा और इनको पूरा अधिकार भी दिया जायगा और यह आशा की जायगी कि इसके लिये जनता का रेस्पांस हमारे पास आना चाहिये। हम समझते हैं कि जनता का सहयोग सम्पूर्ण रूप से इन तीनों संस्थाओं के द्वारा आयेगा क्योंकि सामुदायिक विकास योजनाओं के ऊपर मेहता कमेटी ने खुलकर जोर दिया है। उन्होंने यह समालोचना की थी कि सामुदायिक विकास योजना के द्वारा ही हमको जन साधारण की तरफ अपनी दृष्टि करनी चाहिये। जिस तरफ कमजोरी है उस तरफ हमको दृष्टि करनी चाहिये। यही वजह थी कि सामुदायिक विकास योजना के द्वारा इस काम को हाथ में लिया गया और पहले से कुछ उन्नति का काम हो रहा है लेकिन लोगों के अन्दर जो प्रोत्साहन पैदा होना चाहिये था, पहला कदम उठाने के लिये जो पहले रेस्पांस होना था, वह नहीं हो पाया है। इतनी बड़ी क्रान्ति का काम तभी पूरा हो सकता है जब लोगों के अन्दर हम एक शक्ति पैदा करें और इस शक्ति को पैदा करने के लिये उन्होंने कहा था कि अगर सामुदायिक विकास योजना के आधार पर हम यह शक्ति पैदा करें तो यह काम हो सकता है। अकेले गवर्नमेंट लेविल पर यह काम नहीं हो सकता। यदि लोगों के अन्दर उत्साह पैदा नहीं होता है तो वह जिम्मेदारी पैदा नहीं होती है। इसलिये यह तीन संस्थायें हम लायेंगे जिससे लोगों के हाथ में सम्पूर्ण रूप से शक्ति दी जायगी और यह आशा की जायगी कि जहां-जहां हम काम करना चाहते हैं वहां कामयाबी मिले। इस साल हम पंचायत राज को सम्पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पाये। आशा करते हैं कि २, ४ महीने के अन्दर वह हो जायगा। हमारी कोशिश है कि जल्दी हो जाय और गवर्नमेंट के आर्डर भी हुये हैं कि ज्यादा से ज्यादा शक्ति हम इन बाडीज को दें ताकि वे काम कर सकें।

जिला परिषद् का बहुत तरह का काम है। उसको आप सब लोग जानते हैं। उसमें मैं सदन का समय नष्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि आज बहुत सदन का समय नष्ट हो गया है। जिला परिषद् अच्छी तरह से काम कर सकें, इसके लिये हम लोगों ने पिछले साल ८९.४० लाख रुपया उनको खर्च करने के लिये दिया था। इसमें हम लोगों ने उनके लिये कुछ खास-खास कामों के लिये रुपया मंजूर किया था, जैसे पीने का पानी, सड़कों का सुधारना। क्षेत्रीय परिषद् भी अपनी जगह विस्तृत काम कर रही है। इनके पास भी पैसा पहुंचता है ब्लाकों के जरिये से। इनके काम में शुरू में हम लोगों ने सब से ज्यादा इम्फेसाइज किया था। इसमें लघु सिंचाई और बेहतर खेती के लिये सारे प्रान्त में कुछ काम हुआ है। गांव सभाओं को १६२ लाख रुपया दिया था और यह खास उनको हिदायत थी कि सड़क, पब्लिक हेल्थ जो काम है उनमें वह दिलचस्पी लें। इस काम के लिये वह खुद भी टैक्स लगाकर पैसा इकट्ठा कर सकती हैं। ब्लाकों के पास जो पैसा है उससे वह हेल्थ और कम्युनिकेशन का काम कर रही हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमने चाहा कि बावजूद कठिनाइयों के इन तीन स्तरों पर जो बाडीज हैं उनको पूरा अधिकार मिले और वह काम कर सकें। कुछ हद तक संतोषजनक काम हुआ भी है। पूर्ण संतोषप्रद काम तो नहीं हो सका। उसके कई कारण हैं। और इसके अतिरिक्त यह समुद्र जैसा विस्तृत काम है और हम इसे एक नये ढंग से करने की कोशिश कर रहे हैं। पुराना ढंग से, सरकारी अफसरों के जरिये काम कराने का जो ढंग था, वह आसान था, लेकिन इसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों दलों का पूर्ण समन्वय है और हम चाहते हैं कि इनके समन्वय से उत्साहपूर्वक काम हो और उससे जनता में नवजीवन संचारित हो। इस नये ढांचे में काम करने में मुश्किलात सामने आती हैं। सब जगह लोग अपनी पूरी-पूरी जिम्मेदारी नहीं समझते। कुछ बेईमान लोग भी हैं—सरकारी मशीनरी में भी हैं और बाहर पब्लिक में भी हैं। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात तो हम करते हैं लेकिन पब्लिक में डेमोक्रेटिक ढंग से कैसे काम करना चाहिये, इसका परिचय लोगों को नहीं है। कोई समझता है कि हमारे हाथ में सत्ता है, जिस ढंग से चाहें काम करें, कोई अन्तरिम जिला परिषद् को केवल बहस करने का मैदान मानते हैं। लेकिन इसके बाद भी कहीं-कहीं अच्छा काम हुआ है। यह अंतरिम जिला परिषदें अब केवल एडवाइजरी कैरेसिटी में ही नहीं हैं, वह एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। वहां से पैसा दिया जाता है और उनको जिम्मेदारी दी जाती है। हमारे विकास के काम में यह जरूरी है कि जो नीचे से ऊपर तक हो रहा है उसमें जो फाउन्डेशन का काम है वह बेहतर हो ताकि ऊपर का स्ट्रक्चर ठीक से

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

खड़ा हो सके । लेकिन वे जिम्मेदारी महसूस नहीं करते । पब्लिक के लोग जब एडमिनिस्ट्रेशन में हाथ बटायेंगे तो काम अच्छा ही होगा लेकिन कहीं-कहीं काम खराब हो रहा है । कहीं हमारे अफसर भी गलती पर हैं और कहीं पब्लिक से पूरा सहयोग नहीं मिल पाता ।

अब मैं थोड़े शब्दों में जनरल प्लान आउटले के बारे में और जो-जो महत्वपूर्ण मदें आयी हैं, उनके संबंध में कुछ कहूंगी । तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमारा आउटले ४९७ करोड़ का है । इस साल के बजट में हम लोगों ने ७२.१७ करोड़ रखा था । पहले हमें यह शक था कि इतनी बड़ी रकम हम खर्च कर पायेंगे या नहीं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में दो दिक्कतें आती हैं । एक तो पैसा जुटाना बड़ी मुश्किल चीज है । जो हमारे बजट में गैप है उसकी पूर्ति हम कैसे करें, अभी तो इसी समस्या में हम पड़े हैं । लेकिन अगर किसी प्रकार की तकलीफ उठा कर पैसा जुटा भी लिया जाय तो वह खर्च करना भी एक मुश्किल का काम है । वह कायदे से तभी खर्च हो सकता है कि जब जो प्लान हमने बनाया है, जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारा टार्गेट रखा गया है उसके अनुसार प्रोग्राम चले, तभी उसमें एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी खड़ी हो सकती है । अगर एक चीज बीच में कहीं छूट गयी तो दूसरी सीढ़ी खड़ी नहीं हो सकती । तो टार्गेट आफ एचीवमेंट और टार्गेट आफ एक्सपेंडीचर, दोनों की तरफ हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है । तृतीय पंचवर्षीय योजना का यह पहला साल था और हमारे बजट की सेंक्शन वगैरह मिलने में कुछ दिक्कतें आयीं, सेन्ट्रल गवर्नमेंट से इजाजत लेने में कुछ परेशानी हुई और देरी हुई, लेकिन इसके बाद भी मैं सहर्ष बतलाना चाहती हूं कि जो मार्च में हमारी रिपोर्ट है उसके अनुसार ७१ करोड़ रुपये के लगभग खर्च हो चुका है । यह खर्च हुआ है बावजूद बाटिलनेक के । दिक्कतें थीं, कोयले की, ईंट की और तमाम तरह की परेशानियां थीं जिनके कारण पब्लिक वर्क्स के काम ठीक से चल नहीं पा रहे थे । इस साल हम लोगों ने ८५ करोड़ की योजना रखी है । हम लोगों ने चाहा था कि योजना और भी ज्यादा हो, ९१ करोड़ की योजना सोची थी, लेकिन सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने कुछ आनाकानी की, कुछ हमारे रिसोर्सेज कम थे, और यह सब सोच कर हमने ८५करोड़ की योजना रखी है, लेकिन जो प्रोग्राम बनाया है वह ९१ करोड़ का ही रखा है, यह सोच कर कि अगर कहीं कोई शार्ट-फाल हो जाय तो एक प्रोग्राम को छोड़ कर दूसरे प्रोग्राम में पैसा डाइवर्ट किया जा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा काम हो । शार्टफाल की वजह से समय न बर्बाद हो और उसके बजाय हम दूसरे प्रोग्राम को स्विच आन कर सकें । जो ६ करोड़ पये की योजना घटायी गयी है उसमें भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि प्रोयोरिटी प्रोग्राम के अनुसार दी जाय और बेहतर से बेहतर प्रोग्राम हमने पहले अपने सामने रखा है । जो हमारी प्लान का आऊटले है उसका १/५ वां हिस्सा हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट में लगा दिया है । पिछले साल हम लोगों ने सिर्फ विकास के लिये ८.७३ करोड़ रुपया रखा था । इस साल भी हमने ११.१२६ करोड़ रुपया केवल विकास, कम्युनिटी डेवलपमेंट के काम के लिये रखा है । अब हम यह उम्मीद करते हैं कि जितने हमारे ब्लाक्स हैं वे सब पोजीशन में आ जायेंगे । इस समय हमारे पास ७८३ ब्लाक्स हैं और अक्तूबर, १९६२ तक यह करीब ८७५ हो जायेंगे जो अपनी जगह कार्य करना शुरू कर देंगे । इन ब्लाकों के जरिये जो प्रोग्राम देश के सामने रखा गया है उसमें सबसे मुख्य आर्थिक उन्नति का है क्योंकि जब तक आर्थिक उन्नति नहीं होगी तब तक बाकी किसी क्षेत्र में उन्नति नहीं हो सकेगी । आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में हमने चेष्टा की है कि कृषि की उन्नति हम करें तथा साथ ही औद्योगिक उन्नति भी करें । ब्लाकों के जिम्मे और भी कल्याणकारी काम हैं, जैसे अस्पताल, आदि । कृषि के काम में हम सबसे ज्यादा इम्फैसिस दे रहे हैं । कृषि क्षेत्र में जो हमने काम किया है उसके मोटे मोटे आंकड़े में पेश करूंगी क्योंकि आंकड़ों को लोग ज्यादा पसन्द नहीं करत । कृषि की उन्नति के लिये ४३७ गांव सभाओं ने खरीफ अभियान में भाग लिया और २८१ ने रबी अभियान में भाग लिया । १४.६३ लाख एकड़ भूमि में जापानी मेथड से पैडी तैयार की गयी । एग्रीकल्चरल डिमान्सट्रेशन भी हजारों की तादाद में हुये । गांव-गांव में जाकर लोगों को कृषि का नया तरीका भी बतलाया गया और उनमें उत्साह पैदा किया गया । ११ लाख मन खरीफ के लिये केमिकल फर्टीलाइजर बांटा गया और १५ लाख एकड़ में हरी खाद बांटी गयी । १९६२-६३ में

५.३३ लाख टन फर्टीलाइजर बांटा जायेगा। २५.४० लाख एकड़ में जापानी मेथड से पैडी तैयार की जायगी और २१.०४ लाख एकड़ में यू० पी० मेथड से काम होगा।

एक बात मैं आप लोगों को यह बताऊं कि इन सब के लिये हमें सबसे पहले लोगों को तैयार करना होता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट के मानी हैं संगठित लोगों का विकास करना। लोगों को इसके लिये यह बताना और समझाना पड़ता है कि कम्युनिटी कैसे फंक्शन करे, कैसे काम करे। उसके लिये जरूरत पड़ती है शिक्षा की और उसके लिये शिक्षा का प्रोग्राम अच्छी तरह से होना चाहिये। लोगों को शिक्षित करने के लिये और इस ओर उत्साह पैदा करने के लिये हमें उनमें एक नयी विचारधारा को पैदा करना होता है, उनके दिमाग को बदलना होता है। हमने उसके लिये स्टडी कैम्प खोले हैं। स्टडी कैम्प लोगों के सामने एक नया दृष्टिकोण रखते हैं। अब समाजवादी समाज की बात अगर हम उनके सामने रखेंगे तो वे उसको एकदम नहीं समझेंगे। उसके लिये हमको उनके दिमाग को ट्रेन्ड करना पड़ता है, उनके दिमाग को बदलना होता है और उनको समझाना होता है कि हमारा देश उस ओर बढ़ रहा है।

इससे उन सब कामों के लिये आज हमें कोआर्डिनेशन की जरूरत है। हमारा काम ऐसा है कि हमको सभी विभागों से सम्पर्क रखना होता है। एजूकेशन, कृषि, एनीमल हस्बेन्ड्री, आदि कई विभागों से हमको सम्पर्क रखना होता है। अगर उन सब विभागों का कोआर्डिनेशन हमको न मिले तो हमारा काम सुचारुरूप से चल ही नहीं सकता। हम देखते हैं कि हमारा जो पुराना तरीका है वाटर टाईट कम्पार्ट की तरह अपना अपना काम करने का वह बहुत कुछ वही है, हमें उसको भी बदलना है और उसको बदल कर सब को एक संगठन में डालना है जो एक बड़ा मुश्किल काम है। तो उनमें एक नया दृष्टिकोण कैसे पैदा किया जाय, कैसे समन्वय लाया जाय, उनकी जिम्मेदारी क्या है और उसको कैसे निभाया जाय, इन सब के लिये हमने नान-आफिशियल और आफिशियल सब को सिखाने का प्रयत्न किया है। इन सब कैम्पों में प्रमुख, क्षेत्र समिति के अध्यक्ष और चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर, ए० जेड० पी०, इन लोगों को बुलाकर इन सब बातों में शिक्षा देने की कोशिश की गई। इस संस्था में ग्राम-सेवक सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि सारे कामों का बोझा उस पर ही आ कर पड़ता है। उसको अच्छी तरह से सिखाने की जरूरत है। इसलिये ग्राम-सेवक की ट्रेनिंग का काम काफी तेजी से किया जा रहा है। १,३२० ग्राम-सेवक दो साल की ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं और १,१९९ पहले और दूसरे साल की ट्रेनिंग, जो हमारे २४ ट्रेनिंग सेन्टर्स हैं, वहां पा रहे हैं। १,३०४ ग्राम-सेवक ट्रेनिंग लेकर काम पर पहुंच गये हैं लेकिन अब भी उनको बुला-बुला कर नयी-नयी बातों को सिखाने की कोशिश की जाती है। ८८ यूथ वर्कर्स ट्रेनिंग कैम्प हुये जिनमें ४०-४० यूथ लीडर्स को ट्रेनिंग देने की कोशिश की गई। अभी हाल ही में हर डिवीजन में एक महीने के अन्दर डिवीजनल कान्फ्रेन्सेज की गईं। ये असल में प्रैक्टिकल काम की कान्फ्रेन्सेज थीं, कोई लेक्चरबाजी की बात नहीं थी। उनमें कमिश्नर से लेकर नीचे तक सब रहे। डिवीजनल कमिश्नर्स ने उसमें बहुत दिलचस्पी ली। मैं खुद भी दो दिन एक कान्फ्रेन्स में लगा कर आई, दूसरे मिनिस्ट्रान भी गये थे। सबके साथ बैठ कर विचार किया गया कि कौन-कौन सी समस्यायें आती हैं और उनको कैसे दूर किया जाय। मैं आशा करती हूं कि जिन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया वे नये-नये अनुभव लेकर गये। वहां पर जो सुझाव दिये गये उनमें बहुत से अच्छे हैं जिनकी तरफ आमतौर से सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं हो पाता है। मैं आशा करती हूं कि इस कान्फ्रेन्स से हमारा काम अच्छा होगा और आइन्दा भी इस तरह की कान्फ्रेन्सेज करते रहेंगे। मैं उम्मीद करती हूं कि इस साल एम० पीज० और एम० एल० एज० को बुलाया जायेगा। वहां हम आपको कुछ बतायेंगे और आप हमको बतायेंगे कि किस तरह से प्रोग्राम चल रहे हैं और अलग-अलग इलाकों की खास बातें क्या हैं। हमारे यहां इस डिपार्टमेंट के मातहत एक प्लानिंग रिसर्च एन्ड एक्शन इंस्टीट्यूट काम कर रहा है। यह इंस्टीट्यूट इस विषय में अनुसंधान कर रहा है कि छोटे पैमाने पर किस तरह के उद्योग चलाये जाय जिनको गांव वाले अपना सकें और उनकी आर्थिक उन्नति हो सके। एक्सपेरिमेन्ट के तौर पर, पाइलट

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

प्रोजेक्ट्स, चमड़े के काम मिट्टी के बरतनों आदि के लिये चलाये जा रहे हैं । पांच पंचायतें मिलाकर एक उद्योग चिनहट में चलाया जा रहा है । स्त्रियों के प्रोग्राम के लिये अजीतमल ब्लाक में एक अच्छा अनुसंधान का काम चल रहा है और नये-नये क्षेत्रों में चलाने की कोशिश कर रहे हैं । जमीन की उन्नति करने के बारे में भी अनुसंधान किये जा रहें हैं । हमने एक महत्वपूर्ण अनुसंधान किया है एनवायरन्मेन्टल सेनिटेशन का । इस विषय में एक बड़ी कान्फरेन्स हमने कुछ महीने पहले लखनऊ में की थी जोकि बड़ी कामयाब रही । उसमें केवल भारतवर्ष के ही नुमाइन्दे नहीं बल्कि अन्तर राष्ट्रीय संस्थाओं के नुमाइन्दे भी आये और बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन्स हुये । उसकी रिपोर्ट भी निकली है । उसका काम एक सघन क्षेत्र, मेरठ में हो रहा है और दूसरे ब्लाकों में भी प्रचार किया गया है ।

इंडस्ट्रीज के बारे में खेद है कि कुटीर उद्योगों में हम जितना काम करना चाहते थे वह नहीं हो पाया लेकिन आगे कुछ रास्ता दिखाई दे रहा है । २५० ए० डी० ओ० (इंडस्ट्रीज) को ट्रेन करके भेज दिया गया है और बाकी को आहिस्ता आहिस्ता भेज रहे हैं । ग्राम-उद्योगों के संबंध में हम पांच ब्लाकों को लेकर पाइलट प्रोजेक्ट चला रहें हैं, अगर इस एक्सपेरिमेन्ट में कामयाबी मिली तो दूसरे ब्लाकों में भी चलायेंगे । शिक्षा के बारे में तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार की तरफ से बड़ा भारी जोर दिया जा रहा है । निरक्षरता का कलंक हम दूर करना चाहते हैं । उत्तर प्रदेश शिक्षा के बारे में कुछ पिछड़ा हुआ है । इसलिये हम कोई खास कोशिश करना चाहते हैं । हम लोगों ने कोशिश की है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में ६ से ११ साल तक के ४४.६१ लाख लड़के और २१.०० लाख लड़कियों को हम स्कूल में ले जावें । हमारे यहां परसैंटेज आफ एजूकेशन लड़कों का ८१ और लड़कियों का ४२ हो जायगा तृतीय पंचवर्षीय योजना के आखिर में, ऐसी हमारी चेष्टा है । इस साल में ५,००० मिक्स्ड प्राइमरी स्कूल और १,००० लड़कियों के स्कूल खोले गये । अगले साल के लिये हम लोगों ने १,५०० और स्कूल खोलने की योजना रखी है । प्राइमरी बच्चों के लिये ६,५०० स्कूल खुलेंगे ।

सोशल एजूकेशन में हम काफी चेष्टा कर रहें हैं । यूथ ट्रेनिंग कैम्प्स और हर रिजन में सैमीनार किये गये । उन लोगों को यह भी सिखाया गया कि ब्लाक में वे कैसे पार्टीसीपेट करें । १८,००० यूथ क्लब्स हमारे पास हैं । इन का टोटल करीब २०,००० है और उनमें करीब २ लाख मेम्बर हैं । वे जमीन की उन्नति करने में तथा बागबानी में काम कर रहे हैं । युवक समारोह हमने किया था । उसमें जो दल कामयाब हुआ उन्हें हमने एजूकेशनल टूर पर भेजा । प्रौढ़ शिक्षा के लिये ७,८९० एडल्ट लिटरेसी क्लास हमने १९६१ में संगठित किये थे । हम स्कूल के टीचर्स को १० रुपये ज्यादा देकर उनसे एडल्ट लिटरेसी का काम कराना चाहते हैं ।

लघु सिंचाई साधन कृषि में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं । १९६१–६२ में हमने २१,३१९ कुएं बनाये और १२,६५० की मरम्मत की । ९,५३८ कुओं की बोरिंग की, १२,५३६ परशियन व्हील बने और १६१९ नये पम्पिंग सेट लगाये । ७,४५१ रहट बनीं । इसके अलावा और भी बहुत से फीगर्स हैं । ड्रेन और गूल के माइलेज में जाकर मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहती हूं ।

हमने ग्रो मोर फूड पर ३७०.१७ लाख रुपया रखा है । ब्लाक फंड में १८५ लाख रखा है । लोन्स के बारे में कोशिश की गई है कि उसकी कंडीशन्स और रिलेक्स की जावें । ब्लाक में कर्जा तकावी ऐक्ट के अनुसार मिलता है । लिबरेलाइजेशन करने के बाद हम लोगों ने पम्पिंग प्लान्ट के लिये मैक्सिमम रुपया २,५०० से ६,५०० कर दिया है, मेसनरी वैल के लिये १,००० से २,००० कर दिया है । भूमिधरों को कुंओं के लिये ४० गुना और सीरदारों को ३० गुना देंगे । बोरिंग के लिये कुछ लोगों का आग्रह है और गवर्नमेंट ने प्राइवेट एजेंसीस को बोरिंग करने की इजाजत दे दी है । डिस्ट्रिक्ट प्लान में जिला परिषद् और क्षेत्रीय समिति हाथ बटाती हैं । हम लोगों में जैसा मैंने पहले कहा, इनीशिवेटिव लाना चाहते हैं ।

प्रान्तीय रक्षक दल अपनी जगह पर अपना काम करता रहा है ।

कुछ हद तक वह पुलिस को मदद करता है और कुछ हद तक डेवलपमेंट एक्टीविटीज में गांवों में काम करता है। गांवों में ईंधन बढ़ाने के लिये पेड़ लगाने का काम किया गया। २, २ एकड़ का कम्पैक्ट एरिया लेकर पेड़ लगाने का काम किया जाता है। उसके लिये २५ रुपया सबसीडी दिया जाता है। १६ जिलों में १९६१-६२ में काम किया गया और २ लाख ६२ हजार रुपया खर्च हुआ। इसके लिये ६,३८,००० रु० रखा है।

मोटे-मोटे में मैंने थोड़े से फीगर्स दिये हैं, चूंकि सब फीगर्स में आप भी परेशान होते हैं। हम इस योजना को नये ढंग से चलाना चाहते हैं। मैं मंत्री के नाते एक बजट भाषण दे रही हूं मगर यह काम कामयाब तभी होगा जबकि हमारे अफसर और विधायकगण समझें कि यह देश को बनाने वाला प्रोग्राम है। मैं इस मौके पर आप लोगों से अपील करूंगी कि इस क्रान्तिकारी योजना में हमारी पूरी-पूरी सहायता करने की कृपा करें। यह तभी सफल हो सकती है।

श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या---२६ के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान की मांग की धनराशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

डाक्टर सीताराम---उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्ताव मूव कर दिया था लेकिन आपने कहा था कि १ और २ बजे के बीच नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष---अभी २ नहीं बजे हैं।

श्री रघुवीरसिंह---श्रीमन्, जब मैं ऐसे महत्वपूर्ण और उपयोगी अनुदान पर कटौती का प्रस्ताव रखता हूं तो मुझे संकोच होता है। परन्तु सरकार की विभागीय नीतियों को देखते हुये और यह देखते हुये कि जितना पैसा इस विभाग में खर्च किया गया वह उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ, इसलिये मुझे विवश होना पड़ा कि मैं कटौती का प्रस्ताव रखूं।

किसी भी देश में योजनायें चालू करने का उद्देश्य यही होता है कि उसमें विकास लाया जाय और उसके पिछड़ेपन को दूर किया जाय। मैं इस नियोजन के विरोध में नहीं हूं और मैं जानता हूं कि हमारे देश और प्रदेश के पिछड़ेपन को देखते हुये योजनायें आवश्यक हैं। मैंने सार्वजनिक स्थानों पर, सूचना केन्द्रों में, ब्लाक्स के मुख्य कार्यालयों पर अक्सर देखा है कि लिखा होता है कि "योजना की सिद्धि, जनता की समृद्धि" दूसरे शब्दों में मैं यह भी कह सकता हूं कि अगर जनता समृद्धिशाली नहीं हुई तो योजना की सिद्धि नहीं हुई। अब हमको यह देखना है कि जनता कितनी समृद्धिशाली हुई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब योजना का श्रीगणेश हुआ १९५०-५१ में, तब ग्रामीण क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय २१०.६ रु० थी। दो योजनाओं के पश्चात् यह १९१.६ रु० रह गई। इससे पता चलता है कि २ योजनाओं के पश्चात् ग्रामीण क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय १९ रुपये कम हो गई। फिर कैसे कहा जाय कि जनता समृद्धिशाली हुई और जनता का विकास हुआ? इससे सिद्ध होता है कि नहीं हुआ। और अगर कोई यह तर्क उपस्थित करे, जैसा कि अक्सर उधर के माननीय सदस्य कहा करते हैं कि जनसंख्या बढ़ गयी इसलिये प्रति व्यक्ति की आय कम आयी, क्योंकि धन उतना ही है और जनसंख्या अधिक हो गयी, उस तर्क के जवाब में मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां जनता की आबादी १०-१५ प्रतिशत बढ़ी वहां रुपये का मूल्य कम से कम २० प्रतिशत कम हुआ। अगर रुपये के मूल्य को कम करें तो यह कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय ३८ रुपये कम हुई। किसी भी सरकार के लिये जहां दो पंचवर्षीय योजनायें चल जायं और जिनमें ४ अरब ६ करोड़ रुपये खर्च कर दिये जायं, उसके बावजूद प्रति व्यक्ति आय ३८ रुपये कम हो तो यह लज्जा की बात है। हां, शहरी क्षेत्र की कुछ आय बढ़ी। उसका भी अनुपात इस तरह से है। पहले के आंकड़े

[श्री रघुवीरसिंह]

तो मेरे पास हैं नहीं, लेकिन १९५६-५७ में प्रति व्यक्ति आय ६४५.८ रुपये थी, जो १९५९-६० में ६७३.१ रु० हो गयी। यानी शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति २७.३ रु० की आय बढ़ी। जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर रुपये के मूल्य में २० प्रतिशत की कमी हुई तो शहरी क्षेत्र में भी कोई आय में बढ़ोत्तरी नहीं हुई। यदि जनसंख्या पर इसको आधारित करते हैं तो शहरी क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या बढ़ी न कि ग्रामीण क्षेत्रों में। इससे सिद्ध होता है कि योजना का प्रभाव शहरी क्षेत्रों में ज्यादा पड़ा, वहां इसकी कुछ बौछार गयी लेकिन देहाती क्षेत्र बिलकुल ज्यों का त्यों शून्य रह गया, वहां इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

अब हमें देखना यह है कि आखिर यह दोष कहां से उत्पन्न हुआ। जहां तक मैं समझ पाया हूं, योजना के रुपये का बंटन ठीक तरह नहीं होता। कहने को तो कहा जाता है कि योजना की रूपरेखा नीचे से बनायी जाती है, लोगों के सलाह-मशविरे से, काफी विचार-विनिमय के बाद उसे बनाया जाता है परन्तु यह ढोल में पोल वाली बात है। मैं कहता हूं कि योजना ऊपर से लादी जाती है और वह भी प्रान्त से नहीं बल्कि केन्द्र से लादी जाती है और वहीं से रुपये का बंटन होकर आता है। कई बार मैंने किसी काम के लिये किसी मंत्री से कहा तो मुझे यही बतलाया गया कि जो हमारी सरकार का टार्गेट है वह यही है। मैं कहना चाहता हूं कि जब देहाती क्षेत्रों की आमदनी उत्तरोत्तर घटती जाती है तो यह बतलाया जाय कि इसका कारण क्या है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए ही योजना को बनाना चाहिये था।

अब मुझे निवेदन यह करना है कि देहाती क्षेत्रों में जो वर्ग रहता है वह अधिकांशतः किसान वर्ग है जिसका कृषि और सिंचाई से मुख्य सम्बन्ध है। जहां तक मैं समझ पाया हूं, इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में तो इस तरफ कुछ खयाल किया गया है, लेकिन पिछली दो योजनाओं में कृषि और सिंचाई के लिये कम से कम पैसा दिया गया जब कि इन दोनों विभागों का सम्बन्ध प्रदेश की ८० प्रतिशत जनता से है। मैं कहना चाहता हूं कि इस नियोजन में जितना पैसा आपने खर्च करने के लिये रखा था उसका ८० प्रतिशत रुपया कृषि और सिंचाई के ऊपर लगना चाहिये था और अगर ऐसा किया गया होता तो किसानों की आय उत्तरोत्तर न घटती और आज किसानों को इतनी गरीबी के दिन न देखने पड़ते जो कि आज उसे देखने पड़ रहे हैं। यह कहा जाता है कि किसानों की दशा अच्छी है और एक दिन माननीय मुख्य मंत्री ने भी कहा था कि किसानों की दशा पहले से सुधरी है और वे शायद कुछ लगान भी बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। खैर, वह तो अपनी जगह पर अलग चीज है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इन दोनों विभागों के साथ अन्याय किया गया है। अगर इनको भरपूर रुपया दिया गया होता और उनकी संख्या के अनुपात से दिया गया होता तो आज ८० प्रतिशत किसानों की हालत बहुत अच्छी हो गयी होती। मैं इसके लिये सरकार के ऊपर चार्ज लगाता हूं कि उनके लिये ८० प्रतिशत रुपया क्यों नहीं रखा गया।

अब हमें देखना यह है कि कृषि और सिंचाई में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है। इस नियोजन काल में। श्रीमन्, सन् १९५३-५४ में ४८८.६ लाख एकड़ क्षेत्रफल बोया गया और उपज हुई उसमें १२०.२४ लाख टन। इस तरह से प्रति एकड़ औसत हुआ .२४४ टन। अब १९६०-६१ में देखिये क्षेत्र फल बोया गया ५१९.६ लाख एकड़ और उसमें उत्पादन हुआ ११०.९४ लाख टन, औसत प्रति एकड़ आया .२१५ टन का। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रति एकड़ पैदावार नीचे गिरी। यह योजना का प्रभाव उत्पादन पर पड़ा। यह क्यों हुआ, जहां तक मैं समझा हूं इस का एक सब से बड़ा कारण यह भी है कि हमारा कृषि उत्पादन दो प्रकार का होता है, एक तो वाणिज्यकारी और दूसरा खाद्यान्न का। इन दोनों प्रकार के उत्पादनों में मूल्यों का कोई सन्तुलन नहीं है। कृषक वाणिज्यकारी फसलों पर अधिक ध्यान देते हैं और खाद्यान्नों पर कम ध्यान देते हैं। क्योंकि मूल्य कम मिलता है। इस का नतीजा यह होता है कि किसान जो

वाणिज्यकारी फसलें हैं आलू, तम्बाकू, मूंगफली, गन्ना और तिलहन आदि उन की तरफ ज्यादा ध्यान देता है। यही कारण है कि इन चीजों में हम स्वावलम्बी हो चुके हैं और खाद्यान्न में अभी नहीं हुए हैं। इस वास्ते मेरा सरकार से अनुरोध है कि उसे खाद्यान्न और वाणिज्यकारी फसलों के मूल्यों में सन्तुलन लाने की चेष्टा करनी चाहिये। अगर ऐसा न किया गया तो खाद्यान्न की समस्या और भी भीषण होती जायगी।

अब सिंचाई की ओर भी मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा। यह तो मैं न कहूंगा कि सिंचाई का प्रसार नहीं हुआ है, वह तो हुआ है लेकिन उपयोगिता उससे नहीं बढ़ी है। इसका कारण क्या है? सिंचाई सन् १९४६ में अंग्रेजों के जमाने तक ६६.४७ लाख एकड़ पर होती थी और उस वक्त उपयोगिता ५९.३३ लाख एकड़ थी। सन् १९५८ में १०९.२८ लाख एकड़ जमीन को सिंचित सुविधायें प्राप्त हुईं और उपयोगिता ८०.२६ लाख एकड़ पर हुई। इस से सिद्ध होता है कि उपयोगिता घटती जाती है। जैसे-जैसे सिंचाई का प्रसार हुआ उस के अनुसार उपयोगिता नहीं बढ़ी। मैं भी एक किसान हूं और उन तमाम कठिनाइयों में मुझे भी पड़ना पड़ता है, मैं जानता हूं कि सिंचाई का रेट ज्यादा है। हमारी सरकार ने जो सिंचाई साधनों का प्रसार किया उस में नहरों का कम और नलकूपों का अधिक प्रसार हुआ है और नलकूपों की सिंचाई का रेट इतना अधिक है कि किसान उस को कम इस्तेमाल करता है, या तो वह भगवान् के सहारे कम फसल में ही सन्तोष कर लेता है या उसका इस्तेमाल ही नहीं करता। इसी कारण से उपयोगिता गिर रही है। इस के अलावा ३ आने रुपये की छूट भी सरकार ने खत्म कर दी है। इसके कारण ही आगे के आंकड़े बतायेंगे कि यह उपयोगिता और कम हो जायगी। कारण यह है कि सिंचाई से जब अपेक्षाकृत लाभ ही न होगा तो कृषक नहरों से भले ही सिंचाई कर लें लेकिन ट्यूबवेल से नहीं करेंगे। इस लिये इस बात को देखते हुये कि किसान निरंतर गरीब होता चला जा रहा है, उस की प्रति व्यक्ति आय घटती जा रही है, सिंचाई कर में बढ़ौत्तरी न्यायसंगत नहीं है। इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विभाग के पैसे का ठीक तरह से बंटन नहीं होता। जैसा मैंने कहा कृषि और सिंचाई में कम रुपया दिया गया है। इसी तरह से और भी विभाग हैं जिन पर रुपया उनकी उपयोगिता देखते हुए नहीं दिया जाता है। इसी तरह से प्रान्तवाइज भी रुपया ठीक तरह से नहीं दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार से जितना पैसा मिलता है क्या जनसंख्या और क्षेत्रफल को देखते हुए कभी हमारी सरकार केन्द्र से इतना रुपया ले सकी जितना हमें जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर मिलना चाहिये था? नहीं मिला। यह भी हमारे विकास में एक रोड़ा है कि हमको पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं मिला।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि नियोजन का रुपया जिला स्तर पर भी न्यायपूर्वक नहीं बांटा जाता है। जितना नियोजन पर पैसा खर्च हुआ, कुछ जिले ऐसे छोड़ दिये गये जिनमें बहुत कम पैसा गया और बड़े-बड़े कार्य जो दूसरे जिलों में हुए वे कुछ जिलों में नहीं हुए। जैसे एटे में इन १० सालों के अन्दर इस सरकार ने क्या करके दिया? बल्कि मैं कहना चाहता हूं जो काम सार्वजनिक निर्माण विभाग को करना था वह काम हमारे विकास के कार्य से पैसा काट करके किया गया। हमारे जिले में काली नदी पर धूमरा का पुल बनाया गया, वह हमारे विकास का जो रुपया था उसमें से काट कर बनाया गया जो काम कि सार्वजनिक निर्माण विभाग का था क्योंकि उनकी सड़क काली नदी को पार करती थी। लेकिन नियोजन के रुपये में से काट कर उस पुल को बनाया गया।

अब जिला स्तर के बाद ब्लाक की बात कहना चाहता हूं। कुछ ब्लाक ऐसे हैं जहां पर बड़े-बड़े नेताओं की चहल-पहल है, या यों कहिये हमारे कांग्रेसी विधायकों की चहल-पहल है। उन ब्लाक्स में जो काम हो जाता है वह दूसरे ब्लाक्स में नहीं होता। अक्सर यह होता है कि विकास अधिकारी बड़े-बड़े जो जिला स्तर पर रहते हैं वे कांग्रेसी नेताओं के कहने पर और उनके सुझाव देने पर उनको प्रोत्साहन देने का कार्य करते रहते हैं जब कि दूसरे दलों के नेताओं को

[श्री रघुवीरसिंह]

हतोत्साह होता है और मिल करके काम करने की भावना समाप्त हो जाती है। मंत्री जी ने कहा कि मिल कर काम करना चाहिये। बात बहुत ठीक है। परन्तु मिल कर काम करने की कोई प्रेरणा सरकार की तरफ से दी जाती है? मैं कहना चाहता हूं अपने परायेवाद की बात चल रही है। अपने आदमी की बात और तरह से सुनी जाती है, दूसरे की दूसरी तरह से सुनी जाती है। तो हम भी मनुष्य हैं जब हम देखते हैं कि हमको दूसरी नजर से देखा जाता है तो कैसे सहयोग दें। और बात यह भी है कि सहयोग मांगा भी नहीं जाता। सहयोग लेने की भावना बनायी जाती है कि प्रान्त की जनता यह सोचे कि यह योजना हमारे लिये है। अधिकांशतः मैं देख रहा हूं नियोजन थोड़े से कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिये देश में और प्रान्त में आया। सर्वसाधारण के लिये नहीं आया। अगर सर्वसाधारण के लिये आया होता तो विकास का श्रेय पूरी जनता उठाती, जो आज नहीं उठा रही है। यही कारण है कि सब लोग कंधे से कंधा मिला कर इसमें सहयोग देने से हटते हैं।

अब मुझे यह बात स्पष्ट करनी है, जैसा मैंने पहले कहा, कि ग्रामीण क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय गिरती जा रही है और उसके भी बहुत से कारण हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के कार्यकलापों को उन्नति देने के लिये कोई अनुदान नहीं मिलता, अधिक रेट पर बिजली दी जाती है, अधिक सूद पर रुपया दिया जाता है। तकावी का रुपया जब किसान को किसी प्रकार मिल पाता है तो तुरन्त अल्प बचत योजना में दाखिल करा दिया जाता है। अगर माननीय मंत्री मेरी बातों को मिथ्या समझें तो जिन दिनों में तकावी का रुपया बांटा जाता है उन दिनों वह देखेंगे कि अल्प बचत का हेडिंग ऊंचा हो जाता है। यह समझा दिया जाता है कि यह रुपया डाकखाने में जमा कर दो फिर निकाल लेना। किसान तकावी काम चलाने के लिये लेता है उसमें इतनी क्षमता कहां है कि वह अल्प बचत योजना में रुपया जमा करे।

एक बात सबसे बड़ी उल्लेखनीय यह है कि लार्ज स्केल सोसाइटीज जो ऋण देती हैं उन्होंने किसान को पीस कर रख दिया है। वह जो रुपया देती हैं उसके भुगतान में अन्न मांगती हैं। उधर से कोई सज्जन यह तर्क उपस्थित करेंगे कि किसान अन्न का उत्पादन करता है, अगर अन्न से भुगतान कराया जाता है तो क्या हर्ज है? मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि हमारे प्रदेश में एक-एक, दो-दो एकड़ के किसान ज्यादा हैं। यह सब किसी की समझ में बात आ सकती है कि एक, दो एकड़ में इतना अन्न किसी तरह से पैदा नहीं हो सकता कि किसान अपने ऋण का भुगतान, लगान का भुगतान, अपनी खरीदने की चीजों जैसे कपड़ा, लोहा, मिट्टी का तेल, मसाला, इन सब का भुगतान अपने गल्ले को बेच करके करे। बहुत से काम वह दूसरे जरियों से करता है। छोटा किसान होता है, खेती कम है, आदमी ज्यादा हैं, खर्चा बढ़ा हुआ है। तो वह पशु-पालन करता है, दूध बेचता है, घी बेचता है, छोटे पशु को बड़ा पशु करके बेचता है, वाणिज्यकारी फसल पैदा करता है। तो यह कौन-सी न्याय की बात है कि जो पैसा दिया जाय उसका भुगतान अन्न से कराया जाय। उसमें होता यह है कि जब किसान अन्न नहीं दे पाता तो सोसाइटी के कर्मचारियों को १०, १० और ८, ८ रुपये सैकड़ा कमीशन इस बात का देना होता है कि वह बाजार से गल्ला ला कर उसके चुकता गल्ला के रूप में दिखा दें। तो इस तरह से ९ रुपये का सूद लार्ज स्केल सोसाइटीज को दें और ८, ९ फीसदी का सूद सरकारी नौकरों को दें, इस तरह से १८–२० फीसदी सैकड़ा का सूद वह देते रहें। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि किसान की गिरती हुई दशा को देख कर पैसे का भुगतान अन्न से न करा कर पैसे से कराया जाय।

इसके अतिरिक्त दैवी प्रकोप आते रहे हैं। उसमें कहीं ८ आने या ८ आने से ऊपर नुकसान हो जाय तब सरकार के कानों में यह आवाज आती है कि कुछ छूट दी जाय। इससे कम का नुकसान है तो कोई छूट नहीं। लेकिन यह सरकार ने कभी नहीं सोचा कि किसान की फसल चौपट हो गयी और उसके परिवार के सब लोग जिन्दा हैं। खर्चा ज्यों का त्यों है। इसलिये किसान को जीवन निर्वाह के लिये सरकार कुछ न कुछ उसे आर्थिक सहायता के रूप में दे। जो रुपया

उसे तकावी के रूप में दिया जाता है उसको उससे मय सूद वसूल किया जाता है और वह भी दूसरी ही फसल में वसूल किया जाता है। तो आप खुद समझेंगे कि जब उसकी फसल नष्ट हो गयी और उसके पास कुछ नहीं है और दूसरी फसल आ गयी, उसमें पिछला रुपया मय सूद के उसे देना है, अगली छिमाही का लगान देना है, तो यह सब वह कैसे दे सकता है ?

किसान की आर्थिक दशा सुधारनी है। अगर उसकी फसल दैवी प्रकोप से नष्ट हो जाय तो जीवन यापन के लिये उसे कुछ आर्थिक सहायता मिलना चाहिये।

शिक्षा की बात कही गयी। विकास की पहली सीढ़ी शिक्षा की है। बड़े बड़े शिक्षा मन्दिरों की तरफ हमारे मंत्री महोदय का ध्यान है। मांटसरी स्कूलों की ओर शहरों में बड़ी कृपा होती है, लेकिन क्या कभी हमारी सरकार ने उस आधारशिला—बेसिक स्कूलों—को देखा है जहां से शिक्षा का ग्रामीण क्षेत्रों में श्रीगणेश होता है ? मेरा कहना है कि कभी नहीं देखा। अगर कुछ आंकड़े हमारी मंत्राणी महोदया के पास हों तो वे अपने उत्तर में बतायें कि जितने गवर्नमेन्ट प्राइमरी स्कूल खोले गये, उनमें से कितने खड़े हैं और कितने ध्वस्त हो गये। श्रीमन्, गवर्नमेन्ट प्राइमरी जो स्कूल उस स्कीम के अन्तर्गत बनाये गये थे जिसके लिए एक हजार रुपया गवर्नमेन्ट ने दिया था और शेष जनता ने चन्दा करके दिया था, अपने जिला एटा का मुझे मालूम है, मुमकिन है हरीसिंह जी के यहां मेरठ में ऐसा न हो, सभी स्कूल ध्वस्त हो गये, एक भी नहीं है। उनकी मरम्मत के लिये कोई पैसा नहीं दिया गया। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कहता था कि गवर्नमेन्ट जाने और गवर्नमेन्ट के यहां इसके लिये कोई अलग से बजट नहीं बनाया गया। कहीं किसी की बैठक में पढ़ाई हो रही है अगर किसी ने उदारतावश दे दिया तो, और कहीं किसी पेड़ के नीचे पढ़ाई हो रही है। बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी तो खड़ी कर दी जाती हैं लेकिन अगर एक यूनिवर्सिटी को न खड़ा कर के इन प्राइमरी स्कूलों की तरफ ध्यान दिया गया होता तो सैकड़ों देहात के बेसिक स्कूल बन गये होते। अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट से कहा जाता है तो वे कहते हैं कि हमारे पास जितना पैसा है उतना हम दे सकते हैं, और वह भी नये स्कूलों के लिये तो कुछ पैसे का अधिक प्राविधान भी है लेकिन पुराने स्कूलों के लिये नहीं। तो सरकार जो स्कूल अपनी जगह पर ध्वस्त पड़े हुये हैं उनके बनाने के लिये भी कोई स्कीम बनाये।

अब मुझे सामाजिक विकास के सम्बन्ध में भी कुछ बातें कहनी हैं। सबसे पहले तो हमारा यह दुर्भाग्य है कि हिन्दुस्तान के सब से बड़े हिस्से में और खासतौर से हमारे प्रान्त में जाति-पांति का बोलबाला बहुत है और सब जगह है, ग्रामों में है, शहरों में है, जिलों में है और इस सदन में भी है। जब तक जाति-पांति है तब तक इसका बोलबाला रहेगा और उसे मिटाने के लिये ये कोई चेष्टा भी नहीं कर रहे हैं। तो जहां तक सामाजिक विकास का सम्बन्ध है, नियोजन में क्या व्यवस्था की गयी ? मेरे खयाल में कोई व्यवस्था नहीं की गयी। और जब से नियोजन चालू हुआ है तब से सामाजिक भेद-भाव में तरक्की हुई है। तरक्की का एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। सन् १९४७ में जब अंग्रेजों ने देश को छोड़ा था उस वक्त गजेटेड अफसरों की कुल संख्या ३,१०० थी जिसमें से बैकवर्ड क्लास के ३४ और १६ हरिजन अफसर थे। सन् १९५५ में गजेटेड अफसर ५,२०० हो गये, यानी ड्योढ़े, लेकिन बैकवर्ड क्लास के अफसर ३४ से घट कर २५ रह गये, यानी ६० फीसदी कम हो गये और हरिजन १६ थे वह ७० हो गये, लेकिन उसका कारण १८ फी सदी रिजर्वेशन है। तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या बैकवर्ड वर्ग की शिक्षा का स्तर गिर गया या क्या करण हुआ कि गजेटेड अफसरों की बढ़ती हुई संख्या के साथ इनकी संख्या नहीं बढ़ी ? आज का आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है लेकिन मैं समझ यह रहा हूं कि वह और भी कम हुआ होगा। अगर सरकार के पास कोई आंकड़े हैं तो पेश करे।

उधर से कहा जाता है कि सहयोग से काम होना चाहिये। बात अपनी जगह पर सत्य है कि विकास के काम में सहयोग के बिना काम नहीं हो सकता, लेकिन यह सहयोग कैसे मिले ? जब आप किसी वर्ग को यह समझते हैं कि यह हम में नहीं है और उसका बहिष्कार करते हैं, तिरस्कार करते हैं तो वह आपके पास कब तक बैठा रहेगा।

[श्री रघुवीरसिंह]

वह भी सोचता है कि हमारा कोई पूछने वाला नहीं है, हमें कोई स्थान देने वाला नहीं है, हमारा देश में क्या है, जिनका देश है वह जानें, तो श्रीमन्, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं । मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो यह जाति-पांति, ऊंच-नीच का रोग बहुत खराब है । सबको बराबरी का स्थान देना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—आप अपना भाषण जल्द समाप्त कीजिये ।

श्री रघुवीरसिंह—श्रीमन्, मैं जल्दी ही समाप्त करूंगा । हमारे मंत्रिमंडल को ही ले लीजिये । इसमें कोई बैकवर्ड क्लास का है ? मैं आक्षेप लगाता हूं कि क्यों किसी बैकवर्ड को नहीं लिया गया । इधर के नहीं उधर ही बहुत से बैकवर्ड क्लास के लोग मौजूद हैं । एक स्थान तो कम से कम दिया जाता । यही सब से बड़ी खामी है जो हम को नीचे गिराती है । लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है । नौकरियों में इनको स्थान इसलिये कम मिलते हैं कि पब्लिक सरविस कमीशन, चुनाव समितियों तथा चुनाव बोर्डों में इनका एक भी प्रतिनिधि नहीं है और यह आप जानते हैं कि कुंजड़ी अपने बेर को कभी खट्टे नहीं बताती है इसलिये बैकवर्ड क्लास का कितना ही अच्छा लड़का हो लेकिन उसको कभी नहीं छांटेंगे ।

एक सदस्य—मुख्य मंत्री जी हैं ।

श्री रघुवीरसिंह—मैं जानता हूं कि मुख्य मंत्री जी बैकवर्ड क्लास में नहीं हैं । बैकवर्ड क्लास की रिपोर्ट ऐसी दबाकर रखी गई है कि उसको हवा न लग जाय । इस पर लाखों रुपया खर्च हुआ था और बड़े परिश्रम से बनी थी लेकिन पता नहीं कि उसको न जाने कहां डाल दिया गया ?

श्रीमत्, एक बात मैं और कहना चाहता हूं जो देखने में बहुत छोटी है लेकिन यह देखना है कि उसका प्रभाव कितना पड़ता है ? हमारे नियोजन में २/३ चीजों में तरक्की हुई है । एक तो रहन-सहन का स्तर ऊंचा हुआ है, भ्रष्टाचार और बेकारी आगे बढ़ी है। इन सब में ज्यादा दोषी मैं रहन सहन के स्तर को ऊंचा होना समझता हूं । सुनने में यह बात भद्दी लगेगी और रहन-सहन को ऊंचा करना किस को बुरा लगेगा लेकिन मैं कहता हूं कि अपनी हैसियत से ज्यादा किसी का रहन-सहन ऊंचा उठ गया है तो वह कोई न कोई भ्रष्टाचार का ऐसा तरीका अपनायेगा जिससे उसका खर्चा पूरा हो सके । अभी तक यह रोग शहरों में ही था लेकिन अब देहातों में भी चलने लगा है । इसको सुपरवाइजर, बी० एल० डब्ल्यू० और सेक्टेरीज ले जा रहे हैं । क्योंकि इन जगहों पर बी० ए० तक मुकर्रर किये गये हैं जो जनता की सेवा नहीं करते हैं बल्कि जनता से कराने की चेष्टा करते हैं, और उनकी पत्नी इंटर हैं । उनकी तथा ग्राम सेविकाओं की वेशभूषा देखकर औरतों में उमंग उठती है । उनकी वेशभूषा ऊपर उठती जा रही है । मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका दुष्परिणाम निकलेगा । अगर उनकी औसत आय नहीं ऊंची उठाते तो इससे विद्रोह तक हो सकता है । इसलिये मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस वेशभूषा के स्तर की तरफ भी निगाह रखें । इसकी भी कोई लिमिट होनी चाहिये ।

श्रीमन्, मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि इस नियोजन के युग में वास्तव में जिनको सहायता मिलनी चाहिये उनको मिल नहीं पाती है । जो लोग होशियार हैं, जिनकी नेताओं तक पहुंच है, या अधिकारियों तक पहुंच है वह एक आदमी तकावी भी ले लेता है, गल्ला भी अपने खर्चे से ज्यादा ले लेता है, कहीं से मशीन के लिये, कहीं से रहट के लिये, एक-एक आदमी चार-चार तरह का अनुदान और तकावी ले लेता है । लेकिन जिस का काम रुका पड़ा है, अगर वह दुर्भाग्य से सीधा आदमी है, या ईमानदार है, या उसके पास इतना समय नहीं है कि वह किसी नेता के पास पहुंच सके, तो उसका काम रुका पड़ा रहता है । इस के लिये पूरी जनता को श्रेणीबद्ध किया जाय । मान लीजिये कि पांच श्रेणियों में विभाजित किया है. तो सबसे ज्यादा सहायता पांचवीं श्रेणी को दी जाय । चौथे नम्बर वाले को उससे कम और तीसरे नम्बर वाले को उससे

कम । जो एक हजार रुपये से ऊपर वाले हैं, उनको कोई सहायता नहीं देनी चाहिये । हमारे यहां यह हो रहा है कि अगर छूट मिलेगी तो छठे दरजे तक की फीस की सबको छूट मिलेगी । जिनकी तनख्वाह एक हजार रुपये से ज्यादा है या जो उद्योगपतियों के लड़के हैं, उनका भी छठें दर्जे तक शुल्क माफ होगा । उसके बदले फीस उनकी माफ होनी चाहिये जो फीस नहीं दे सकते । इसके लिये कमेटी बनायी जाय और श्रेणीबद्ध किया जाय पूरी जनता को और श्रेणियों के आधार पर सहायता दी जाय ।

श्रीमन्, बेरोजगारी भी बहुत बढ़ती जा रही है । यह कुछ करके रहेगी। जैसी बेरोजगारी आज बढ़ रही है अगर इसी तरह से बढ़ती गयी तो दस साल के बाद सिवा इसके कि मार्शल ला से काम होगा और कुछ नहीं हो सकता । कोई उपाय दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में हुआ नहीं और न तीसरी पंचवर्षीय योजना में कोई नियम है कि बेरोजगारी रोकी जा सके । इसलिये श्रेणीबद्ध करके जो लोग बेरोजगार हैं, जिनकी आर्थिक दशा खराब है, उनको सबसे पहले नौकरी में प्राथमिकता मिलनी चाहिये जिससे वह शान्ति के साथ जिन्दगी काट सकें । अन्यथा यह हो सकता है कि पब्लिक में विद्रोह पैदा हो जाये । नियोजन के ड्रेनेज से खेती के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है । वह इस तरह से कि नदियों की कैपेसिटी नहीं देखते, कि कितना पानी ले जाने की उसमें सामर्थ्य है और नाले बना कर नदियों में डाल देते हैं । आपने इन नदियों के साथ अत्याचार किया है । नदियों ने अपने पानी के अनुसार जितना नियोजित पानी उनमें आता था उसके अनुसार अपने रास्ते बनाये थे । अब एक-एक नदी में दस-दस और पन्द्रह-पन्द्रह नाले डाल दिये गये हैं । कैसे वह उनके पानी को ग्रहण करें ? हमारे देश में अधिकांश नदियों के किनारे की भूमि ही कुछ उर्वरक हो जाती है, वह भूमि अब इसके परिणामस्वरूप कटती जा रही है और खाद्यान्न की पैदावार को इससे ठेस पहुंचती है । इनके जितने नाले अब तक बने हैं उनका कभी सर्वे इस बात का नहीं हुआ कि यह कितना पानी ले जायेंगी और आगे चलकर के पानी के निकास के लिये भी रास्ता है या नहीं ? दूसरी बात यह कि ये नदियां जहां किसी नहर के नीचे पड़ती हैं वहां साइफन बनाये गये हैं । वह साइफन पूरा पानी नहीं निकाल पाते लिहाजा इतना पानी साइफन के किनारे इकट्ठा हो जाता है कि आसपास के गांवों का जीवन नारकीय हो जाता है और फसलें नष्ट-भ्रष्ट हो जाती हैं । इसके लिये कई बार सुझाव दिया जा चुका है लेकिन अब भी नियोजन विभाग की तरफ से नाले बिना सर्वे कराये बन रहे हैं। तो बिना सर्वे कराये और जब तक पानी के निकास का रास्ता न हो तब तक नाले न बनाये जायं अन्यथा खेती-बाड़ी को बहुत नुकसान होगा ।

(प्रस्तुत किये गये माने गये कटौती के प्रस्तावों के लिए देखिये सत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ४०३–४०४ पर ।)

श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विकास विभाग पर बोलने का अवसर दिया है । मैं विकास योजनाओं के अनुदान के समर्थन में और कटौती के प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हुआ हूं । उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कटौती के प्रस्ताव में सबसे पहले उन्होंने एक बात यह कही कि विकास योजनाएं तो एक ढोल की पोल हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विकास कार्यों की जो अभी रिपोर्ट पढ़ी गई सरकार की तरफ से, यदि माननीय सदस्य उसको ध्यानपूर्वक सुनते तो ऐसे शब्दों का प्रयोग न करते । उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया इस बात पर कि देहातों में लघु सिंचाई के साधनों की तरफ ध्यान दिया जाय । अभी रिपोर्ट में बताया गया कि २१ हजार ३९० कुयें बनाये गये और कितने ही हजार कुओं की मरम्मत कराई गई, कितने हजार उसमें पम्पिंग सेट लगाये गये । यदि यह सब बातें सिंचाई विभाग से संबंध नहीं रखती हैं तो क्या हैं ? आखिर सिंचाई विभाग पर ही सारा रुपया व्यय हो ऐसी कोई बात तो नहीं है ।

अल्प बचत योजना में यह माननीय सदस्य ने कहा है कि बड़ा रुपया किसानों से जमा कराया जाता है और जो किसान वहां से लोन या और चीजें लेते हैं तो वह उसमें जमा होता है । मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है । ऐसी बात नहीं है कि हर किसान को सरकार या जिले के अधिकारी

[श्री जसरामसिंह]

मजबूर करें कि वह सब रुपया या उसका कुछ भाग अल्प बचत में जमा करें। उनसे कहा जाता है, योजना समझायी जाती है, स्कूलों में समझायी जाती है, हर गांव में समझायी जाती है, शहर में समझायी जाती है कि अल्प बचत योजना से यह यह लाभ हैं। जब उनकी समझ में आता है वह रुपया जमा करते हैं और जबर्दस्ती की कोई बात इसमें नहीं होती है।

एक बात बहुत जोर के साथ माननीय सदस्य ने कही कि आमदनी घटी है दस वर्ष में और उसका उत्तर भी उन्होंने साथ में दिया कि शायद सरकार की पक्ष से यह कहा जायगा कि आबादी बढ़ गई है इसलिये यह आमदनी के आंकड़े घट गये हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि आबादी बढ़ने की वजह से ही आमदनी के आंकड़े घटे हैं। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं, आपने स्वयं जवाब दे दिया है कि आमदनी इसी वजह से घटी है कि जनसंख्या हमारे देश में बढ़ी है।

बैकवर्ड क्लास की बात उन्होंने बड़े जोर से कही, मैं समझता हूं कि वे स्वयं बैकवर्ड हैं, उनके दिल में इसके लिये बड़ा दर्द है कि मिनिस्टर लोग बैकवर्ड क्लास के नहीं हैं, सब उच्च वर्ग के हैं या हरिजन वर्ग में से हैं। इसके लिये तो खैर मैं समर्थन करूंगा और निवेदन करता हूं कि सरकार इस पर विचार कर ले कि बीच के आदमी भी मिनिस्टर बन जायं तो कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि यह बात अनुदान से कोई सम्बन्ध नहीं रखती।

अब कुछ विकास के कार्यों में, स्कूलों में हमने १० हजार रुपया अनुदान का दिया है, उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने कहा कि वह बिल्डिंगें सब नेस्त व नाबूद हो गयी हैं, लेकिन हमारे यहां तो १० हजार रुपया दिया गया है और ढाई हजार और लग करके साढ़े बारह हजार में एक अच्छी बिल्डिंग खड़ी होती है। ओवरसियर, इंजीनियर और ठेकेदार होते हैं और जिला परिषद् में नक्शा होता है। तो हमारे यहां तो इमारत ठीक है, लेकिन उनकी कैसे खराब हो गयी? उन्होंने तो सारे प्रदेश के बारे में कह दिया, लेकिन हमारे मेरठ जिले में और बुलन्दशहर में, जहां से मैं खड़ा हुआ हूं वहां ऐसी बात नहीं है। विकास के कार्यों में हमने अच्छे प्रकार से उन्नति की है और हमारा रहन-सहन का स्तर बढ़ा है और आमदनी के साथ वह बढ़ता भी है। ग्राम सेवक अच्छे ढंग से रहते हैं और अच्छे कपड़े पहनते हैं तो देहात के लोग जरूर चकाचौंध होते हैं। यह जरूर है कि वह ग्राम सेवक हैं और उन्हें ग्राम के स्तर से मिलकर चलना चाहिये। लेकिन उसके लिये उनकी ट्रेनिंग होती है, वह मिलकर चलते हैं। अगर वे और उनकी पत्नी जो एंट्रेन्स पास हो सकती है, वे अच्छे ढंग से रहते हैं तो यह एक अच्छा तरीका है और देहात वालों को उनका अनुकरण करना ही चाहिये। ब्लाक के द्वारा खेती के, विकिरता के और शिक्षा के कार्य बढ़े हैं। कृषि विकास से किसान अवश्य लाभ उठायेंगे। विकास खंडों में जब शुरू-शुरू में योजनायें बनी थीं किसानों के हित के लिये तो कुछ लोगों ने गड़बड़ी की थी, मुझे अपना अनुभव है। हमारे ब्लाक में और जिला स्तर पर जो अच्छी किस्म के औजार, बीज और खाद किसानों को दिये गये तो वह किसानों को न देकर के झूठे दस्तखत और अंगूठा उनसे कराया गया। और आज जब उसकी वसूली आ रही है तब किसान लोग परेशान हैं और कहते हैं कि हमने औजार, बीज और खाद कुछ नहीं लिया, यह हमसे कैसे वसूल किया जा रहा है। इस प्रकार की गड़बड़ियां इस विभाग में शुरू-शुरू में अवश्य हुई थीं। ऐसे मामलों में खासतौर से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिये कोई खास कमेटी बनायी जाय कि जिन अधिकारियों ने ऐसी गड़बड़ियां की हों, चाहे वे नौकरी छोड़ गये हों अथवा तबादले पर चले गये हों, उनको बुला कर दंड दिया जाय। लेकिन आजकल यह विभाग विकास की ओर जा रहा है और आज खेती के औजार, अच्छे किस्म के बीज और मशीनें किसानों को मिल रही हैं। विकास का काम कोई आसान काम नहीं है। किसी शायर ने ठीक ही कहा है :—

"बस्ती का बसाना आसान नहीं यह धीरे धीरे बसती है।"

हमारा देश अभी स्वतंत्र हुआ है, हम उसका विकास करने जा रहे हैं, इस प्रकार से यह एक प्रकार की बस्ती बस रही है, देश का नवनिर्माण हो रहा है, यह धीरे-धीरे ही होगा और इस प्रकार से आगे हम विकास की ओर बढ़ते जायेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये....

श्री भगवानदास (जिला आगरा)—श्रीमन्, हमको समय क्यों नहीं दिया जाता है। एक हफ्ते से हमको समय नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष—सदन में जनसंघ के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है, इसलिये मैंने पहले उनको बुलाया है। आपको मैंने दो तीन दिन हुये तभी बुलाया था। आप कई बार बोल चुके हैं।

श्री भगवानदास—मुझे एक हफ्ता हो गया, तब से मैं बोला ही नहीं हूं।

***श्री हिम्मतसिंह**—मैं आपके सामने इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये अपने विचारों को माननीय मंत्रीजी तक पहुंचा देना चाहता हूं। आज हमारे देश के सामने जो तस्वीर चल रही है, उसमें हमें देखना यह है कि वह ठीक भी चल रही है या नहीं। जब हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो देश के लिये बलिदान हो जाना एक आसान काम था, लेकिन आज देश के निर्माण का कार्य उतना ही दुश्वार हो रहा है। क्योंकि विकास के कार्य के लिये हमें होश और जोश दोनों चाहिये जब कि देश की लड़ाई में केवल जोश की ही आवश्यकता थी। जोश में गोली खाजाना आसान था लेकिन इस होश और जोश के साथ-साथ हमें त्याग, तपस्या और लगन की आवश्यकता होगी। तभी यह देश आगे बढ़ सकता है।

आप कहते हैं कि इन पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा हम सन् १९७५ तक देश की आमदनी को दुगनी कर देंगे। हमें देखना है कि वह दुगनी होगी भी या नहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे लोग हमें भुलावे में रख रहे हों। इसलिये हमें यह ध्यानपूर्वक देखना चाहिये। आपने जो तृतीय पंचवर्षीय योजना की पुस्तिका हमें दी है उसमें दिया हुआ है—

"इस अरसे में एक बड़ी बात तो यह होगी कि देश के हरेक परिवार की आमदनी १९५१ की आमदनी से कम से कम दुगनी जरूर हो जायेगी। १९७६ तक भारत के एक आम परिवार की सालाना आमदनी २,००० रुपये से अधिक हो जायगी"। जब मेरे प्रदेश की आमदनी २५९ रुपये है तो उसके लिये कहा गया कि यह आमदनी दुगुनी हो जायगी। कैसे हो जायगी जब कि हम यह देखते हैं कि हमारे प्रदेश की आमदनी वहीं की वहीं पर पड़ी रह गई है? आज उधर से यह कहा जाता है कि हमारी आमदनी न बढ़ने का कारण यह है कि यहां की जनसंख्या बढ़ गई लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिखने वाले कहते हैं कि यह कारण नहीं है कि इस प्रदेश की आमदनी जनसंख्या के कारण रुक गई हो। पृष्ठ ६ पर यह दिया हुआ है कि अस्थायी अनुमान के आधार पर सन् १९५१ में ६ करोड़ ३२ लाख से सन् १९६१ में ७ करोड़ ३८ लाख इस उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में १७·७ प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि पूरे देश की जनसंख्या इस अवधि में ३६ करोड़ १० लाख से बढ़कर ४३ करोड़ ८० लाख हो गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि समूचे देश के मुकाबले में कुछ कम ही रही। इसलिये जनसंख्या की वृद्धि को आर्थिक विकास की कमी का कारण नहीं ठहराया जा सकता। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि जनसंख्या के कारण इस प्रदेश की आमदनी घट गई या वहीं की वहीं रह गई। यह कारण नहीं माना जा सकता। अपने प्रदेश की आमदनी जब प्लानिंग नहीं थी उस वक्त अपनी राष्ट्रीय आय का १८ दशमलव कुछ हिस्सा हमको उत्तर प्रदेश का मिलता था। जब दो पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हो गई उस वक्त अगर हम देखें तो हमको क्या मिलता है उस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हिम्मतसिंह]

राष्ट्रीय आय का । वह मिलता है १५·७ प्रतिशत । यह प्रमाण इस बात का है कि हमारी नेशनल आय घट गई हैं । माननीय सदस्य जो कह रहे है वह सत्य के ऊपर परदा डालने की बात कह रहे हैं । यह वह सब्ज बाग दिखा रहे हैं कि हमने विकास कर दिया लेकिन राष्ट्रीय आय का हिस्सा देखते हुये यह मालूम होता है कि वह घट रही हैं । आज हमारे सामने इतनी ही बात नहीं है दूसरी तरफ भी जो हमारा उत्पादन बढ़ना चाहिये वह नहीं बढ़ रहा है । इस नियोजन के द्वारा आज हमको यह भी देखना है कि प्रजातंत्र का गला घोटने के लिये यह शासन इस नियोजन पर हावी होता चला जाता है । जहां पर पूर्ण नियोजन है जैसे कि साम्यावादी देश हैं वहां पर उनको पूरा प्रोडेक्शन पर अधिकार रहता है । आर्थिक क्षेत्र में वहां प्रोडेक्शन प्राइस और डिस्ट्रिब्यूशन पर पूरा अधिकार रहता है । पूंजीवादी देश में व्यक्ति का आर्थिक क्षेत्र में पूरा अधिकार रहता है । जहां पर व्यक्ति का अधिकार रहता है वहां पर बड़ी कठिनाई सामने आती है । कुछ तो हिस्सा अपने राष्ट्र का वह कंट्रोल करना चाहता है और कुछ व्यक्ति को देना चाहता है । उसमें कठिनाई उत्पन्न होती है । मैं आपको उदाहरण देता हूं कि आज हम देखते है कि जब सैन्य का संचालन करना होता है तो उसका संचालन बड़ी आसानी से हो जाता है । जब पुलिस का सिपाही ट्राफिक को कंट्रोल करना चाहता है तो वह भी नियम के अनुसार कर लेता है लेकिन कठिनाई उस समय आती है जब मुख्य मंत्री की गाड़ी पास होती है और उसको दूसरे रास्ते अवरूद्ध करने पड़ते है । अगर वह उन रास्तों को अवरुद्ध न करे और मुख्य मंत्री की गाड़ी को वैसे ही पास होने दे तो कोई कठिनाई सामने नहीं आती है । इसलिये इस नियोजन के द्वारा यदि हम निजी क्षेत्र को अवरुद्ध कर दें तो वहां कठिनाई आकर पड़ती है । इसमें आज हमको यह कहना है कि किसी तरह से तभी यह हमारी राष्ट्रीय योजना सफल बन सकती है जब न्याय के आधार पर इस पर विचार किया जाय और उसी प्रकार से कार्यान्वित किया जाय । आज मंत्री जी यदि किसी पर प्रसन्न होते हैं और खुश होते तो तो वहां पर पैसे की वर्षा कर देते है । मैं तो कहूंगा कि इन योजनाओं के द्वारा प्रजातन्त्र का गला घोटा जा रहा है । आज हमारे इस नियोजन से प्रजातन्त्र की हत्या की जा रही है । ऐसे आयोजन को हम पास भी फटकने नहीं देंगे क्योंकि यह हमारे ऊपर हावी हो रहा है । जिस प्रकार से ये योजना बन रही है वह तानाशाही की मनोवृत्ति का परिचय दे रही है । यह तानाशाही मनोवृत्ति आर्थिक कंट्रोल करने के लिये धमकी दे रही है । ऐसे प्रजातंत्र को जो तानाशाही मनोवृत्ति की धमकी दे, उसको हम अपने पास नहीं आने देंगे । इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह प्लानिंग डिफेक्टिव है । हमको पता नहीं है कि कितना हमारा एस्टीमेट बनना चाहिये और कैसे बनना चाहिये और कब क्या होता है । हमारे सामने मातातीला का उदाहरण मौजूद है । अर्जुन बान्ध का उदाहरण मौजूद है । मातातीला बान्ध का एस्टीमेट शुरू में ४ करोड़ का बनाया गया लेकिन बाद को उस पर १२ करोड़ खर्च हो गया । इसी तरह से अर्जुन बान्ध का उदाहरण है ।

अर्जुन बांध की ९५ लाख की स्कीम थी, वह बढ़ कर १ करोड़ १५ लाख की हो गयी । हम देखते हैं कि हमारी योजनायें बढ़ती जा रही हैं तो सोचना पड़ेगा कि काम कैसे चले । एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स १९५९–६० में दिया गया है कि डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से ही तमाम गड़बड़ियां हैं । उसका एक उदाहरण मैं आपकी आज्ञा से देना चाहता हूं:—

"Defective planning of a project—The construction of a canal project was approved by Government in 1955 at a cost of Rs. 129 lakhs. While submitting the original Project Estimates it was reported to Government that the project was expected to yield a net return of 7.4 per cent on the capital outlay. In 1958 the estimate of the project was revised to Rs. 175 lakhs although the length of the channels (excluding the drains)was reduced from

441 miles to 285 miles. As a result, the original estimated revenue return was rasised to 3.9 per cent, so that from "productive" the Project has been converted into an "unproductive" one. The revised estimate of the project is still (October, 1960) tobe administratively approved by Government, although part of the project has been completed and has started functioning."

(Appropriation Accounts, 1959—60, p. 23).

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे प्रदेश में प्रोडक्टिव योजनायें अनप्रोडक्टिव होती जा रही हैं इन नियोजकों की गलती के कारण । हमें पर-कैपिटा जितना खर्च करना चाहिये उतना हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश में लोगों पर पर-कैपिटा खर्च ५८ पाइन्ट कुछ आता है जब कि हम इससे कम खर्च कर पाते हैं। माननीय मंत्री जी अपनी योजनाओं को केन्द्र से नहीं लाते ताकि प्रदेश की कुछ तरक्की हो सके ।

इस के अतिरिक्त अन्त में मैं अपने जिले के एक ब्लाक की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां डिबाई ब्लाक एक कोने में बना दिया गया है जिससे गांव के लोगों को २०–२० मील चल कर आना पड़ता है। उसे केन्द्र स्थान में होना चाहिये। यहां से उसके लिये सूचना भी भेजी गयी थी लेकिन बी० डी० ओ०महोदय ने यह सोच कर कि केन्द्र में रखने से उनके बच्चे कहां पढ़ेंगे उसे एक कोनें में बनवा दिया और डिवाई को ही हेडक्वार्टर बना दिया है। इससे दानपुर का हेडक्वार्टर केवल डेढ़ मील की दूरी पर है। मैं चाहूंगा कि उसे समाप्त कर के दानपुर में ही मिला दिया जाय वरना उसको नरौरा में स्थापित किया जाय। वह सेन्टर में पड़ जायगा और ऐसा होने से वहां की जनता की परेशानी दूर हो सकती है। इस ओर में सरकार का और माननीय मंत्री जी का खास तौर से ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री शान्तिचन्द (जिला गोंडा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आजादी के बाद हम अज्ञानता, निर्धनता, बेरोजगारी, गरीबी आदि के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। पहली योजना खत्म हुई, फिर दूसरी खत्म हुई और अब तीसरी योजना काल में हम चल रहे हैं। इन योजनाओं की सफलता में जो कुछ फल हमें प्राप्त हुआ है उससे हमारी आशायें बलवती हो रही हैं। हमारा देश उनसे आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस योजना पर जो कुछ खर्च हो रहा है वह दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में कम है। द्वितीय योजना काल में जो कुछ खर्च हुआ उसके कुछ आंकड़े इस प्रकार हैं—पंजाब में ९१.३९, काश्मीर में ७०.६६, मध्य प्रदेश में ६८.९१, मैसूर में६७.१८,बंबई में ६५.९५,उड़ीसा में ६५.३५,राजस्थान में ५९.८१,आसाम में ५८.५२, केरल में ५७.६१, पश्चिमी बंगाल में ५६.९२, आंन्ध्र में ५१.७०, मद्रास में ४६.७३ और बिहार में ४६.०५, रुपया प्रति व्यक्ति खर्च हुआ है और हमारे उत्तर प्रदेश में ३७.२७ रुपया प्रति व्यक्ति खर्च हुआ है। यह सब आंकड़े यह साबित करते हैं कि हमारे यहां जो कुछ खर्च हुआ है वह और प्रदेशों के मुकाबले में बहुत कम हुआ है। इसी तरह से जो हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना बनी है वह भी और प्रदेशों के मुकाबले मे नीची ही है। इसके आंकड़े भी मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। काश्मीर में १४१.५१,राजस्थान में १२०.४१,पंजाब में११६.८७,आसाम में १०९.९, महाराष्ट्र में १०५.४०,मैसूर में १०४.१७, मध्य प्रदेश में१००.३३,केरल में ९८.९४, उड़ीसा में ९६.९७,पश्चिमी बंगाल में ८४.१८,आन्ध्र म ८१.७९,मदरास में ८०.८३,बिहार में ८४.८९, खर्च होगा जब कि उत्तर प्रदेश में केवल ६६.८९, ही है। इस हिसाब से अगर देखा जाय तो हमारा प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है और बहुत कम पैसा यहां पर खर्च किया जा रहा है।

श्रीमन्, आज जरुरत है कि हमारा देश आत्म निर्भर हो ताकि विदेशों से जो अनाज वगैरह हमको मंगाना पड़ता है वह न आवे। इसके लिये ब्लाकों को कुछ अनुदान भी दिया जाता है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। आज कल देखा जाता है कि अनुदान की भूख गांवों में बढ़ती चली जा रही है। दो पंचवर्षीय योजना में बीत गयीं। उसमे देखने को मिला कि

[श्री शान्तिचन्द]

किसी किसी गांव में तो कुछ भी काम नहीं हुआ है और कहीं कहीं पुलिया भी बन गयी हैं, खरन्जे आदि भी बन गये हैं तथा और भी विकास के काम हुये हैं। आज जरूरत इस बात की है विकास की कल्याणकारी योजना हर गांव में पहुंचे और हर आदमी को उससे फायदा हो।

एक बात और है। जो अनुदान या कर्जे वहां के लिये दिये जाते हैं उसको कुछ सफेद-पोश लोग ही जो ब्लाकों के पीछे-पीछे रहते हैं प्राप्त कर लेते हैं और जिनको वास्तव में जरूरत रहती है, जो कमजोर होते हैं, उनको वह सहायता नहीं मिल पाती है इसलिये सरकार को ऐसा कोई तरीका निकालना चाहिये कि जरूरत मन्द लोगों को वह अनुदान मिल सके। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। हमारे जिले गोंडा से सिंचाई के लिये कुछ अनुदान दिया गया। कायदे के मुताबिक वह अनुदान ग्राम सभा को मिलता है और वह जो प्रस्ताव पास करती है उसी के मुताबिक वह किसी निर्माण के कार्य में खर्च होता है। मगर वह रुपया जो लोग ले गये हैं उन्होंने उसको अभी तक ग्राम सभा के कोश में जमा नहीं किया है और उस रुपये का कुछ पता नहीं है। इसी तरह से जहां पुलिया बननी चाहिये थी वहां नहीं बनी, और जहां होशियार लोग थे वहां बन गयी। यही हालत आज ब्लाकों की भी चल रही है। वहां पर जो नया पंचायती राज्य बनाया गया है उससे यह तो जरूर है कि गांव वालों को अपना कार्य क्रम बनाने का एक मौका मिला है जिससे कि वह अपनी योजना अपने गांवों के लिये बनायेंगे लेकिन वहां पर चूंकि दलबन्दी पैदा हो गयी है इसलिये विकास के कामों में रुकावट पड़ती है। जो अनुदान ब्लाकों में भेजे जाते हैं उसमें ठेकेदारी प्रथा घुस रही है। कहा जाता है कि यह काम गांव सभाओं को दिया गया है और प्रधानों को करना चाहिये लेकिन देखा यह जाता है कि कुछ लोग प्रधानों से एक प्रकार से कन्ट्रैक्ट लिखाकर काम बनाते हैं और मुनाफा खाते हैं। नतीजा यह होता है कि वास्तव में जो रुपया खर्च होना चाहिये वह खर्च नहीं होता बल्कि फिजूल के इधर उधर के कामों में खर्च करके गांव सभा का नुकसान किया जाता है। इस प्रथा को तुरन्त बन्द होना चाहिये।

आजकल ब्लाकों में एक खराबी है कि वहां के कर्मचारी एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार नहीं होते। यदि पंचायत के सम्बन्ध में कोई बात ए० डी० ओ० (कृषि) से पूछी जाय तो वह कहेगा कि ए०डी०ओ० (पंचायत) से पूछिये या इसी प्रकार से खाद के संबंध में पंचायत वाले से कोई बात पूछिये तो वह कहेगा कि कृषि वाले से पूछिये। इससे गांव वालों को परेशानी होती है। ब्लाकों से जो तकावी वगैरह दी जाती है उसमें भी लेन देन शुरू हो गया है। नतीजा यह होता है कि आसानी से जो तकावी मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पाती, तहसीलों की तरह से अब ब्लाकों में भी वही परेशानी उठानी पड़ती है। इससे गांव वालों का हौसला पस्त होता है। आज जरूरत इस बात की है कि सरकार जो पैसा खर्च करना चाहती है उसका सही उपयोग हो, जिस काम के लिये दिया जाय उसी काम पर खर्च किया जाय।

एक परेशानी यह है कि ब्लाकों से जो खाद और बीज दिया जाता है वह समय पर नहीं मिलता है। बाद में जबर्दस्ती किसानों पर थोपा जाता है। दूसरी तरफ बहुत से लोग खाद और बीज तकावी लेकर दूसरे कामों पर खर्च करते हैं। अतः जिला स्तर पर इस बात की जांच होनी चाहिये कि जो कर्ज और तकाबियां दी गई हैं या अनुदान दिये गये हैं उनका सही उपयोग हुआ या नहीं और यदि नहीं हुआ है तो उसके ठीक उपयोग के लिये कौन उपाय किये जायं ताकि पैदावार बढ़े।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो यहां पर बहस हुई उसको सुनकर के आदरणीय रघुबीर सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका मुझे समर्थन करना है और माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान की मांग की है उसको अफसोस और खेद के साथ विरोध करना है। कारण यह है कि सात साल पहले माननीय मन्त्री जी हमारे जिले में गये थे। उस जमाने में पी० एस० पी० के नेता के रूप में उनको हमने बुलाया और उन्होंने जाबरा गांव के जिला सम्मलन में नियोजन विभाग में किये जा रहे भ्रष्टाचार का पूरी तरह से भंडा फोड़ किया था लेकिन आज उन्होंने विकास की कितनी जबर्दस्त तारीफ की। यही नहीं बल्कि जिस वक्त सन् ५४ में मथुरा जिले के अर्दा गांव में

सिंचाई आन्दोलन के सिलसिले में माननीय मंत्री जी वहाँ गये और वहां द्रौपदी नाम क एक देवी का पुलिस द्वारा चीर खींचा गया था जिसका निरीक्षण तक नहीं किया गया लेकिन आज उन्होंने विकास का कितना समर्थन किया है, मैं कहना चाहता हूं कि विकास कहां है। विकास तो कहीं है ही नहीं। इस किताब के अन्दर विकास खंडों के बारे में बतलाया गया है। लेकिन मैं उन्हें विकास खंड कहूं या बर्बाद खंड कहूं या विनाश खंड कहूं? इनके लिये उपर्युक्त नाम तो विनाश खंड ही होगा। इसमें लिखा हुआ है कि ३० सितम्बर, १९६१ तक समस्त प्रदेश में खुले हुए विकास खंडों की स्थिति निम्न प्रकार थी। प्रथम श्रेणी के खंड ४२५, द्वितीय श्रेणी के खंड ९०, उत्तर द्वतीय श्रेणी के खंड २३ सघन विकास खंड १४ और पूर्व प्रसार खंड १०२। ३१ मार्च १९६२ तक खुले हुए विकास खंडों की संख्या निम्न प्रकार होगी : प्रथम श्रेणी के खंड ४३०, द्वितीय श्रेणी के खंड १३५, उत्तर द्वितीय श्रेणी के खंड ३३ और पूर्व प्रसार विकास खंड ११२।

अब मैं अपने जिले पर आता हूं। अभी चार पांच रोज हुए, मोहनलाल गंज तहसील के महमूदपुर नाम के एक गांव में मैं जनवादी दिवस के सिलसिले में भाषण देने के लिये गया था। उस महमूदपुर के ही पास ही एक और छोटा गांव है जहां एक भी छतदार मकान नहीं है। वहां फूंस की झोंपड़ियां हैं और ये भी टूटी हुई, तो यह विकास जरूर हुआ है! अगर विकास हुआ है तो दिल्ली में अशोक होटल का और अगर विकास हुआ है तो पंडित जवाहर लाल नेहरू की चार पांच मील सड़क का जिस पर किसानों की एक भी बैलगाड़ी नहीं चल सकती। मेरे जिले में १२ विकास खंड हैं और साथ ही मेरे क्षेत्र में ३ विकास खंड हैं नाम के। वे नकल करने के विकास खंड हैं। एक तो नन्द ग्राम में प्रथम श्रेणी का विकास खंड है जहां की कहानी में आपको सुनाऊं कि वहां एक बी० डी० ओ० है, एक ए० डी० ओ० हैं और एक जीप उनको मिली हुई है। वहां एक गृह लक्ष्मी हैं, एक ग्राम सेविका हैं और एक दाई है। वहां की हालत कहते हुए मुझे लज्जा आती है, हालांकि मेरी अवस्था ५७ वर्ष की है। वहां के विकास खंड में जितनी खुराफातें होती है उनको मैं लज्जा के मारे कह नहीं सकता हूं। कहा जाता है कि ५०० रु० कुयें के लिये दिये जाते हैं। लेकिन वे किसको दिये जाते हैं? उनको दिये जाते हैं जो कांग्रेस को चुनाव के वक्त वोट दिलवायें और उनका प्रचार करें। रुपये तो ५०० नये कुयें के लिये दिये जाते हैं लेकिन होता यह है कि पुराने कुयें की एक मेंड पर सीमेंट लगवा कर लिखवा दिया जाता है कि नया कुआं बना दिया गया है। यह हालत हमने आज के विकास खंडों की देखी है। माननीया मंत्राणी जी मेरे जिले में चलें और देखें। मैं उनको निमंत्रण देता हूं, सुचेता जी भमुरा में जा करके देखें। उनको वहां पता लगेगा कि दस साल में वहां खाक भी विकास नहीं हुआ है बाकी रुपया जरूर करोड़ों फूंक दिया गया। यह रुपया कहां जाता है? वह जाता है बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ० और जिला विकास अधिकारी की विलासता में और सरकार बदनाम होती है। सरकार के घोड़े बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ० और जिला विकास अधिकारी हैं और सरकार सवार है, लेकिन इस सरकार पर अगर हमारे देश की जनता और प्रदेश की जनता सही होती, जागरूक होती तो उनका जवाब तलब करती कि १४ साल में इतना रुपया किस खड्ढ में चला गया और क्या विकास हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि ३ विकास खंडों में से १-२ गांवों में जरूर ईंट के खरंजे बने हैं या लालटेन लगा दी गई हैं और वह भी कांग्रेसियों की ही चौपालों पर और जब कभी मन्त्री जी जाते हैं या माननीय मुख्य मंत्री जी जाते हैं तो उन को उन्हीं दो गांवों की सैर करा दी जाती है, कांग्रेस के चपरकनाती उन्हीं की सैर करा देते हैं, यह विकास हो रहा है। मैं सारी पोल बता देना चाहता हूं, जितनी पोल इन विकास खंडो में है उतनी कहीं नहीं है। छोटी-छोटी सरकारी गूलें सिंचाई की बनाई गई हैं लेकिन उनमें पानी नहीं, अब किसान आवपाशी किससे करे? उनमें कुलाबे तक नहीं लगाये हैं, मेरे क्षेत्र में चन्दौरी माइनर और सैदनांदपुर माइनर में कुल बे आज तक नहीं लगे हैं। एक सुझाव मैं जरूर दूंगा कि अगर सरकार को जिन्दा रहना है, अगर सरकार को अपनी मान्यता प्राप्त करना है, अगर सरकार जनता की सच्ची सेवक बनना चाहती है, तो वह हर एक ब्लाक खंड पर एक निष्पक्ष नेता को बिठाये और इन ग्राम सेवक और

[श्री लखीसिंह]

ग्राम सेविका को हटाया जाय और बी० डी० ओ०, ए० डी०ओ०की जगह और अच्छे अफसर छांट कर भेजे जायं और हर ६ मास बाद उस कार्य की जांच कराई जाय; तब ही इस रुपए का सदुपयोग हो सकता है वर्ना यह जो लाखों करोड़ों रुपये का बजट 'हां' और 'ना' करा के पास कराया जाता है वह सब बेकार हो जायगा। इस तरह से तो यह जनता की खून पसीने की कमाई का रुपया सड़ी नाली में डाला जा रहा है और उस का कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है। यह विकास खंड नहीं हैं, यह विनाश खंड हैं।

श्री रामबली (जिला सुल्तानपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्राणी महोदया ने जो अनुदान आदरणीय सदन के समक्ष उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसमें संदेह नहीं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहां की जनसंख्या को देखते हुए हमारे देश में जिन योजनाओं का निर्माण हुआ है और जिनके द्वारा हमारे देश की कृषि की उन्नति हो रही है इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता था।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आज तृतीय योजना में जिस प्रकार से ग्राम पंचायत, क्षेत्र समिति और जिला परिषदों का संगठन करके देश में काम करने का तरीका अपनाया गया है उसके अनुसार जिला नियोजन अधिकारी की कोई आवश्यकता नहीं है, उनका उतना काम नहीं रह गया। इसलिये इस पद को तोड़ने के लिये आपको सोचना होगा। विकास खंडों में प्लानिंग अफसर एक अभिशाप होता जा रहा है। जिला परिषद् के अध्यक्ष वही काम करेंगे देखने का और वही काम प्लानिंग अफसर करेगा। इसमें कोई तुक नहीं। इसी के साथ ए० डी० ओ० हैल्थ की भी कोई आवश्यकता नहीं।

आपने अभी ग्राम सेवक की बड़ी तारीफ की। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसका बड़ा महत्व है गांवों में। लेकिन उनकी तरफ आपको विशेष ध्यान देना होगा। अभी तक ग्राम सेवकों में बहुत से ऐसे हैं जिनके पद अस्थायी हैं, उनकी पदोन्नति जैसी होनी चाहिये वह नहीं हुई है। थोड़े दिनों के लिये वह ए०डी०ओ० होते हैं और उसके बाद फिर उसी क्षेत्र में वे ग्राम सेवक कर दिये जाते हैं। परिणाम यह होता है कि उनकी तबियत काम में नहीं लगती। २, ४ महीने के लिये जहां वह ए० डी० ओ० होते हैं उसके बाद जब ग्राम सेवक हो जाते हैं तो उनको मैं समझता हूं उस क्षेत्र में न रख कर दूसरे क्षेत्र में भेज दिया जाना चाहिये। अन्यथा वे समझते हैं कि अभी तक हम ए० डी० ओ० थे अब ग्राम सेवक रह करके किस प्रकार काम करें। हालांकि २, ४ महीने के लिये ही उनकी उन्नति होती है, ऐसा उनको नहीं सोचना चाहिये, फिर भी आपको उनके पदों की स्थायित्व प्रदान करने के लिये सोचना चाहिये।

बहुत दिनों से हम लोग यह सोचते हैं कि ग्राम सेवक, सेक्रेटरी और लेखपाल, इनमें से किसी एक ही के रहने की आवश्यकता है। अभी अभी हमको मालूम हुआ कि विकास क्षेत्रों में जो जिन्सवार लेखपाल बनाता है वह स्थायी है ग्राम सेवक उसी को सामने रख कर अपनी योजना बनावे। मैंने एक जगह देखा कि बिल्कुल गलत आंकड़े लेखपाल के थे और वही आंकड़े ग्राम सेवक ने अपने सामने रखे। होना यह चाहिये कि जिन्सवार का काम ग्राम सेवक भी लेखपाल के साथ जा करके करे, वह अलग से बनावे और तब देखा जाय कि वाकई कौन से आंकड़े ठीक हैं। वरना लेखपाल जो आंकड़े भेज देता है जिन्सवार के वही आंकड़े भेजे जाते हैं। हर जगह ग्राम सेवक कहता है कि मैं क्या करूं; वही आंकड़े तहसील में माने जाते हैं और ग्राम सेवक की कोई नहीं सुनता। इसलिये होना चाहिये कि अलग-अलग जा करके उसको देखना चाहिये।

इसी प्रकार गिरदावर कानूनगो जो गांव में बैठा रहता है उसके पद को भी तोड़ना जरूरी हो गया है। और मैं राजस्व मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस पर भी विचार करें।

इसी प्रकार से गांव की हालत दिन पर दिन अच्छी होती जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं इसलिये यह जरूरी हो गया है कि हर एक काम का अंदाजा किया जाय।

इन विकास योजनाओं में गांवों में जहां प्राइमरी स्कूल की शिक्षा आप बढ़ाते जा रहे हैं उसी के अनुपात में जूनियर हाई स्कूल और हायर सेकेन्डरी स्कूल की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । आज जूनियर हाई स्कूल १०, १० मील की दूरी पर नहीं हैं । जो लोग जूनियर हाई स्कूल चला रहे हैं उनकी भी दशा ठीक नहीं है । उनको ठीक से अनुदान नहीं दिया जाता । इसलिये जहां प्राइमरी स्कूलों को अनुदान दिया जाता है वहां जूनियर हाई स्कूलों के लिये भी अनुदान सुरक्षित होना चाहिये । विकास क्षेत्रों में हायर सेकिंडरी स्कूल जब तक नहीं होते तब तक शिक्षा की उन्नति नहीं हो सकती ।

हर जगह पर जिस गांव में उन्नतिशील कार्य होते हैं वहां पर विशेष कर खेती के औजार इनाम में दिये जाते हैं । लेकिन उसमें गांव वालों की राय नहीं ली जाती है । गांव में अगर सिंचाई के साधन नहीं हैं तो कुवें बनाये जायं, रहट लगाये जायं । आने जाने के साधन नहीं हैं तो सड़कें बनें । पुल नहीं हैं तो पुल बनें । लेकिन यह सब गांव वालों पर ही छोड़ना चाहिये; यह नहीं कि विकास क्षेत्र में हर जगह पर सरकारी अफसर मालमानी ढंग से जो चाहें कर दें । गांव के लोगों पर ही यह छोड़ा जाये कि वे लोग क्या चीज चाहते हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक शेर पढ़ना चाहता हूं :---

"नाज है गुल को नजाकत पे चमन की ऐ जोंक,
उसने देखे ही कहां नाज व नजाकत वाले ।"

मकसद यह है कि इस हाउस में बैठ कर माननीय मुख्य मंत्री जी तारीफ करते हैं कि कुंभ पर हमारी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया लेकिन यह नहीं बतलाया कि ४० लाख व्यक्तियों की आमद की उम्मीद थी, उनका इन्तजाम किया गया परन्तु केवल ७ लाख व्यक्ति पहुंचते हैं। फिर कहते हैं कि इन्तजाम बहुत अच्छा !

अब सवाल हमारे सामने पेश है नियोजन का । इसमें हालत कुछ ऐसी है कि यहां बैठ कर अच्छी तसवीर, अच्छा रंग दिखा देने की बात है लेकिन असलियत बहुत कोसों दूर है । विकास खंडों में जाकर सब पता चलता है । जैसा अभी लखी सिंह जी ने कह दिया है अंग्रेजों ने भी पिछली लड़ाई में वैकाइज (women's Aux-corps) रखी थीं उस ढंग का वातावरण इन दाइयों और ग्राम सेविकाओं से पैदा किया जा रहा है । दुख की बात है, कहने की भी नहीं, लेकिन बगैर कहे रुका भी नहीं जा सकता । देवबन्द के अन्दर सहारनपुर जिले में इसी तरह का नियोजन का काम चल रहा है । दूर-दूर से अफसरान पहुंचते हैं । शिकायतें हैं, लेकिन बात यहां कौन सुनता है ? वहीं पर दाब दी जाती हैं। वहां जाने पर हर इंसान को जबानी वहां की हालत मालूम हो सकती है । बहन जी अच्छी तरह से जानती हैं जो हालत है । जैसी हालत है चल रही है लेकिन जी रहे हैं, क्योंकि मरा नहीं जाता । देख कर दुख होता है । आज वह सामने बैठी हैं इसलिये चुप हैं । यह वक्त भी निकल जायगा और कभी हमारा और उनका फिर साथ होगा और हम कन्धे से कन्धा भिड़ा कर लड़ने के काबिल होंगे ।

आज प्लानिंग आफिसर्स को लीजिये, ये आपके मुख्य अधिकारी हैं जिलों के अन्दर । मेरे जिले में जो पिछले प्लानिंग अफसर थे उन्होंने ३०-३० गाड़ी कोयला एक-एक आदमी को प्रदान कर दीं। क्यों ? इसकी एक अजीब कहानी है और वह उसी तरह की कहानी है जैसी कि वैकाईज की हुआ करती थी। इसके बाद नये दौर का आगाज हुआ । एक हमारे यहां एस० डी० एम० साहब हैं जो ताश खेलना बहुत अच्छा जानते हैं । कलेक्टर साहब उन पर कुरबान होना चाहते थे । नये कलेक्टर आये । उन्हें टी० आर० ओ० बना दिया गया । उसी दौरान में प्लानिंग अफसर का वहां से तबादला हो जाता है । रातों रात वही पत्थर उठा कर वहां रख दिया जाता है । तीन तीन महकमे एक आदमी के हाथ में दे दिये गये । अगर आपका यही ढंग प्लानिंग का है तो आप हमारी रक्षा क्या कर सकेंगे, आप अपनी भी नहीं कर पायेंगे । ए० डी० ओ०,

[श्री ब्रह्मदत्त मायर]

बी० डी० ओ०, जितने आपके कर्मचारी महकमे में हैं अगर आपको उनकी करतूतें सुननी हों तो आप इलाकों में जायं, आप जनता से मिलें तब मालूम होगा । उन अफसरों के बीच में बैठ कर और दावतों में शामिल हो कर वे कहानियां आप नहीं सुन पायेंगी । आपने प्लानिंग अफिसर्स और बी० डी० ओज० वगैरह को गाड़ियां दीं । वह गाड़ियां क्या काम करती हैं ? सारा दिन कुनबा ढोने का काम करती हैं, सब्जी लाने के काम आती हैं । एक एक आदमी का पान लाने के लिये बीस-बीस मील जा कर वह गाड़ियां दो टुकड़े पान के लाती हैं । लेकिन इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, हर आदमी इसी हालत में है क्योंकि ऊपर वाले पीठ ठोंकते हैं । आज उन लोगों का संबंध उनसे जुड़ा हुआ है । यहां से टेलीफोन से नियुक्तियां होती हैं, तब्दीली होती है, तरक्की और तनज्जुली होती है । आपने इतना हस्तक्षेप कर रखा है, हर एक के इनिशियेटिव को आपने दबा कर रख दिया है । आप ऐसे ही करते चले गये तो हो सकता है कि यह आबला किसी दिन फूट जाय और उसके अन्दर सारा देश गर्क हो जाय । एक वक्त सन् ४७ के आखिर में ऐसा आया था जबकि देश अशान्ति की हालत में था और हर व्यक्ति जो सरकार के अन्दर बैठा हुआ था उसको यह नहीं पता था कि हुकूमत का कल क्या हश्र होगा । आज १५ वर्ष के बाद फिर वही हालत होती जा रही है । आपने इतना दबा रखा है जनता को कि वह आत्मविश्वास खो चुकी है । आज हर ब्लाक का आदमी एक-एक बोरी सीमेंट के लिये एक-एक बोरी फर्टिलाइजर के लिये मारा-मारा फिरता है, बी० डी० ओज० की खुशामद करता है, उसे रिश्वत देता है । हालत यह है कि बी० डी० ओज० ब्लैकमार्केटिंग का अड्डा बन गये हैं । सीमेंट और चद्दर की इतनी ब्लैकमार्केटिंग होती है जिसकी कहानी नहीं कही जा सकती है । मेरे यहां इन्क्वायरी हुई, परमिट्स पकड़े गये लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है ।

प्लानिंग आफिसर्स, ए० डी० ओज०, बी० डी० ओज० की कहानी मैंने आपके सामने कह दी । अगर आप उसमें आगे चलिये तो हर व्यक्ति ने अपने अपने इलाके के अन्दर ऐसी पार्टीबन्दी की हुई है, इस पार्टी की, दूसरी पार्टी की, तीसरी पार्टी की कि वह आम जनता के पेट की अंतड़ियां निकालने पर तुला बैठा है । आप टक्स पर टैक्स लगाते जा रहे हैं । पंचायत का टैक्स है, उसके बाद जिला परिषद् का टैक्स है । इसके बाद प्रांतीय सरकार के टैक्स हैं, इसके बाद सेंटर के टैक्स हैं, यानी एक एक व्यक्ति को टैक्सों के भार से इतना दबना पड़ रहा है कि उसका जीवन दूभर हो रहा है । अगर उसके अन्दर कोई है भी तो उसे दूसरे ढंग से खींच लिया गया है । आप अपनी मर्जी से बीज देते हैं, अपनी मर्जी से खाद देते हैं और मर्जी से ही सब चीजें देते हैं और यह सरकार अपने ए० डी० ओज०, बी० डी० ओज०, आदि, अधिकारियों द्वारा ऊपर से जबर्दस्ती जनता के ऊपर ठोकती है जो लोग जानते नहीं हैं कि क्या चीज है । आज आप कोई चीज ५० रुपये में किसान को देते हैं वह उसको १६ रुपये में बाजार में बेचने के लिये आ जाता है ।

जापानी ढंग की खेती की बहुत चर्चा की जाती है । मैंने स्वयं जापान में जाकर उस ढंग को देखा है । वहां पर धरती बहुत कम है और हमारे यहां बहुत ज्यादा है । वहां असली तरीका यह है कि जमीन जो बहुत ज्यादा खाद शुदा होती है और नरम होती है उसके लिये वहां पर हर पौधे को अलग-अलग खाद दी जाती है । लेकिन हमारे यहां एक ही पंक्ति में बो देते हैं और अंदाज से खाद दे देते हैं । जिस तरह से आप करते हैं उसके अनुकूल आपकी धरती नहीं है । आप उसी ढंग को अपनायें जिससे आपकी खेती तरक्की कर सके । उस ढंग से ही अधिक पैदा करने की कोशिश करें ।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त ।

श्री बंशीधर पांडेय—(जिला वाराणसी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विकास मंत्री जी ने जो नियोजन की ग्रांट सदन में प्रस्तुत की है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा

हुआ हूं । श्रीमान्, नियोजन और विकास ये दोनों शब्द ऐसे हैं कि सचमुच जब कटौती के प्रस्ताव पर विचार किया तो दुख होता है कि हमारे यहां जो कम्युनिटी डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं, ये तो जनता के सहयोग का पूरा प्लान है तो उसके कटौती का प्रस्ताव पेश करके रकम काटना कहां तक उचित है । एक भाई ने कहा कि हमारी योजनायें ऊपर से ही लादी जाती हैं, नीचे से नहीं चलती हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि योजनायें कब तक ऊपर से चलेंगी और मैं भी यह मानता हूं कि योजनायें नीचे से ही चलानी चाहिये और नीचे की इकाई को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाना चाहिये और ज्यों ज्यों ऊपर चलें त्यों-त्यों उसके कार्यक्षेत्र में कमी हो, यह सिद्धान्त की बात है जिसको कांग्रेसी सरकार करना चाहती है ।

लेकिन कठिनाई यह है कि आज पैसे की कमी है । नियोजन शब्द का अर्थ होता है अल्प साधनों के द्वारा अधिक से अधिक विकास के कार्यों को देश में फैलायें । चाहे कृषि का क्षेत्र हो, पशुपालन का हो, शिक्षा का हो, एनीमल हस्बेंडरी का हो, यूथ कार्यक्रम हों, प्रांतीय रक्षक दल का काम हो, कहने का मतलब यह है कि नाना प्रकार के जीवन के विकास के जितने भी कार्य क्रम हों सब में विकास होना चाहिये ।

मैं भी कहना चाहता हूं कि आज सोशेलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी चाहते हैं तो आपको तय करना होगा कि जो रुपया खर्च होता है उसकी उपलब्धि का साधन क्या होगा । एक तरफ इधर के बैठने वाले साथी जब नियोजन की बात करते हैं, उस पर रुपया खर्च करने की बात करते हैं और साधन जुटाने की योजना प्रस्तुत करते हैं तो उधर से विरोध होता है कि आप इतना टैक्स क्यों लगाते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवादी ढांचे की सरकार में हर जनता (व्यक्ति) को अपनी आमदनी में से शेयर करना होगा विकास के कार्यक्रमों में । आज हमें अफसोस होता है कि हम विकास के कार्यक्रमों पर कुठाराघात करते हैं । आज पंचायती राज्य की स्थापना होने जा रही है । केन्द्र का शासन, प्रदेश का शासन, जिले का शासन, क्षेत्रीय स्तर का शासन, और उसके बाद गांव समितियों का शासन होगा । महात्मा गांधी जी ने जो रामराज्य की कल्पना की थी, हो सकता है कि त्रेता युग में एक व्यक्ति का शासन रहा हो, लेकिन आज इस राम राज्य में जनता की छोटी-छोटी सरकारें होंगी जो गांव स्तर पर काम करेंगी । उसके बाद क्षेत्रीय स्तर पर और उसके बाद जिला स्तर पर काम करेंगी । जो जिला परिषद ऐक्ट पास हुआ है, माननीय सदस्य उसे देखेंगे तो सममुच पायेंगे कि कितने बड़े पैमाने पर सत्ता के विकेन्द्रीकरण का एक क्रांतिकारी कदम है । आगे चल कर क्षेत्रीय समितियां बनेंगी, जिला परिषदें जब संगठित हो जायेंगी ।

मैं आप से निवेदन करूं कि आज अधिकारियों और हम में कोई अन्तर नहीं है । आज अंग्रेजों का राज्य नहीं है । एक ही घर के नेता होंगे, एक ही घर के मिनिस्टर होंगे, एक ही घर के अधिकारी, बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ० और नीचे का चपरासी होगा । इस प्रकार की जब हम बात करते हैं तो विकास के कार्यक्रम में कार्य करने वाले कर्मचारियों के मनोबल में ठेस पहुंचती है और कोई फायदा आपकी आलोचना से पहुंचने वाला नहीं है । देश में जो विकास के कार्यक्रम हो रहे हैं संसार के बड़े-बड़े लोक नायक, तानाशाह और नेता जब वे भारत का दर्शन करते हैं, इसकी योजनाओं को देखते हैं तो उन्होंने भारतीय योजनाओं की तारीफ की है और यह भी कहा है कि इतने कम समय में, इतने सीमित साधनों से, भारत में विकास कार्यक्रमों का जो सम्पादन हुआ है दुनिया के इतिहास में किसी भी देश में इतने अल्प समय और इतने सीमित साधनों से इतना विकास नहीं हुआ है । १९६३ तक सारे गांवों में विकास का क्षेत्र पहुंच जायगा । आज हमारी योजनाओं में रुपये का दुरुपयोग होता है लेकिन एक बात आप भूल क्यों जाते हैं, कोई चीज करने के पहले ही नतीजा कैसे मिल जायगा ?

पंचायती राज्य और पंचायत राज्य में महान् अन्तर है । पंचायती राज्य में हम चाहे बहुमत से निर्णय करें या सर्वसम्मति से निर्णय करें, उसके कार्यान्वयन में सारी जनता का सहयोग होना चाहिये । तब तो वह पीपुल्स पार्टिसिपेशन प्लान सफल होगा ।

[श्री बंशीधर पांडेय]

यह नहीं हो सकता कि पंचायतों मे बैठकर हम कोई कार्यक्रम बनायें, कोई योजना पास करें, मान लें कि रास्ता चौड़ा करने का प्रस्ताव लायें, हो सकता है कि उसमें दो मत हों लेकिन जब उस पर फैसला हो जाय तो चाहे जो लोग उसके विपक्ष में भी रहे हों, उस कार्यक्रम में वे सहयोग दें । तब तो देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक सारे क्षेत्रों में विकास होगा। जब हम आलोचना करने लगते हैं तो विकास के जितने भी पहलू हैं उनको इस दृष्टिकोण से नहीं सोचते । आज हमारी आबादी जियोमेट्रिकल फार्म में बढ़ रही है, २,४,८,१६,३२, ६४ और जो खेती की पैदावार है, जो उत्पादन है, वह अरिथमेटिकल फार्म में बढ़ रहा है, १, २, ३, ४, ५ । मैं आप से कहता हूं कि विकास के कार्यक्रम में जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं, जो इतिहास के पंडित हैं, वह जरा देखें, इतिहास के पन्नों को उलटकर । आज अमेरिका का देश जो है उसकी एकोनामी कितने सौ वर्षों की है। आज रूस की एकोनामी कितने वर्षों की है, तरीके अलग-अलग हैं । हिन्दुस्तान में लोकशाही में ह्यूमैनिटेरियन टच जिसे कहा गया है मानवीय शक्तियों की तरफ ही हम ज्यादा झुकते हैं अपने कार्यक्रमों के करने में । हो सकता है कि थोड़ी उसमें देर हो। आज तानाशाही कायम की जाय, तानाशाही का रास्ता इस देश में अपनाया जाय, तो तीन पंचवर्षीय योजनायें एक मूल पंचवर्षीय योजना के काल में हो सकती है।

श्रीमान्, मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कम्यूनिटी डेवलपमेंट प्लान जो हमारी एक ग्रांट है इस पर तो उस पक्ष से यह बात आनी चाहिये थी कि जितना रुपया खर्च कर रहे हैं उससे और अधिक रुपया खर्च करें। क्या इसमें एक रुपया खर्च करने की बात हो सकती है ? मैं आपसे कहता हूं कि पोपुल्स पार्टीसिपेशन स्कीम में आपको और अधिक से अधिक रुपया सरकार से मांगना चाहिये। जिस दिन यह गांव सभायें, जिला परिषद् और क्षेत्र समितियां स्वावलम्बी तरीके से अपना कार्य करना शुरू कर देंगी, स्वावलम्बी बन जायेंगी, उनके टैक्सों का क्षेत्र बंट जायगा, उनका अपना कोष होगा, उस दिन आप देखेंगे कि इस प्रदेश और केन्द्र की तरफ बहुत कम निगाहें उठेंगी । आज हमारे देश में टैक्स का विरोध होता है। आखिर, ये पंचायतें हैं क्या ? पंचायतें जनता की छोटी-छोटी सरकारें हैंजहां पर ज्यों ज्यों विकास के कार्यक्रम गांवों में बढ़ते जायेंगे, हमारे भाई सभी जानते हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, सबको योजनाओं का अनुभव है, जिस गांव में ग्रामीण स्तर पर नेतृत्व जितना ही अच्छा रहता है उस गांव में उतना ही अच्छा विकास का कार्यक्रम चल रहा है । वह चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे श्रवण केन्द्र हों, चाहे खड़ंजे लगाने का काम हो, लालटेन लगाने का काम हो, प्रौढ़ शिक्षा हो, स्कूल की इमारत का कार्यक्रम हो, सारे कार्यक्रम यहां बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं । आज स्कूलों की इमारतों के लिये भी और हाई स्कूल और जूनियर हाई स्कूल की इमारतों के लिये भी पांच-पांच हजार रुपया दिये जाने की योजना है । यह तमाम योजनायें, तमाम कार्यक्रम, आप देखें तो सचमुच हैरान होने की बात है कि गांव की मालगुजारी से, जो खेती की मालगुजारी की आमदनी है उससे आप क्या हिन्दुस्तान की एकोनामी को और उत्तर प्रदेश के बजट को सन्तुलित कर पायेंगे ? आज दो सौ करोड़ रुपये के लगभग के बजट में २० या २१ करोड़ के करीब आपका रेवेन्यू है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पक्ष के और उस पक्ष के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायती राज एक इंस्ट्रूमेंट होगा जिसके द्वारा इस देश की कम्यूनिटी का डेवलपमेंट होगा। और यह जो कम्यूनिटेरियन डेवलपमेंट होगा वह मानवीय मूल्यों के आधार पर चलेगा। मनुष्य ही अगर मनुष्य की पहचान नहीं करेगा, गांवों में रहनेवाले अपने नेतृत्व की पहचान नहीं करेंगे और उनमें आपस में विद्वेष और घृणा का वातावरण जो पैदा करेंगे वह सबसे बड़े दुश्मन होंगे जो कि गांव के स्तर पर बुद्धिभेद उसमें ऐसा पैदा करने की कोशिश करेंगे । श्रीमान्, इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस ग्रांट का समर्थन करता हूं ।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—श्रीमन्, मुझसे पूर्व वक्ता ने इस पर आश्चर्य प्रकट किया कि ऐसे विभाग की मांग पर कटौती क्यों पेश की जाती है। कटौती पेश करने

के उद्देश्य में ही यह बात कही गई है कि सुझाव भी पेश किये जायेंगे। कटौती का यह उद्देश्य नहीं है कि विभाग का सफाया कर दिया जाय या विभाग चलाया न जाय। जहां तक कटौती पेश करने के उद्देश्य की बात है, वह तो उसके साथ ही साथ स्पष्ट कर दिया गया है।

रहा यह कि आखिर हम आलोचना क्यों करते हैं। उनको इस बात का अभिमान है कि विदेशों से जो हमारे अतिथि आते हैं वह हमारी योजनाओं की बड़ी तारीफ कर जाते हैं। परन्तु देश वाले तो तारीफ नहीं करते। मैं और ज्यादा कुछ न कहकर यह तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो मसविदा है इसकी पहली लाइन पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। पहली लाइन यह है कि नियोजन का मुख्य उद्देश्य है गरीबी को दूर करना। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा ऊपर के बैठने वालों से पूछना चाहता हूं कि क्या इस उद्देश्य की पूर्ति में पिछली दो योजनाओं में इस उत्तर प्रदेश की सरकार को सफलता मिली है। यदि आप कहते हैं कि मिली है तो आप को बाद के इसके पृष्ठ हैं उनको फाड़कर फेंक देना चाहिये, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है कि प्रति व्यक्ति औसत आय नहीं बढ़ी है। तो आपने जो माप-दंड निश्चित किया है उसी के अनुसार आपकी ये योजनायें सफल नहीं रही हैं। मैं स्वयं कटु-आलोचना नहीं करना चाहता, मेरा भी विश्वास है कि यह विभाग ऐसा है कि हम और आप मिल कर कुछ सोचें और विचार करें कि क्या कमियां हैं और उनको कैसे दूर किया जाय। सबसे पहली बात यह है कि आप इसको स्वीकार करें कि कुछ कमियां हैं। मैं नहीं कहता कि सरकार ने प्रयत्न नहीं किया। प्रयत्न किया, काफी रुपया खर्च किया, लेकिन नतीजा वैसा नहीं निकला जैसा निकलना चाहिये। इसके कारणों पर हमको और आपको सोचना चाहिये जिससे कम से कम तीसरी पंचवर्षीय योजना में आगे आने वाले वर्षों में तो हमको असफलता न देखनी पड़े।

सबसे बड़ी बात जो मेरी समझ में आती है, वह यह है कि विकास में कुछ बातों को प्राथमिकता मिलनी चाहिये। कुछ प्राइमरी डेवलपमेंट्स होते हैं, कुछ सेकेन्डरी और कुछ उसके बाद के। हमारी योजनाओं में प्रयत्न इस बात का किया जाता है कि सभी प्रकार की योजनायें एक साथ लागू कर दी जायं। मेरा विश्वास है कि किसी राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं जब तक शिक्षा का प्रचार अच्छी तरह से न हो। हमने अपने संविधान में इस बात का आश्वासन दिया था कि संविधान लागू होने के १० वर्ष के अन्दर प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क हो जायगी, उसको हम पूरा नहीं कर सके हैं बल्कि हम और प्रदेशों से भी पिछड़े हुए हैं। अभी अमेरिका में रिसर्च हुआ है यह जानने के लिये कि शिक्षा का क्या मूल्य है। वहां यह बात सिद्ध हुई है कि शिक्षा में जितना व्यय होता है उतना चाहे हम किसी फैक्ट्री में, किसी बड़ी योजना में लगा दें लेकिन उसके मुकाबले में शिक्षा में लगाये धन से राष्ट्र की उन्नति और आमदनी ज्यादा होती है। जब अमेरिका जैसे देश के लिये यह बात सच है तो हिन्दुस्तान जैसा देश जिसमें इतनी अशिक्षा है और शिक्षा के क्षेत्र की हमने इतनी अवहेलना की है, वहां के लिये तो यह और भी अधिक सच है। इसी अशिक्षा के कारण ही ऐसी शिकायतें सुनने में आती हैं कि खाद बांटी गयी और किसानों से ५ रुपये के बजाय ५० रुपये पर दस्तखत करा लिये गये। मेरे गांव में भी ऐसी शिकायतें हैं और इसका परिणाम यह है कि किसान इन विकास के कार्यों को धोखे की बात समझने लगता है और उनके नजदीक न जाने में ही अपनी खैरियत समझता है। यह सब शिकायतें शिक्षा के आने पर ही दूर हो सकती हैं, लेकिन शिक्षा की जो कुछ भी व्यवस्था है वह इतने निम्न स्तर की है कि उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। सदन जानता है कि मैं समाजवादी व्यवस्था में विश्वास करने वाला नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं इस मत का हूं कि प्रत्येक बालक को उन्नति का समान अवसर मिलना चाहिये। आप कहते हैं कि धरती और धन बांटना चाहिये, कल-कारखानों पर सरकार का अधिकार होना चाहिये। लेकिन आपने इतने दिनों में इसके लिये कौन सी व्यवस्था की है कि प्रत्येक बालक को अपनी उन्नति के लिये समान अवसर मिले? जिस प्रकार की शिक्षा हमारे गांवों में उपलब्ध है उसकी तुलना अगर लखनऊ और अन्य शहरों के स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा से की जाय तो मालूम होगा कि कितना बड़ा अन्तर है और फिर भी आप कहते हैं कि हमने समान अवसर दिया। मैं

[श्री भानुप्रताप सिंह]

कहता हूं कि जब तक अधिकारी वर्ग को छूट है कि वह अपने बालकों को उच्च स्तर के स्कूलों में भेज सके और गांव वाले अपने बच्चों को रद्दी स्कूलों में पढ़ाते रहें, तब तक समान अवसर की बात हो नहीं सकती, यह थोथी बात है। संसार के उन देशों में भी जिनको आप पूंजीवादी देश कहते हैं, स्कूलों के स्तर में इतनी असमानता नहीं है। आप इसकी ओर ध्यान दें और गांवों के स्कूलों के स्तर को ऊंचा उठायें।

दूसरी बात जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि हमारे नियोजन के कार्यक्रम का उद्देश्य यह न होकर कि किसानों की खुशहाली बढ़े अब तक यह रहा है कि उत्पादन बढ़े। उत्पादन बढ़ने और खुशहाली बढ़ने में अन्तर हो सकता है और है। हमारे देश में कृषि का उत्पादन बढ़ा है लेकिन किसानों की प्रति व्यक्ति आमदनी नहीं बढ़ी है। इसका एक उदाहरण मैं दे सकता हूं। आपकी पुस्तिका में जापानी ढंग से धान की खेती की बड़ी प्रशंसा की गयी है और बताया गया है कि १५ लाख एकड़ में जापानी ढंग से धान की खेती करायी गयी। पहली बात तो यह है कि यह जापानी ढंग हमारे देश के लिये अनुपयुक्त है। यदि आप विशेषज्ञों से इस बात को पूछें तो आपको मालूम होगा कि जापानी ढंग से खेती से उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसमें ७० प्रतिशत अधिक खाद देने के कारण से होती है। अभी एक रिसर्च वर्कर्स की मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने भी भाग लिया था। वहां यह बात मानी गयी कि केवल दो या ढाई मन के बीच में धान की पैदावार में वृद्धि जापानी ढंग की विशेष विधियों के कारण होती है, बाकी ५ मन खाद के कारण से होती है। जब यह पूछा गया कि यह दो मन की जो वृद्धि होती है वह क्या किसानों की उस मेहनत के बराबर होती है जो उन्हें जापानी ढंग अपनाने के कारण करनी पड़ती है। तो उसका उत्तर यही मिला कि हमारे देश में किसान बेकार बैठे रहते हैं, लिहाजा वह अगर मेहनत करके उतना अधिक पैदा कर लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है। हमें देखना यह है कि जो मजदूरी लगती है क्या उससे ज्यादा हमें मिलता है या उसके बराबर मिलता है। यह कहना कि धान बैठाने के समय किसान बेकार रहता है, यह एक बड़ी भारी भूल की बात है। इन कारणों से जापानी ढंग से खेती करने पर पुनः विचार की आवश्यकता है। खाद आप जो देते हैं उसे देते रहिये, बाकी उसके अलावा और जो बातें जापानी ढंग की बतलाई जाती हैं वे सब अनएकोनामिक हैं।

एक बात और है कि हमारे यहां भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है। मैं इसलिये नहीं कह रहा हूं कि हर जगह भ्रष्टाचार का जिक्र करना एक फैशन सा हो गया है। इतना मैं अवश्य कहूंगा कि जो शिकायतें आपके सामने आयें उनकी आप जांच कराइये क्योंकि इस तरह से बहुत ही भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। खाद की जो शिकायतें हैं वे हमारे ही ब्लाक में नहीं, अन्य ब्लाकों में भी उसकी शिकायतें हैं। शिकायतों की उचित जांच नहीं होती। बहुत अगर हुआ तो किसी का ट्रान्सफर कर दिया गया। ठीक है, ट्रान्सफर से उसको कुछ सजा हो गयी; लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार को रोकने के लिये ट्रान्सफर से काम नहीं चल सकता। यह तभी रुक सकता है जब हम भ्रष्टाचार करने वाले को उचित दंड दें। आप साल भर के लिये यह तय कर लीजिये कि जितनी शिकायतें इधर के लोग दें, उनकी आप जांच करायें और अगर उसमें सच्चाई हो तो उनको दंड दिया जाय।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि मुझे आपने इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का समय दिया। जो अनुदान प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। हमारी पहली और दूसरी योजनायें समाप्त हो चुकी हैं। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष में हम प्रविष्ट हो रहे हैं। उसमें हमको विकास के कार्य इतने और इस ढंग से करने हैं कि ऐसा कोई भी गांव न रहने पाये जिसमें हमारे नये-नये विकास कार्य न हुए होंगे। मेरा तो निवेदन यह है कि विकास-कार्य के लिये अधिक से अधिक धन रखा जाना चाहिये था।

अभी हमारे उधर के एक भाई ने कहा कि सुचेता जी ७ साल पहले विरोध पक्ष में थीं। उनको देखना चाहिये कि समय कितना प्रगतिशील है और सुचेता जी कितनी प्रगतिशील हैं। ७ साल का समय बहुत लम्बा समय होता है। राजनीतिक विचार तो ७ मिनट में ही बदल जाता है। ७ मिनट में जमाने में परिवर्तन हो जाता है। विचारों की खूबी की वजह से वह इधर आयीं और अब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वह उधर जायं। वह अब यहीं रहेंगी और कांग्रेस का कार्य करती रहेंगी।

दूसरी बात यह कहना है कि सरकार के पास कोई जादू टोना नहीं है कि एक दम से छू मन्तर किया और सारा काम एकदम हो गया। प्लानिंग का काम चल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि कोई काम रुका हुआ हो। सब कार्य ठीक रूप से चल रहे हैं और विकास के कार्य पूर्णरूप से होते जा रहे हैं। हर स्थान पर किसी न किसी रूप के नये निर्माण के कार्य हो रहे हैं और प्रदेश के लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी इसी तरह से हमारी सरकार प्रगति की दिशा में अपना कदम बढ़ाती चली जायगी, जैसा कि उसकी योजना भी है।

इतना मैं अवश्य कहूंगी कि जो नई हमारी योजनायें बनती हैं वह योजनायें भौगोलिक सम्भावनाओं और स्थानीय आर्थिक स्थिति को देखकर बनाई जायं तो उससे फौरन उन्नति हो सकती है। वैसे हमारी सरकार ने इस तरह से देखकर किया भी है। टेहरी-गढ़वाल और अन्य पर्वतीय जिलों की यहां मांग है कि पर्वतीय जिलों की विशेष स्थिति देखकर विशेष योजना बनाने की कोशिश की जाय; इसके लिये यदि आवश्यक हो तो पृथक प्लानिंग बोर्ड का गठन किया जाय क्योंकि वहां की विशेष जगह के लिये प्लान बनाई जाय तो इस सरकार का लक्ष्य जल्दी से पूरा हो सकता है।

चौथी बात यह कहनी है कि हमारे यहां बिजली नहीं मिलती है। वैसे बिजली पैदा करने के लिये हमारे यहां बहुत साधन हैं, पानी की वहां पर कमी नहीं है। वहां पर जल स्रोत और प्रपात हैं जिनसे बिजली पैदा की जा सकती है और नाना प्रकार के उद्योग धन्धे चलाये जा सकते हैं। छोटी-छोटी मशीन बाहर से मंगाकर वहां पर लगाई जा सकती हैं और प्रदेश के उस भाग को उन्नत किया जा सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर जल-स्रोत और प्रपात से जापानी ढंग से बिजली पैदा करके जितने उद्योग चलाये जा सकें, चलाये जायं, इससे हम तेजी के साथ आगे बढ़ सकेंगे।

एक बात यह भी मुझे निवेदन करनी है कि पंचायतों को सरकार ने बहुत अधिकार दिये हैं और वे बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। जैसा उधर से किसी भाई ने कहा कि नीचे से काम नहीं चल रहा है, मेरी राय में यह बिल्कुल झूठ है। नीचे से बहुत काम चल रहा है। कहीं भी जायं और देखें, पंचायतों के अन्दर बहुत काम हो रहा है। अधिक से अधिक धन उनके हाथ में देने की जरूरत है। हमारी जो प्राइमरी पाठशालायें हैं वह भी उनके हाथ में जाने वाली हैं लेकिन इतना सुझाव मैं मन्त्री जी को जरूर दूंगी कि सरकार सावधानी बरते, कहीं ज्यादा अमृतपान करने से स्वास्थ्य के लिये खतरा पैदा न हो, कहीं ऐसा न हो कि जब इन प्राइमरी पाठशालाओं को पंचायतों के हाथ में दे दिया जाय तो प्रधान लोग पठन-पाठन व्यवस्था में कुछ कठिनाई पैदा करें। ऐसी मुझे आशंका है कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे जो अध्यापक हैं वे पंचायतों के प्रधान की खुशामद में लगे रहें और बच्चों की पढ़ाई न हो सके और वे आगे न बढ़ सकें। हमारे मुख्य मन्त्री जी ने एक बार ऐलान किया था कि इस प्रदेश में बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज खुलने वाली हैं, तो उसके बारे में मैं यह कहूंगी कि हमारा नरेन्द्रनगर टेहरी-गढ़वाल का हेड क्वार्टर है, उसका खयाल अवश्य रक्खा जाय। हमारी जनता की बहुत पुरानी मांग है कि वहां से जिले का हेड क्वार्टर टेहरी स्थानान्तरित कर दिया जाय और साथ ही जो एक बड़ी इंडस्ट्री और खुलने वाली हैं उनमें एक वहां पर भी खोली जाय। एक अच्छे स्थान का सदुपयोग होगा और गरीब जनता का कुछ भला होगा, एक बात यह भी है कि ब्लाकों के द्वारा बहुत काम हो रहा है।

[श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन]

सरकार ने विकास के लिये जो ४, ५ हिस्सों में हमारे प्रदेश को बांटा है उसके द्वारा बहुत अच्छी उन्नति हो रही है और हमें आशा है कि हम स्वयं स्थानीय आवश्यकताओं को देखकर विकास को उचित व्यवस्था कर सकेंगे। यह जरूर है कोशिश होनी चाहिये। मैं फिर दोहराती हूं कि जो योजना जहां के लिये बनती है वहां की परिस्थिति, जलवायु, के अनुसार वह बनायी जाय और खास तौर से वहां के रहने वालों से उसके लिये सलाह लेना भी जरूरी है। यह बात मैं खास तौर से पर्वतीय क्षेत्रों के लिये कह रही हूं। इसके अलावा हमारे यहां दाइयां या ग्राम सेविकायें आदि जो जाती हैं वे बड़ा फैशनेबिल होती हैं और उन्हें देख कर हमारे यहां की स्त्रियां डर जाती हैं कि ये अपना फैशन सवारेंगी या हमें कुछ सिखायेंगी। वे अपने ही में मस्त रहती हैं। वहां ऐसी स्त्रियों को भेजना चाहिये कि जो सीधी सादी हों और जनता की सेवा कर सकें। इसके अतिरिक्त हमारे यहां सीढ़ीनुमा खेत हैं और हर साल बरसात के दिनों में उनका रस सारा का सारा बंगाल की खाड़ी में बह कर चला जाता है। हम वहां दोनों समय खाने भर का अन्न भी नहीं पैदा कर पाते। इसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि वहां बागबानी को समुचित रूप से प्रोत्साहित किया जाय। इसके अलावा ऊन का कारबार वहां ना के बराबर है। जब से तिब्बत चीन के अधीन हो गया है तब से ऊन का दाम बहुत बढ़ गया है। पहले लोग भेड़ बकरी पाल लिया करते थे और उससे लोगों को थोड़ा बहुत ऊन मिल जाता था, लेकिन आजकल इस व्यवस्था में कमी आती जा रही है। वैसे थोड़े से ऊन केन्द्र, रंगाई और बुनाई के सेन्टर खोले गये हैं लेकिन क्षेत्र की समस्या को देखकर वे ना के बराबर हैं। जब तक ऊन वहां लोगों को सस्ते दामों पर न मिले तब तक उनकी कुछ उन्नति होने वाली नहीं है, कम से कम ऊनी कारोबार के द्वारा ....

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हुआ।

विभिन्न समितियों के सदस्यों के निर्वाचन के लिये नाम वापसी की तिथि में परिवर्तन की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—मुझे एक घोषणा करनी है कि वित्तीय वर्ष १९६२-६३ के लिये लोक-लेखा समिति के २१ सदस्य, प्राक्कलन समिति के २५ सदस्य, मन्त्रियों को परामर्श देने वाली २५ स्थायी समितियों में से प्रत्येक में १६-१६ सदस्यों, उत्तर प्रदेश महिला तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड के तीन सदस्यों के, लाभ विषयक संयुक्त समितियों के लिये विधान सभा के १० सदस्यों और राज्य स्वास्थ्य परिषद् में कार्य करने हेतु विधान सभा के ५ सदस्यों, के निर्वाचन के लिये नामों की वापसी के लिये २८ मई निश्चित की गयी थी वह अब २९ मई कर दी गयी है।

१९६२-६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २६—नियोजन और एकीकरण (क्रमागत)

श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। जहां तक माननीय मन्त्री जी के प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मैं उनका भी घोर विरोध नहीं करता। घोर विरोध करने की मुझ में हिम्मत नहीं, क्योंकि मैं समझता हूं कि जहां हमारे प्लानिंग विभाग में कमी रही और उस कमी में एक भारी कमी सरकार की तरफ से भी रही वहां रुपये में एक आना मैं यह भी महसूस करता हूं कि हम भी खतावार हैं और इसलिये मैं इसका घोर विरोध नहीं करता।

मैं आपके द्वारा, श्रीमन्, मन्त्री जी से प्रार्थना करता हूं कि जब से हमारी सरकार बनी है, जब से देश आजाद हुआ है, तब से एक ही नयी चीज हमने देखी है। पुलिस वही है, तहसील वही है, तमाम कानून वही हैं, जो ढांचा था उसी पर यह सरकार चल रही है, लेकिन एक प्लानिंग

विभाग ऐसा है कि जो सन् ४७ के बाद में इस सरकार ने हमारे देश और प्रदेश को दिया है और हमको आशायें थीं कि हमारा देश जो सदियों से गुलाम और पिछड़ा हुआ रहा है प्लानिंग के मातहत जरूर तरक्की करेगा। बहुत बड़ी उम्मीद इससे थी। जो आंकड़े पेश किये गये उनके बारे में तो बाद को कहूंगा। मैं यह मान लेता हूं, जैसा कि वे कहते हैं, एक लाख कुयें हमने तैयार किये, दो लाख रुपया तकावी के लिये दिया, इतना रुपया खेती के लिये दिया, इतना रुपया खाद आदि के लिये दिया, उन्होंने यह सब खर्च किया। मैं इससे भी ज्यादा रुपया मान लेता हूं। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इससे हमारी प्लानिंग की मंशा पूरी हो जाती है। जो तकावी आपने दी क्या वह हमको पहले नहीं मिलती थी? क्या पहले कुयें आदि नहीं बनते थे? एक ब्लाक में जिसमें ५०-६० गांव आते हैं, उसके लिये आप एक बी० डी०ओ० नहीं ४ बी० डी० ओज० रखें, और जितना रुपया आप आज खर्च करते हैं उससे १० गुना खर्च कर दें, मगर उससे प्रदेश का विकास नहीं हो सकता, आपकी प्लानिंग जिन्दा नहीं रह सकती। विकास तो जब होगा जबकि आप जो सोये हुए मजदूर हैं उनको जगायें, उनकी रूह को जगायें बजाय उनके जगाने के जिनको प्लानिंग करना है या जो हमारे नेतागण हैं।

मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर एक बी० डी० ओ० को, जिनको आपने कार भी सौंप रखी है, लाखों रुपया भी सौंप रखा है, आप पूरे उनके क्षेत्र में घुमायें तो मुश्किल से ५ फीसदी आदमी आपके बी० डी० ओ० को शिनाख्त कर पायेंगे। आज जिस तरह से आपके दूसरे पुलिस आदि विभाग कार्य कर रहे हैं। उसी तरह से आपके इस विभाग के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। उनके लिये जरूरी यह था कि ब्लाक के कर्मचारी उस क्षेत्र की जनता की रोजाना की जिन्दगी में घुस जाते और उनको इस बात का अहसास कराते कि वे लोग उनकी भलाई के लिये हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत शानदार इमारत भी है, कार भी है, शान भी है, मगर काम कुछ नहीं है। आप इन्क्वायरी करा कर देख लें, हमारे क्षेत्र में बी० डी० ओ० साहब को जो कार मिली हुई है उस कार पर वे रोजाना हिरण का शिकार करने जाते हैं। आप इसकी इन्क्वायरी करा लें और अगर यह गलत हो तो मैं इस्तीफा तक देने को तैयार हूं। वे कार पर तफरीह करते हैं और अपने पूरे परिवार के साथ सिनेमा देखते हैं। वे एक गांव में भी नहीं घूमते और आप कहते हैं कि विकास खंड तरक्की कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि तरक्की बहुत हो रही है, मगर आपके बी० डी० ओ० साहब तरक्की कर रहे हैं, ब्लाक तरक्की नहीं कर रहे हैं। आपने कुयें बनाने के लिये रुपया दिया, वह ब्लाक में भी पहुंचा यह सब मालूम है, लेकिन वह रुपया उन लोगों को मिला जिनकी बी० डी० ओ० साहब से दोस्ती थी, जिनके यहां बी० डी० ओ० साहब ताश खेलते हैं और जो लोग बी० डी० ओ० के यहां दूध घी आदि पहुंचाते हैं। यह हालत आज पूरे सूबे की है। सभी जगह यह चीज देखने को मिलेगी। मेरे जिले में आप जांच करवा लें, जितना रुपया कुंओं के लिये दिया गया उसका ५० फीसदी रुपया भी कुओं में नहीं लगा। आप उनकी लिस्ट बनवाइये और उनकी जांच करवाइये कि उन्होंने कुये बनवाये या नहीं। ए० डी० ओ० साहब जाते हैं, वह खाद के लिये एक गड्ढा खुदवा आते हैं, बी० डी० ओ० जाते हैं वे उसकी नाप कर आते हैं, बी० एल० डब्लू० जाते हैं वे भी उसकी नाप कर आते हैं और बी० डी० ओ० साहब की रिपोर्ट बन जाती है कि फलां गांव में २८ गड्ढे खोदे गये लेकिन आपको गांव में एक भी गड्ढा नहीं मिलेगा। मैं आपसे कहता हूं कि किसी इलाके में जाकर आप देखें, खास तौर से अपने इलाके पर तौलता हूं, कि कितने खाद के गड्ढे ए० डी० ओज० और बी० डी० ओज ने खुदवाये। यहां पर वी० एल० डब्ल्यू० की बड़ी तारीफ की गई, आगे आप उनको और भी बढ़ायेंगे। बढ़ाने भी चाहियें, मुझे इससे कोई एतराज नहीं क्योंकि मेरी प्रार्थना यह नहीं है कि प्लानिंग और विकास खंडों को समाप्त कर दिया जाय, बल्कि मेरा कहना तो यह है कि अगर देश की तरक्की करनी है तो यही एक डिपार्टमेंट है जिसके जरिये से तरक्की हो सकती है। आप बी० एल० डब्ल्यू०, ए० डी० ओज० और बी० डी० ओज० को बढ़ायें लेकिन कम से कम आप उनके कारनामे भी तो देखें, जिन क्षेत्रों में वी० एल० डब्ल्यू० हैं वहां मौके पर जाकर आप मुआइना तो करें। आज उनकी समझ

[श्री विजयपालसिंह]

में नहीं आता है कि वे क्या काम करें। उनको कोई रास्ता भी नहीं मिलता। आपको हर बी० एल० डब्ल्यू० के पास रेडियो मिलेगा, वे अपने मकान पर बैठकर गाना सुना करते हैं, दो-चार गांव के नौजवान भी आकर उनके पास बैठ जाते हैं, सब तफरीह करते हैं। मैं नहीं समझता कि किस गांव की रिपोर्ट यहां पर पेश कर दी जाती है। कुछ साथी कहते हैं कि बी० एल० डब्ल्यू० बड़ा काम करते हैं, मैं इस बात पर उन साथियों से लड़ना नहीं चाहता बल्कि यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस गांव और जिस इलाके ने तरक्की की है, मैं उनके साथ चलने को तैयार हूं, चलकर मुझे दिखला दें और मेरे इलाके को भी देख लें। इसमें कोई जिद की बात नहीं है, मेरी प्रार्थना है कि दोनों पक्ष के लोगों को संजीदगी के साथ इस पर सोचना चाहिये और कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिये। मैं सरकारी पक्ष से ही नहीं कहता, दूसरे पक्ष से भी कहना चाहता हूं, कि जब तक यह प्लानिंग डिपार्टमेंट नहीं जागता तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त।

***श्री देवदत्त** (जिला उन्नाव)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैं नियोजन पर विरोधी पक्ष के सदस्यों के विचार सुन रहा था। मुझे फ्रांस के एक श्रेष्ठ चित्रकलाकार की कहानी याद आयी जिसने अपनी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति को एक चौराहे पर रख दिया था और आलोचकों को आमंत्रित किया था कि वे उस कलाकृति में उसके दूषण को रेखांकित कर दें। दूसरे दिन उस कलाकार ने देखा कि वह सम्पूर्ण चित्र काली रेखाओं का एक समूह मात्र रह गया है। ठीक उसी प्रकार जो हमारी नियोजन मंत्राणी जी ने एक सुन्दर चित्र नियोजन का सदन के सामने उपस्थित किया था—उसको आलोचकों ने ठीक जिस प्रकार फ्रांस के सर्वश्रेष्ठ कलाकार के चित्र को कालिमांकित कर दिया था, उसी प्रकार का प्रयास हमारे विरोधी आलोचकों द्वारा किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा नियोजन विभाग से एक निवेदन करना चाहता हूं। इसलिये कि नियोजन के सम्बन्ध में जितनी बातें मंत्राणी महोदया ने और सभा सचिव ने कही हैं उससे ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। किन्तु कुछ सुझाव के तौर पर मैं यह कहना चाहूंगा कि आज नियोजन विभाग से दूसरे विभागों की जैसी प्रतिस्पर्द्धा व प्रतिद्वंद्विता चल रही है उससे नियोजन के कार्य में सब से ज्यादा व्यवधान है। आज रेवेन्यू विभाग और प्लानिंग विभाग में आपस में चढ़ा उतरी चल रही है और उनमें एक प्रतिस्पर्द्धा की भावना पैदा हो गयी है। पंचायत विभाग को रेवेन्यू विभाग फूटी आंखों नहीं देखना चाहता। यह जो एक प्रकार का मनोभाव है, यदि हम पंचायतराज और उसके अन्तर्गत चल रहे विकास खंडों को, नियोजन को सफलता-पूर्वक आगे की दिशा में ले जाना चाहते हैं तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो एक स्टेपमदरली ट्रीटमेंट नियोजन विभाग के साथ या पंचायत विभाग के साथ है वह दूर किया जाना चाहिये।

मेरा एक और निवेदन है कि गांव समाज का मंत्री लेखपाल को रखा गया है। उचित यह होगा कि उस लेखपाल को सम्पूर्णतया प्रधान के मातहत रखा जाय, तभी उससे गांव समाज का काम लिया जा सकता है। अन्यथा आज की स्थिति में लेखपाल गांव समाज के प्रधानों को और गांव पंचायतों को जरा भी मान्यता प्रदान नहीं करता। मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं जिससे हमारे गांव की समस्याओं को हल करने में बहुत सुविधा मिल सकती है और वह यह है कि प्रत्येक गांव समाज के प्रधान के पास—लेखपाल के पास जो खसरा खतौनी होती है उसकी एक-एक प्रतिलिपि गांव के प्रधान को दी जानी चाहिये ताकि गांव समाज की जो सम्पत्ति है उसको गांव का प्रधान समझे कि क्या उसके पास गांव समाज की सम्पत्ति है। इसके अलावा साधारणतया जहां कि चकबन्दी नहीं है और जो अभी चकबन्दी से अलग हल्के हैं वहां पर गलत इन्दराज हो जाया करते हैं और मौके पर लेखपाल प्रधान की या किसी की कोई परवाह किये बिना गलत इन्दराज कर दिया करता है; यदि खसरा व खतौनी की प्रतिलिपि प्रधानों के पास

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहे तथा उसके नियंत्रण में रह कर वह काम करे तो लेखपाल जो मामूली तौर पर गलत इन्दराज कर दिया करता है, शायद वह ऐसा न कर सकेगा। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री महोदया का ध्यान नियोजन के अन्तर्गत लाये गये प्रान्तीय रक्षा दल की ओर भी आकर्षित करूंगा। जब यह दल हमारे यहां कायम हुआ था तो बड़ी-बड़ी आशायें थीं और उसके सम्बन्ध में एक बड़ा आशाप्रद चित्र हमारे सामने रखा गया था किन्तु आरम्भ से ही हमारे पुलिस विभाग के विरोध ने प्रान्तीय रक्षा दल के अस्तित्व को ही न मालूम कितनी बार खतरे में डाला। आज उसको प्लानिंग के अन्तर्गत लाया गया है किन्तु एक थाना आर्गेनाइजर जिसका स्टेट्स, जिसका स्तर ग्रामसेवक के बराबर भी नहीं रखा गया, पंचायत सेक्रेटरी के बराबर भी नहीं रखा गया और मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रान्तीय रक्षा दल का वह सेवक जिसमें देशप्रेम की भावना है क्योंकि उनमें से अधिकांश वह हैं जिनके अन्दर देश के उत्थान की एक आग है, एक ज्वाला है और वह आग देश को समुन्नत करने के लिये दूसरे अधिकारियों में अपेक्षाकृत कम है। आज उन सेवकों को जो थाना संगठनकर्ता के रूप में नियोजन में काम कर रहे हैं..(लालबत्ती होने पर) दो मिनट और दे दीजिये आप मुझे तो कृपा होगी।

श्री उपाध्यक्ष—अब समय ज्यादा नहीं है।

श्री देवदत्त—मैं चाहता हूं कि आज उनका एक स्तर कायम किया जाना चाहिये। आज उनका वेतनक्रम और सामाजिक स्तर जिस प्रकार का है वह बहुत ही निम्न है।

इसके अलावा जो पुलिस विभाग एक तरफ प्लानिंग के अन्तर्गत है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस का अंकुश फिर भी दिखाई पड़ता है। यह विरोधाभास नहीं होना चाहिये। उनसे बदला लेने की भावना से, एक दूसरी दृष्टि से वह काम करते हैं, अभी दस पांच दिन का रिफ्रेशर कोर्स इसी लखनऊ में चलता है, यहां ३ मास से रिफ्रेशर कोर्स चल रहा है, बहुत से उनमें ऐसे भी सेवक हैं जो ४०-४५ साल के हैं, उनसे घोड़ा फांदने की बात कही जाती है। यह चीज उस वक्त तो किसी हद तक ठीक हो सकती थी जब कि वह आरम्भ में इस विभाग में आये थे, आज इस तरह से हर प्रकार की बात में उनको रोका जाता है, काम में नहीं लिया जाता है, तो मैं मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि सौभाग्य से माननीय मुख्य मंत्री जी भी उपस्थित हैं जो पुलिस मंत्री भी हैं, वह कृपा करके प्रान्तीय रक्षक दल को पुलिस विभाग से पूर्णतः अलग करके नियोजन के अन्तर्गत ही ला दें।

***श्री भगवान दास यादवेन्दु** (जिला आगरा)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रदेश के ७५ प्रतिशत इन्सानों का रहन-सहन और उनकी आशाओं के अनेक पहलुओं पर विचार और वाद-विवाद इस सदन में हो रहा है। कुछ व्यक्तियों के विचार से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने शायद अभी तक गांवों में जाकर गांवों की सही हालत का निरीक्षण नहीं किया है। ग्रामीण जनता और गांवों के रहने वाले वह लोग जिन्होंने इस देश की आजादी की बुनियाद रखने में अपना सब कुछ न्योछावर किया, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में और उनके लिये दिये गये उन आश्वासनों पर कांग्रेस राज्य की नींव डालने में उनका साथ दिया और इसके बावजूद उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई में से, अपने खाने में से एक समय का खाना कर के रूप में दिया, लेकिन इसके बावजूद भी आपने उनकी तरक्की के लिये, उनकी प्रगति के लिये जो कुछ वादा किया, जो कुछ भी करने की बातें की वह आप पूरा न कर सके, ऐसा आज हर ग्रामवासी का विचार बन चुका है। मान्यवर, मैं मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों को बता देना चाहता हूं कि जब-जब मुल्क में गरीबी बढ़ती है, भुखमरी बढ़ती है और जनता पर तरह-तरह के टैक्स लगाये जाते हैं तो वहां पर अवश्य ही जनता में विद्रोह होता है, इन्कलाब आता है, क्रान्ति होती है। आप पहले का इतिहास उठाकर देखिये; जहां-जहां दुनिया में क्रान्ति हुई उसके पीछे एक बैकग्राउन्ड रही है। लुई १६वें ने जिस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवानदास यादवेन्दु]

प्रकार जनता को दबा रखा था उस जनता ने एक ऐसा मोड़ लिया, उन दबे हुए इंसानों में ऐसा शोला भड़का, कि लुई १६वें का नाम मिट गया.....।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, अभी तो मेरे दो ही मिनट हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष---आपके ४ मिनट हो गये हैं। २ मिनट और ले लें।

श्री भगवानदास यादवेन्दु---मैं कह रहा था, हमें अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना चाहिये। हमारा बड़प्पन इसी में है जब अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करते हैं, अन्यथा नहीं।

शिक्षा के बारे में मेरे दोस्त स्वतंत्र पार्टी के उपनेता ने कहा कि शहरों में शिक्षा बढ़ रही है, गांवों में नहीं। लेकिन गांव के रहने वाले बड़े-बड़े जमींदार, राजे-महाराजे तथा खाते-पीते लोग अपने बच्चों को लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। पर गांव का पिछड़ा हुआ इंसान गरीब किसान जिसे एक समय खाने के लिये रोटी नहीं मिलती, जिसके पास जमीन नहीं है, उसकी स्त्री के पास शर्म ढांकने के लिये वस्त्र नहीं है वह कैसे अपने बच्चों को शिक्षा दे सकता, है ?

ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ० के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि विकास के नाम पर आपने अपने सगे सम्बन्धियों को नौकरियों में लगा रखा है। आज का नौजवान इस बात से चिन्तित है और आपको बता देना चाहता हूं, वह नौजवान जिसने आजादी में जन्म लिया है, ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी जिसने नहीं देखी, महात्मा गांधी के उस नये हिन्दुस्तान में जन्म लिया है, वह आपकी गुलामी को बरदाश्त नहीं करेगा। मेरा जहां तक अपना विश्वास है और सही माने में विकास करना है और ग्राम जीवन को ऊंचा है तथा उठाना ग्रामराज की स्थापना करना है, लोगों को न्याय पहुंचाना है, तो ईमानदारी के साथ सही माने में जो भारतीय समाज व्यवस्था है उसमें आपको कुछ परिवर्तन करना होगा।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, मुझे १ और मिनट दिया जाय।

तो मैं कह रहा था कि ग्राम पंचायतों का जो शासन है उसमें एक बड़ी भारी कमी आयी है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि चन्द्र गुप्त मौर्य के जमाने में यहां पर पंचायतें थीं और भारतवर्ष का शासन पंचायतीराज की तरह चलता था। लेकिन आज पंचायतों में आप देखेंगे कि हमारे बीच में पोलिटिकल संकीर्णता बढ़ गई है। पहले जिस तरह हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई में जाति संकीर्णता थी इसी तरह आज पोलिटिकल संकीर्णता गांव-गांव में बढ़ गई है। लाल टोपी वाला कुछ कहता है, सफेद टोपी वाला कुछ कहता है और जिसके पास दोनों में से एक भी नहीं उस बेचारे की कोई नहीं सुनता।

श्री उपाध्यक्ष---अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री भगवानदास यादवेन्दु---इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रघुवीरसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया और साथ ही साथ मैं उन महानुभावों का भी आदर से स्वागत करता हूं जिन्होंने मेरे दो एक प्वाइंट्स के लिये तर्क उपस्थित किये।

(इस समय ४ बज कर ३१ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

एक बात तो यह जो मैंने कही कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय उत्तरोत्तर कम हो रही है ; उसके लिये एक माननीय सदस्य ने यह कहा चूंकि जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है इसलिये प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है। मैं यह कहता हूं कि अगर जनसंख्या बढ़ी तो शहरों में भी बढ़ी और देहातों में भी बढ़ी है। जब मैंने आंकड़े उपस्थित किये थे तो शहरों में २७.३ रुपये प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ी और देहातों में १९ रुपये प्रति व्यक्ति आय कम हुई। जिस अनुपात से शहरों की जनसंख्या बढ़ी उसी अनुपात से ग्रामों की जनसंख्या नहीं बढ़ी, तो जनसंख्या का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। फिर अगर इस बात पर गौर किया जाय जब सन् ५०–५१ में २१० रुपये आमदनी थी उस वक्त के रुपये के भाव में और आज के रुपये के भाव में २० प्रतिशत का अन्तर है, वह अनुपात अगर जोड़ा जाय तो ३८ रुपये प्रति व्यक्ति की कमी होगी। तो यह कहना कि आबादी का असर पड़ा है ठीक नहीं है।

दूसरी बात यह कही गयी कि मैंने यह कहा था कि सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट को कार्यान्वित नहीं किया गया, उसके लिये उन्होंने कोई तथ्य देकर तो विरोध किया नहीं, केवल यह उत्तर दिया चूंकि मैं बैकवर्ड क्लास का आदमी हूं इसलिये बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट को कार्यान्वित कराना चाहता हूं। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि इस सदन में यह तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं एक बैकवर्ड क्लास का आदमी हूं लेकिन जब सवर्ण वर्ग के आदमी उस रिपोर्ट की उपेक्षा करते हैं तो मैं चूंकि बैकवर्ड क्लास का हूं अगर बैकवर्ड क्लास कमीशन की बात करता हूं तो कोई जुर्म नहीं करता।

सन् ४७ में जब अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान को छोड़ा था तो ३,१०० गजटेड आफिसर थे जिनमें ३४ बैकवर्ड क्लास के थे और ५५ में जब हमारी जनतंत्र सरकार को ८ साल कायम हुए हो गये और गजटेड आफिसर्स की संख्या ५,२०० हो गयी तो बैकवर्ड क्लास के आफिसर्स २५ रह गये, तो क्या बैकवर्ड क्लास की शिक्षा का स्तर गिर गया या क्या बात हुई ? गजटेड आफिसर्स की संख्या डयोढ़ी बढ़ी लेकिन बैकवर्ड क्लास के आफिसर्स की ३४ की डयोढ़ी क्यों नहीं हुई ? उसके लिये मैंने यह तर्क रखा था क्योंकि लोक सेवा आयोग जैसी बाडीज में बैकवर्ड क्लास का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है इसलिये सरकारी सेवाओं में उनके आदमियों को कोई स्थान नहीं मिलता और यह बात अपनी जगह पर सत्य है। यहां यह भी कहा गया कि नियोजन की मद के समय मंत्रि-मंडल के ऊपर आक्षेप करने की क्या जरूरत थी। उसका उत्तर मैं देना चाहता हूं कि क्या यह बात अपनी जगह सत्य नहीं है कि जिस वर्ग का व्यक्ति कैबिनेट में नहीं होगा उस वर्ग के विकास को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा ? मैं जानना चाहता हूं कि जब अपने प्रदेश में लगभग ५० प्रतिशत बैकवर्ड क्लास की आबादी है तो क्यों नहीं कोई उसका आदमी कैबिनेट मिनिस्टर दिखाई देता। अगर दो एक कैबिनेट मिनिस्टर होते तो भले ही मिनिस्टर के नाते वे कुछ न करते लेकिन उनका अवश्य ही विकास होता। इन दो बातों के सिवाय और किसी ने मैंने जितनी चर्चा की उस पर कोई आपत्ति नहीं प्रदर्शित की।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि आपस में मिल-जुल कर काम करना चाहिये। बात अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन मिलजुल कर काम करने की चेतना लानी चाहिये यह मैंने पहले भी कहा था और अब भी करता हूं कि ऐसी भावना जागृत करनी चाहिये, लेकिन आज तो यह जो सत्तारूढ़ दल कांग्रेस है इसमें ही मिलजुल कर काम करने की आदत नहीं रह गयी है तो फिर इनमें क्या बुद्धि है कि दूसरे दलों को मिला कर काम करें ?

इसी प्रकार मैं यह कहना चाहता हूं कि नियोजन विभाग को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिये। लेकिन अभी पिछले दिनों जब हम लोग अपने-अपने जिले में गये तो ब्लाक के स्तर पर कुछ कोआप्शन्स हुये थे। उसमें मैंने देखा कि कांग्रेस वाले अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे और उन्होंने इस बात की चेष्टा की कि उन्हीं के लोग कोआप्ट होकर आयें। तो अगर ब्लाक्स में राजनीति का हाथ होगा फिर समन्वय की बात कहां रहेगी ? फिर तो अपने-अपने दल को सभी सपोर्ट करेंगे।

[श्री रघुवीरसिंह]

इसके अलावा समाजवाद के दृष्टिकोण के अनुसार जितनी सरकारी और गैरसरकारी एजेन्सियां हैं उन सब को आपस में मिल-जुल कर नियोजन के सम्बन्ध में विचार विनिमय करना चाहिये, जिसकी आज कमी है। हमारे जितने अधिकारी हैं वे गैरसरकारी लोगों से अलग रहते हैं जिसकी प्रतिक्रिया गैरसरकारी लोगों में भी होती है और वे भी उनसे मिल-जुल कर काम करने की आदत नहीं डालते। इसी कारण से इस विभाग को बड़ी ठेस पहुंच रही है।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि हमको इस विभाग को सुचारुरूप से चलाने के लिये जनता के दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। जनता यह नहीं समझती है कि नियोजन उसके लिये है बल्कि अधिकांश लोग यह समझ रहे हैं कि वह नियोजन के लिये हैं। यह बड़ा भ्रामक प्रश्न है। जैसे कि श्रमदान के लिये जिसकी आर्थिक दशा अच्छी होती है वह नहीं जाता है, गरीब लोग ही श्रमदान करने के लिये जाते हैं उसी प्रकार नियोजन के बारे में जनता यह समझती है कि नियोजन विभाग स्वयं नियोजन के लिये काम कर रहा है। ऐसी भावनाओं को जब तक जनता के दिल से नहीं निकाला जायगा तब तक आपका यह विभाग सफलीभूत नहीं हो सकता है। इसका पिछले साल का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मंगरौली गांव में जाटव लोगों ने श्रमदान करके सड़क और खरंजा बनाया लेकिन जब उनकी लड़की की बरात आई तो उसे वहां के ठाकुरों ने नहीं निकलने दिया और कह दिया कि क्या तुम सवारी पर बैठ कर यहां से निकलोगे। तो बताइये कि उनको कितना दुख हुआ होगा। जिन्होंने सड़क बनाई वह उनके लिये नहीं बनी बल्कि दूसरों के लिये बनीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसी बातों से भ्रांति फैलती है और मिल-जुल कर काम करने की आदत नहीं रह जाती है।

दूसरी बात विभाग में कमजोरी लाने की यह होती है कि अगर कोई नेता यह चाहे कि जैसा मैं चाहूं वैसा काम हो तो उससे दूसरे लोग हतोत्साहित हो जाते हैं। दूसरे लोग चेष्टा करते हैं कि अगर उनकी बात चलती है तो हमें सहयोग देने की आवश्यकता नहीं है। इसके सम्बन्ध में एक उदाहरण देना चाहता हूं जैसे कि एक प्रधान है, उन्होंने अपनी गांव सभा में जो कुछ काम कराया उसमें सीमेंट की रसीद चचेरे भाई की दाखिल कर दी, ईंट की रसीद अपने पिता के नाम की दाखिल कर दी, इस तरह से वाउचर्स पेश कर दिये। एक कांग्रेसी नेता उनका पक्ष लिये हुये हैं। यह मामला हमारे यहां साल भर से चल रहा है। दूसरे प्रधान अवसर देख रहे हैं कि यदि घर वालों की ईंट, सीमेंट आदि की रसीद ठीक हैं और मान ली जाती हैं तो हमको भी ऐसा करने का अवसर मिलेगा। मैं कहता हूं कि गलत काम करना किसी को शोभा नहीं देता है। अगर ऐसा किया जायगा तो दूसरे लोगों को गलत काम करने का अवसर मिलेगा।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि विकास के ऐसे कार्य किये जायं जिनसे आगे चल कर आमदनी हो सके। यदि आमदनी का जरिया नहीं बनते हैं तो वे हमारे गरीब देश के लिये दुर्भाग्य की बात है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहां योजनायें बाहर के पैसे से चलती हैं। जब हम गरीब हैं तो गरीब की तरह ही रहना चाहिये। इसलिये ऐसी योजनाओं में रुपया लगाना चाहिये जिनसे आमदनी हो सके।

अन्तिम बात यह कहना चाहता हूं कि किसान हमारे प्रदेश की रीढ़ की हड्डी हैं जो प्रदेश में ८० प्रतिशत हैं। जब तक इनकी आर्थिक दशा नहीं सुधारी जायगी तब तक पूर्णरूप से हमारा नियोजन सफल नहीं हो सकता है। यदि किसी जंजीर में १०० कड़ी हैं और ८० कमजोर हैं तो २० मजबूत कड़ी कोई माने नहीं रखती हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि जंजीर मजबूत है। जब तक किसान मालदार नहीं होगा और उसकी क्रयशक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक आपके उद्योग पनप नहीं सकते क्योंकि खपत करने वाला कौन होगा? जब तक ८० प्रतिशत जनता की क्रयशक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक किसी दशा में सफलता नहीं हो सकती है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने आज के वाद-विवाद में दिलचस्पी ली है, धन्यवाद देती हूं ।

श्री अध्यक्ष--सदन का समय १५ मिनट के लिये बढ़ाया जाता है ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--बहुत से महानुभावों ने समालोचना की है, बहुतों ने सुझाव रखे हैं, उन सभी का मैं स्वागत करती हूं । वाद-विवाद का मतलब यह है कि हर एक माननीय सदस्य अपने अनुभवों को प्रकट करें । मैंने कभी दावा नहीं किया कि हमारे विभाग में ऐसे काम हो रहे हैं जो बिलकुल ठीक हैं, उनकी कोई नुक्ताचीनी नहीं हो सकती है । मैं जानती हूं कि विभाग के बहुत से कामों में कमियां हैं, मैं खुश नहीं हूं । मैं चाहती हूं कि और भी अच्छा काम हो । जितना मैं चाहती हूं उसके पास वह पहुंच ही नहीं सकते हैं । इसलिये जो बातें कही गयी हैं कुछ अपनी जगह पर ठीक भी हैं और कुछ अपनी जगह पर गलत भी हैं । रघुवीरसिंह जी ने और कुछ अन्य मेम्बरों ने यह बात उठायी कि हमारी परकैपिटा इनकम ज्यादा बढ़ी नहीं है । यह बात सही है । यह खेद का विषय है । इसके बहुत से कारण हैं । एक कारण यह है कि जिस क्षेत्र की इकोनामी बहुत पिछड़ी हुई हो उसको बढ़ाना बड़ा मुसकिल होता है, जब तक कि टेकिंग आफ स्टेज में नहीं आ जाती है किसी देश की इकोनोमी में । उसके बाद सिलसिलेवार बढ़ती रहती है । शायद हम उस स्टेज तक पहुंच गये हैं । बहुत से कारण हैं । एक कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में जितना इनवेस्टमेंट होना चाहिये उतना इनवेस्टमेंट नहीं है । परकैपिटा इनवेस्टमेंट इस प्रान्त मे कम है । केन्द्रीय सरकार से जितना रुपया हम लाना चाहते हैं शायद उतना नहीं ला पाते । हमे याद रखना चाहिये कि केन्द्रीय सरकार रुपया दे भी दे तो केन्द्रीय सरकार जो भी मदद देती है उसके प्रोपोर्शन में हमें भी मैचिंग ग्रांट निकालनी पड़ती है । इसलिये केन्द्रीय सरकार जो रुपया देती है वह यूनिलेटिरल चीज नहीं है । हमारी सरकार को भी इनवेस्ट करना पड़ता है, उसके अनुपात में उसको मैच करने के लिए । मैं आशा करती हूं कि जो कमी पहली दूसरी योजनाओं में रही है शायद हम इसको संभाल सकें ।

एक बात मैं पहले कह दूं । माननीय रघुबीर सिंह ने बार-बार यह कहा, यद्यपि उसका सम्बन्ध प्लानिंग से नहीं है, कि बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों को जितना सर्विसेज में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिये, उतना नहीं मिल पा रहा है । पता नहीं कि आप को मालूम है या नहीं केन्द्रीय सरकार ने यह नीति अपनायी है कि रिजर्वेशन आफ सीट्स सिर्फ शेयुल्ड कास्टस् के लिये होगा । बैकवर्ड कम्यूनिटी, जिनकी आमदनी कम है, उस हिसाब से उनको मदद देनी चाहिये । उनकी शिक्षा में, स्कालरशिप द्वारा और दूसरी मदद मिले, लेकिन बैकवर्ड कम्युनिटी के लिये कोई रिजर्वेशन नहीं रखा । यह सही नीति है । अगर अलग-अलग कम्यूनिटीज का रिजर्वेशन करते जांय तो उससे सेक्शनलिज्म बढ़ेगा, देश का इंटीग्रेशन नहीं होगा । इसलिये उनकी उन्नति के लिए जो कुछ सहूलियत सरकार की तरफ से आ रही है उसका पूरा उपयोग करके उनकी उन्नति की जाय । इसलिए उनके लिए रिजर्वेशन आफ सीट्स नहीं रखा गया । यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने नीति बना कर किया है । मैं व्यक्तिगत रूप से उसका स्वागत करती हूं । जब तक हम रिजर्वेशन लेंगे तक तक हमारी शक्ति बढ़ नहीं सकती । हम स्त्रियां हैं । स्त्रियों के अन्दोलन भी चलते हैं । जब फ्रैंचाइज का सवाल उठा तब वीमेंस कान्फ्रेंस की तरफ से हम लोगों ने रिजर्वेशन नहीं मांगा । हम को दे रहे थे । हमने कहा नहीं लेंगे । हम आपके साथ बराबरी में आयेंगे । हम हमेशा के लिये अपने अधिकार खत्म नहीं होने देंगे । इसलिये जो बड़ा दरवाजा है उसके अन्दर से जाइये और अपने आप को शक्तिशाली बनाइये ।

प्लानिंग के सम्बन्ध में माननीय रघुबीरसिंह जी ने कहा कि सिंचाई और खेती की तरफ कम ध्यान दिया है । शायद आपने जनरल प्लान बजट और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान बजट में कनफ्यूजन कर दिया । हमारा बजट है ४·५० लाख खेती और सिंचाई में । अपने बजट में सबसे ज्यादा पैसा इसको दे रहें हैं । इसलिये हम चाहते हैं कि कृषि की उन्नति हो ।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

भानुप्रताप सिंह जी ने कहा कि पहली लाइन में लिखा हुआ है कि हमारी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है गरीबी दूर करना, तो वह सही है। उसी में अगर आप आगे पढ़ते तो देखते, हम लोगों ने कहा है कि सबसे ज्यादा हमें कोशिश करनी है कृषि और उद्योग की उन्नति के लिए। हमारी पूरी कोशिश है कि कृषि की उन्नति हो और सबसे पहले कृषि की उन्नति हो। क्योंकि यह कृषि प्रधान देश है। और अगर हम कृषि प्रधान देश की आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो जब तक कृषि की उन्नति नहीं करेंगे, जब तक ऐग्रीकल्चर सरप्लस नहीं लायेंगे तब तक देश की आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए मैक्सिमम पैसा जो हम दे सकते हैं वह देकर के कृषि की उन्नति कर रहे हैं।

बहुतों ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन में बेइन्साफी है। किसी जिले में ज्यादा है किसी में कम है। यह तो एक बिलकुल निराधार आरोप हम लोगों पर है क्योंकि ब्लाकों का जो प्रोग्राम है—पहले स्टेज के ब्लाक में १२ लाख रुपया और दूसरे स्टेज के ब्लाक में ५ लाख रुपया, यह हर एक के लिये बराबर है। यह बात दूसरी है कि कहीं काम अच्छा हुआ है तो कहीं काम खराब हुआ है, कहीं काम आगे चला गया है, कहीं पीछे रह गया है, लेकिन पैसे के हिसाब में सब बराबर है। मैंने खुद भी बहुत से ब्लाक्स को देखा है। बहुत से भाइयों ने ब्लाक की बात बताई। मैं भी कहना चाहती हूं कि मैं भी पुरानी कांस्ट्रकटिव वर्कर हूं मैदान में घूमने वाली हूं। मैं ब्लाकों में भी पहुंची हूं। विन्डो ड्रेसिंग भी मैंने देखी है। बहुत सी जगह मैंने पहुंचते ही कहा कि फलां ब्लाक में जाऊंगी जबकि उनको पहले से उसके बारे में कुछ मालूम नहीं रहा है। तो ब्लाकों के काम का सारा नक्शा मेरे सामने भी है। कहां काम खराब है, कहां अच्छा है, कहां चोरी होती है, यह सब नक्शा मेरे सामने है। जो दिक्कतें हैं वह भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप यह कहें कि डिस्ट्रिब्यूशन ठीक नहीं है. तो यह बात सही नहीं है। काम में अन्तर है। कहीं होशियार बी०डी०ओ० है तो काम ज्यादा हुआ, कहीं उसके साथ बी०डी०सी० भी बराबर उत्साह दिखाती है, तो वहां काम बहुत अच्छा है। लेकिन जहां आपस में दलों को लेकर खींचातानी होती है वहां बी० डी० ओ० को एक दल एक तरफ खींचता है, दूसरा दूसरी तरफ खींचता है, वहां काम नहीं हुआ है। यह सब बहुत सी बातें हैं। आप जानते हैं यह मुहकमा बहुत विस्तृत है, ७२ हजार गांव सभाओं में बटा हुआ है। काम हो रहा है। उस पर निगरानी रखना भी बहुत आसान नहीं है। बी० डी० ओ० बहुत से हैं, उसके साथ-साथ ए० डी० ओ० बहुत बड़ी संख्या में हैं और ग्राम सेवक हजारों की तादाद में हैं। मैं मानूंगी कि कहीं चोरी भी हो रही है, कहीं काम खराब भी है, मैं तो स्वयं यह कह रही हूं, लेकिन उसमें गलती केवल इतनी है कि आप यह समझ रहे हैं कि सारा नक्शा ही वह है। मैं भी सारे प्रान्त में घूमी हूं। मैंने कई जगह ऐसा काम देखा है कि जिससे मुझे स्वयं प्रेरणा मिली है। मैंने देखा है कि संगठन और सहयोग से बड़े-बड़े बांध बने हैं, सड़कें बनी हैं, कुयें बने हैं। यहीं बहनों की एक पंचायत है। आप कह सकते हैं कि मैं औरत हूं इसलिये यह कह रही हूं। जरूर मेरे दिल में आदर है उनके लिये। बहनों की जो पंचायत है, मैं देखने गयी। इतना बड़ा खेत उन्होंने बो रखा था जिसमें ६५ मन अनाज पैदा हुआ। औरतों की एक पंचायत कितना बड़ा काम करके दिखा सकती है यह मैंने वहां देखा। मैंने भी आपके यहां कहा कि जो तुम मदद उनकी अधिक से अधिक कर सको करो, जिससे उनको और उत्साह मिले। अभी मैं एक जगह गई थी। मैंने देखा वह बाढ़ का इलाका था। वहां उन्होंने एक एक्सपर्ट एक्सपेरिमेंट किया था जून के महीने तक उनकी फसल तैयार हो जाय जिससे कि बरसात आने तक कुछ अनाज उनके घर में पहुंच जाय। इसी तरह से कई जगह और बहुत से छोटे-छोटे काम भी हो रहे हैं।

फिर आपने शिकायत की कि पैसे बांटने में बेईमानी होती है। पैसा जिनके पास पहुंचना चाहिये उनके पास नहीं पहुंचता। जबरदस्ती वह खाद वगैरह दी जाती है, स्माल सेविंग में रुपया जबरदस्ती वसूल किया जाता है। स्माल सेविंग के लिये मैं कहूंगी कि जबरदस्ती अगर कोई करता है तो गलत है। जबरदस्ती कोई भी काम नहीं करना चाहिये। स्माल सेविंग

की जो मद है जरूर पैसा उसमें हमें चाहिये क्योंकि बड़े-बड़े गैप्स को हमें ब्रिज करना है, इसलिये सबसे हमें पैसा मांगना पड़ता है और जो उसमें पैसा जमा करते हैं उनकी भी इस तरह थोड़ी सेविंग हो जाती है । तो यह कोई गलत चीज नहीं है, अच्छी चीज है । लेकिन अगर कहीं जबरदस्ती की जाती है तो वह गलत है और उसको हम लोग रोकवायेंगे । फिर लोन वगैरह बंटने में हो सकता है कि गलतियां होती हों । गलत आदमी, असरदार आदमी ज्यादा मर्तबा ले लेते हों, यह हो सकता है । उसकी वजह यह है, जिसकी तरफ ध्यान भानुप्रताप जी ने दिलाया, उनका बड़ा इनफार्मेटिव और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, ऐसे क्रिटिसिज्म में पसन्द करती हूं । उन्होंने कहा कि शिक्षा की कमी है । जब तक शिक्षा न हो तब तक लोगों में अपने हकों को प्राप्त करने की क्षमता नहीं आ सकती । हमने पैसा दिया है, लेकिन बीच के लोग पैसा ले लेते हैं, वह उससे कट ले लेते हैं । मगर यह होता हमारी कमजोरी की वजह से है, हमारी संस्थाओं की कमजोरी की वजह से । अगर गांव सभा और क्षेत्र परिषद् ठीक से काम करें तो यह जो बांधनी होती है कि शक्तिशाली आदमी सब मदद खींच लेता है या कोई अफसर नाजायज तरीके से अपने मित्रों को वह मदद दिलवा देता है, वह रुक सकती है । पब्लिक की तरफ से उनकी निगरानी रखनी चाहिये और गलत काम कोई करेगा तो सजा पायेगा । ज्यों-ज्यों हमारे ग्राम जीवन का सामाजिक संगठन होगा, लोग शिक्षित होंगे त्यों-त्यों यह सब चीजें दूर होती रहेंगी । यह बड़े खेद की बात है कि आज साधारण समाज में नैतिक स्तर गिरा हुआ है । गरीब लोग ही नहीं, हम लोग सफेद-पोश भी गलत काम करते हैं । अगर हम ऊपर वाले ठीक रहें तो नीचे के लोग ठीक रहेंगे । तो यह जो करप्शन की बातें कही जाती हैं इस संबंध में हमको इंट्रास्पेक्शन भी करना है । करप्शन की जड़ें क्या हैं, उनको कैसे दूर करें, इस पर हमें विचार करना है और अमल करना है । मैं एक सेकेंड के लिये करप्शन पर चादर डालना नहीं चाहती । मैं भरसक जांच करूंगी, कदम उठाने की कोशिश करूंगी और करती हूं । बहुत दफा ऐसा होता है कि करप्शन की शिकायत आती है, सबूत नहीं होता तो कानूनी तरीके से हम कुछ नहीं कर सकते, यह जानकर भी कि यह आदमी गलत है । कई बार ऐसा हुआ कि हमने गलत समझ कर निकाल दिया, मगर कानून से छुट्टी मिलकर उसको हमें ८–१० साल के बाद लेना पड़ा और तनख्वाह देनी पड़ी, क्योंकि कानूनी सबूत नहीं आया । तो यह दिक्कतें ऐडमिनिस्ट्रेशन के सामने हैं ।

बहुत सी बातें कही गयीं । हमारे अफसरों, बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ० ग्राम लक्ष्मी, ग्राम सेवक वगैरह के सिलसिले में बहुत सी बातें कहीं । समाज में ये सब बातें थोड़ी बहुत होती रहती हैं, सब जानते हैं । लेकिन कहीं ऐसी बातें हों तो मैं आशा करूंगी कि सिर्फ सरकारी अफसर ही नहीं, बल्कि पब्लिक नेता, चाहे जनसंघ के, चाहे पी० एस० पी० के, एस० पी० के, कांग्रेस के, वह लोग जिम्मेदाराना तरीके से उन चीजों को रोकने की कोशिश करेंगे, उनकी शिकायतें करेंगे, हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे । हम लोग पब्लिक स्टैन्डर्ड आफ मोरेलिटी को ऊंचा रखने के जिम्मेदार हैं । हम लोग जैसा रखेंगे वैसा वे रहेंगे और जब हमारी निगाह में आता है तो हम गलत चीजों को रुकवाते भी हैं । अलग-अलग ट्रांस्फर करते हैं सजा वे सकते हैं तो देते हैं ।

कुछ फैशन की बातें भी कही गयीं । मैं जहां जाती हूं देखती हूं कि ब्लाक अफसर, ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ० खादी का कुर्त्ता, पाजामा, धोती पहने होते हैं । जिस जमाने में गांधी जी से गांव में काम करना सीखा तो उन्होंने कहा था कि गांवों में ग्रामीण शकल बनाकर जाना चाहिये तभी गांव वालों पर असर पड़ सकता है । साइकालोजिकली यह करेक्ट चीज है, लेकिन ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ० भी किसी के लड़के, भाई, भतीजे हैं, हम में से ही हैं । शहर वालों को जरूर गांव में दिक्कत पड़ती है, लेकिन हम रिओरिएंटेशन करने की कोशिश करते हैं, गांव की सफाई उनसे कराते हैं, लैट्रीन साफ कराते हैं, लेकिन दिमाग बदलने में समय लगता है । हम चाहते हैं कि गांव वालों के साथ मिल-जुल कर काम किया जाय, इस मत में कोई अन्तर नहीं है । हम हिदायतें तो देते रहते हैं मगर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते । हम उनको समझा

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

सकते हैं, बता सकते हैं, अपने जीवन का उदाहरण पेश कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते।

मैंने ग्राम सेवकों के बारे में कह दिया कि वे अच्छी तरह से काम करते हैं, यह कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा । खासतौर पर मैंने कोई तारीफ भी नहीं की । मैंने केवल यह कहा था कि उनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है जिसे अंग्रेजी में इस प्रकार से कहा जा सकता है-- 'in this structure he holds a pisotal position.' यह हम जानते हैं कि उनको हमें नये ढंग, ढांचे में ढालना है तभी जाकर वे अच्छा काम भी कर सकते हैं । आज भी उनमें अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं । बहुत से ऐसे भी हैं जो बड़ी मिशनरी स्प्रिट से काम करते हैं और १५-१५ मील पैदल चल कर काम करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कमरे में बैठकर दस्तखत करते हैं । हम ऐसे लोगों को ठीक करने का भी प्रयत्न करते हैं और कोई टाइम ऐसा भी आ सकता है जब कि हम उनको निकाल सकते हैं ।

जीपों के बारे में शिकायत की गयी । इस साल भी शिकायत की गयी और पिछले सालों में भी होती रही हैं । जिन भाई ने शिकायत की वे मुझे लिख कर डिटेल में दे दें तो मुझे खोज करने में आसानी होगी । जीपों के लिये गवर्नमेन्ट की ओर से बराबर हिदायत दे दी गयी हैं कि पांच मील से कम में जीप का इस्तेमाल न किया जाय, घर के काम के लिये उसका इस्तेमाल न किया जाय। इस तरह के आर्डर्स हैं । फिर भी जब कभी कहीं से शिकायत आती है तो उसकी जांच करते हैं और ऐक्शन भी लेते हैं । उन्नाव और जौनपुर में हमने जीप वापस ले लीं । पिछली बार भी मैंने कहा था कि अगर जीप का मिसयूज होता है तो हम उसको वापस कर लेंगे । साइकिल पर जायें अथवा पैदल जाय, उसको एक सबक मिल जायगा । लेकिन यह ऐसी चीज है कि इसको पूरी तरह से रोकना बड़ा कठिन है । अगर आप लोग जेन्युइन शिकायतें देंगे तो उसको रोकने की कोशिश की जायगी ।

यह भी शिकायत की गयी कि ग्राम समाज में लेखपालों की पोजीशन ठीक नहीं है और यह कि उसको ग्राम सभापति के नीचे रहना चाहिये । नये कानून के अन्दर हम ग्राम सभाओं को खत्म कर देंगे । पंचायतों से काम चलेगा और लैंड मैनेजमेंट कमेटीज पंचायतों की देखरेख में काम करेंगी । इससे जो दिक्कत आपको हो रही है वह खत्म हो जायगी । उसका हम लोगों ने एक रास्ता निकाल लिया है ।

बहुत सी बातें कही गयीं लेकिन मैं समझती हूं कि जवाब देने के लिये अब और कोई खास बात रही नहीं है । ग्राम रक्षक दल ऐसी पोजीशन में है कि उसमें कुछ शिकायत करने की गुंजायश हो सकती है । अभी उसकी पालिसी को पूरी तरह से तय नहीं किया गया । उसकी पालिसी को तय करके इसको भी ठीक किया जायगा ।

कोआपरेशन की बात भी कही गयी । इसका मुझे भी बहुत दुःख है । मैं भी समझती हूं कि उसकी वजह से जितना काम होना चाहिये वह नहीं हो पाता है और फिर हमारा जो प्लानिंग का काम है वह सब कोआपरेशन पर निर्भर करता है । एक डिपार्टमेन्ट से दूसरे डिपार्टमेन्ट में कुछ रायबलरी रहती है । एक पुराना ढंग चला आता है और प्रत्येक डिपार्टमेन्ट एक वाटर टाइट कम्पार्टमेन्ट की तरह से काम करता है । इसके बारे में भी हमारा ध्यान रहता है, कोशिश करते हैं ।

मेरे एक पी० एस०पी० के पुराने साथी ने शिकायत की कि पहले मैं सरकार की आलोचना करती थी लेकिन अब तारीफ करती हूं । लेकिन आज भी मैं कभी तारीफ करती हूं तो कभी समालोचना भी करती हूं । यहां इस सदन में भी जब कोई ऐसी बात होती तो मुझे दुख होता है। और जब तक मुझ में यह कांशशनेस रहेगी तब तक मैं किसी डिपार्टमेन्ट को ठीक करने का भी प्रयत्न कर सकती हूं और तभी सुधार भी हो सकता है ।

मुझे खुशी भी है कि समालोचना करने के साथ-साथ सभी साथियों ने इस बात को कहा कि विकास का काम एक ऐसा काम है जिसको मिलकर करना चाहिये"। इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देती हूं । जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि इसके द्वारा हम अपने देश में एक प्रचंड क्रान्ति लाने की कोशिश कर रहे हैं, सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति । उसके द्वारा हम लोगों को बदलना चाहते हैं, लोगों के दृष्टिकोण को बदलना चाहते हैं, उनको नया कलेवर और नया शरीर देना चाहते हैं । कम्युनिस्ट भाई जानते हैं कि दूसरे देशों में पुराने ढांचे को खत्म करके नया ढांचा लाया गया है, मगर हम लोग वह तरीका यहां पर नहीं करना चाहते। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता नये ढांचे का परिवर्तन करना चाहते हैं । हम लोग नहीं चाहते कि यहां पर अशान्ति को लाया जाय और उस तरह से यहां पर परिवर्तन लाया जाय । यह विकास का काम बड़ा मुश्किल काम है । यह आसान काम नहीं है । उस मुश्किल काम में हम आप सब का सहयोग चाहते हैं । आपकी सही समालोचना भी चाहते हैं और वह सही समालोचना हमको शिरोधार्य है । यदि हमको आप सब का सहयोग मिलेगा और आप सब मिलकर हमको सहयोग देंगे तो हम इस काम में कामयाब हो सकते हैं । इन सब बातों को कहकर मैं आपके सामने अनुदान संख्या २६ की ग्रान्ट को पेश करती हूं कि इसको स्वीकार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २६ के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि मार्च सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २६—नियोजन और एकीकरण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ९,६१,२७,१०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान सख्या १७—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य-कलाप (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि मार्च सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १७—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य-कलाप के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २०,५९,००० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर ८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ,
२८ मई, १९६२ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३० पर)

स्थानों के नाम जहां नल लगाये गये

स्थान	नलों की संख्या	स्थान	नलों की संख्या
१—अडलीबाद ..	२	१९—झाउदी ..	३
२—धमनिया ..	१	२०—निधासोन ..	४
३—सरजूनगर ..	१	२१—राकेयी ..	१
४—अमेडी ..	२	२२—रुद्रपुर ..	५
५—कागरा ..	२	२३—झाह ..	१
६—राम्य बेहार ..	१	२४—माजगई ..	१
७—लामेयपूर ..	१	२५—कोठरीपुरवा ..	१
८—डालकी ..	१	२६—पालिया ..	१
९—लालपुरा ..	१	२७—प्रोझापुर ..	१
१०—थामूबेहर ..	१	२९—छाईपुरवा ..	१
११—प्रीतमपुरवा ..	१	२९—कबाहा ..	८
१२—लुधोर ..	१	३०—चिन्तापुरवा	१
१३—विरजापुरवा ..	१	३१—चन्द्रहास ..	२
१४—पुरयाना ..	१	३२—ईशानगर ..	१८
१५—कारिया ..	१	३३—मुबलिसपुर ..	४
१६—कृष्णानगर ..	१	३४—घोरहरा ..	१
१७—फारेउदा ..	१	३५—टनडिलपुरवा ..	१
१८—बेला परस्वा ..	२	३६—लालपुरा ..	१

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१३ पर)

बू०पी० जेल्स के हेड आफिस द्वारा वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में खरीदे तथा बेचे गये सामानों की सूची

खरीदे गये सामान का ब्योरा

वस्तु का नाम	संख्या	दर	फर्म का नाम	सूचना विभाग द्वारा प्रकाशन कराया गया या नहीं	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६
१—मूंज	२,००० मन	रु० १२·५० नये पैसे प्रति मन एफ० ओ० आर० जेल गेट	सर्वश्री अमीरुल्ला मुहम्मद सिद्दीक खां, ग्राम शम्सपुर डाक०, गजदुर द्वारा, एटा ।	हां	..
२—प्रीस नं० ४	१२८ किलोग्राम	१९३२.६९ नै० पैसे प्रति १००० कि० ग्राम	सर्वश्री स्टैन्डर्ड वेंकुअम आयल क० पोस्ट बाक्स सं० २५४, शाहनजफ मार्ग, लखनऊ ।	नहीं	प्रीस के लिये डाइरेक्टर जनरल आफ सप्लाइज दिल्ली को लिखा गया था । उन्होंने कारागार महानिरीक्षक से कहा कि आवश्यकता बहुत थोड़ी है अतः आप स्वयं क्रय कर लें । तदनुसार कारागार महानिरीक्षक ने कोटेशन मांगे और निर्णय किया।

वस्तु का नाम	संख्या	दर	फर्म का नाम	सूचना विभाग द्वारा प्रकाशन कराया गया या नहीं	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६
३—शींटीग क्लाथ टेन्टों के वास्ते	५,००० गज	१.२० प्रति मीटर इक्साइज डियूटी इत्यादि अलग से	दि एल्गिन मिल्स, लि० कानपुर।	नहीं	तत्कालीन आवश्यकता होने के कारण कोटेशन मगाने के बाद निर्णय किया गया।
४—ब्ल्यूड्रिल वार्डरों की टोपी के वास्ते	३०० गज	१.४५ प्रति मीटर इक्साइज डियूटी इत्यादि अलग से	दि एल्गिन मिल्स, लि० कानपुर।	नहीं	.. .. ..
५—सब्जी मिटटी	३२०० मन	५.५० न० पै० प्रति मन एफ० ओ० आर० जेल गेट	श्री कैलाश नाथ, काहू कोठी, कानपुर।	हां	.. .. ..

बेचे गये सामान का ब्योरा

वस्तु का नाम	संख्या जो बेची गई	दर	फर्म का नाम	सूचना विभाग द्वारा प्रकाशन कराया गया या नहीं	अन्य विवरण
१—खाली बारदाना	संख्या उपलब्ध नहीं हैं ।	(१) १२५.५० नये पैसे प्रति १०० नीली धारी के बिना छेद या पेवन्द के बोरी के लिये	सर्व श्री ओम प्रकाश गुप्ता, ६२/९१, हरबन्स मोहाल, कानपुर ।	हां	..
		(२) १०१.३१ नये पैसे प्रति १०० सफेद धारी के बिना छेद या पेवन्द के बोरे के लिये	..	..	..
		(३) ८५.५० नये पैसे प्रति १०० एक छेद या पेवन्द के नीली धारी वाले बोरों के लिये	..	..	..
		(४) ७२.७९ नये पैसे प्रति १०० एक छेद या पेवन्द के सफेद धारी वाले बोरों के लिये	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वस्तु का नाम	संख्या जो बेची गई	दर	फर्म का नाम	सूचना विभाग द्वारा प्रकाशन कराया गया या नहीं	अन्य विवरण
१—खाली बारदाना	संख्या उपलब्ध नहीं है	(५) ६२.४१ नये पैसे प्रति १०० दो छेद या पेवन्द के बोरों के लिये ..	..	..	..
		(६) ४८.५० नये पैसे प्रति १०० तीन छेद या पेवेन्द के बोरे के लिये ..	..	..	..
		(७) ३५.५० नये पैसे प्रति १०० चार या पांच छेद या पेवन्द के बोरों के लिये ..	..	..	..
		(८) १७.०६ नये पैसे प्रति १०० बेकार बोरों के लिये ..	..	..	..
		(९) १२.५० नये पैसे प्रति १०० कोयला या सज्जी मिटटी के लिये प्रयोग किये गये बोरों के लिये ..	..	..	..
		(१०) १९.४१ नये पैसे प्रति १०० सीमेन्ट की खाली बोरियों के लिये ..	..	..	..

अप्रकाशित विधान सभा

२—ऊनी खारजा	संख्या उपलब्ध नहीं है	(१) २०.५१ न० पै० प्रति मन एक्स जेल गेट कम्बलों के खारजा के लिये	सर्वश्री इन्डिया ब्लैंकेट फैक्टरी मुज – फरगंज मिर्जापुर	नहीं	ये वस्तुएं बहुत थोड़ी मात्रा में बेचने के लिये उपलब्ध होती है अतः इनके लिये कोटेशन मगाने के बाद निर्णय किया जाता है ।
	—	(२) १७.५० नये पैसे प्रति मन एक्स जेल गेट कम्बलों, कोटो के खारजा के लिये	,,	,,	
३—सूती खारजा	,,	७.४६ नये पैसे मन एक्स जेल गेट	सर्व श्री गोपाल पेपर मिल्स लिमिटेड, जगाधरी, पो० आ० जमुनानगर, जिला अम्बाला	नहीं	
४—नयी सूती कपड़े की कतरन	,,	६.३६ ,, ,,	सर्वश्री कैलाश नाथ, काहू कोठी, कानपुर	नही	
५—नयी ऊनी कपड़े की कतरन	,,	४३.३१ ,, ,,	सर्वश्री बैजनाथ अग्रवाल, १०९/११९ जवाहर नगर कानपुर	नहीं ..	..

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१६ पर)

ऐसी नगरपालिकाएं जहां जल कल का प्रबन्ध अभी तक नहीं हो पाया है

क्रमांक	नगरपालिका
१	मुजफ्फरनगर
२	खतौली
३	शामली
४	पिलखुआ
५	दिबई
६	अतरौली
७	सिकन्दराराव
८	बिजनौर
९	बदायूं
१०	अमरोहा
११	शाहजहांपुर
१२	कन्नौज
१३	औरय्या
१४	बिंदकी
१५	मऊरानीपुर
१६	जालौन
१७	कोंच
१८	महोबा
१९	भदोही
२०	मऊनाथ भंजन
२१	बिसवां
२२	बिलग्राम
२३	टांडा
२४	बलरामपुर
२५	मंगलौर
२६	गंगोह
२७	कैराना
२८	खुर्जा
२९	कास
३०	जलेसर
३१	मरेहरा
३२	फरीदपुर
३३	बांसपुर
३४	उझानी
३५	सम्भल
३६	हसनपुर
३७	बीसलपुर
३८	कायमगंज
३९	चित्रकूट धाम
४०	चरखारी
४१	गोराबरहज
४२	काशीपुर
४३	नीमसार मिसरिख
४४	खैराबाद
४५	सांडी
४६	मुहम्मदी
४७	नवाबगंज
४८	देवबन्द
४९	मवाना
५०	सिकन्दराबाद
५१	अनूपशहर
५२	जहांगीराबाद
५३	तोरों
५४	राजडुंडवारा
५५	आंवला
५६	सहसवान
५७	बिलसी
५८	तिलहर
५९	शाहाबाद
६०	पिहानी
६१	कर्नलगंज

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२० पर)

मुबारकपुर टाउन एरिया, जिला आजमगढ़ में कोयला करकट और गल्ले की दुकानों का लाइसेंस रखने वालों की सूची

(क) कोयला भट्टे के लाइसेन्सियों की सूची—

(१) मोहम्मद रफी,
(२) नूर मोहम्मद,
(३) नन्दलाल गुप्ता,
(४) गांधी विद्यालय।

(ख) कोल डिपो के लाइसेन्सी की सूची—

(१) श्री इमदाद हुसैन।

(ग) गल्ले की दुकानों की लाइसेन्सियों की सूची—

(१) पंचायत हायर सेकेन्डरी स्कूल, रेन्डा,
(२) ग्राम सभाज, पिपरी,
(३) शिशु बालिका पाठशाला, मुबारकपुर,
(४) डी० सी० एफ०, आजमगढ़,
(५) इस्लामिया स्कूल, बाग मीरपेंढ़, आजमगढ़,
(६) श्री देवनाथ तिवारी।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२५ पर)

वित्तीय वर्ष १९५७–५८ से १९६१–६२ तक राज्य सरकार द्वारा बाहर से मंगाये गये अनाजों की तालिका

मात्रा मेंट्रिक टनों में

अनाज	१९५७–५८	१९५८–५९	१९५९–६०	१९६०–६१	१९६१–६२
गेहूं ..	२,६२,५५६	५,१८,२३२	२,९०,३७४	१,४१,१७१	९२,५१८
चावल ..	..	२६,४०९	..	..	..
चना ..	..	३,६७२	..	..	..
ज्वार ..	..	३,०७६	..	..	..
मक्का ..	..	९,६३८	२,०१३	..	..
माइलो ..	..	४८,०४१	३,५११	..	..
योग ..	२,६२,५५६	६,०९,०६८	२,९५,८९८	१,४१,१७१	९२,५१८

नोट—इन आकड़ों में ३,०७६ मेट्रिक टन ज्वार तथा १३,२०६ मेट्रिक टन गेहूं जो सन् १९५८–५९ में महाराष्ट्र सरकार और पंजाब सरकार से क्रमशः लिया गया था सम्मिलित हैं। शेष अनाज केन्द्रीय सरकार से लिया गया।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२५ पर)

संलग्न सूची

आरोपों का विवरण—

(१) जी० टी० रोड पर बिना estimate बनवाये तथा tender आमंत्रित किये एक नाली का निर्माण ।

(२) वैधानिक एवं नियमित रूप से टेंडर आमंत्रित किये बिना नगरपालिका भवन में एक कमरे का निर्माण ।

(३) जल कल गृह, औषधालय तथा विद्यालय में अवैधानिक रूप से दीवार बनवाना ।

(४) एक दीवार निर्माण का भुगतान विद्यालय के क्रीड़ा-कोष से किया जाना ।

(५) स्त्री औषधालय में एक शौचालय तथा अन्य छोटे-छोटे कार्यों के टेंडर आमंत्रित किये बिना किया जाना ।

(६) स्त्री औषधालय के लिये बिना कोटेशन मांगे तथा बोर्ड की स्वीकृति से सामान खरीदना ।

(७) नगरपालिका के कार्य हेतु खरीदी गई ईंटों व सीमेन्ट का अपने लिये प्रयोग करना ।

(८) श्री विक्रमागिरि की अवैधानिक रूप से पुनर्नियुक्ति ।

(९) श्री पहलवान सिंह, नगरपालिका स्कूल के अध्यापक को बोर्ड की अनुमति प्राप्त किये बिना एन० सी० सी० के शिक्षण की अनुमति देना ।

(१०) स्त्री औषधालय में अपने एक रिश्तेदार की नर्स के पद पर नियुक्ति ।

(११) पक्षपात, जातीयता आदि के सम्बन्ध में सामान्य आरोप ।

(१२) दूकानों को अवैधानिक रूप से देना ।

(१३) श्री उमाकान्त उपाध्यक्ष को १०० रुपये किराये की छूट दिया जाना ।

(१४) चार डी० सी० पंखों को बेचना ।

(१५) बोर्ड द्वारा पारित किये गये प्रस्तावों को confirm न कराना ।

(१६) मेहतरों के क्वार्टरों को बनाये जाने के सम्बन्ध में दिये गये अनुदान को अनियमित रूप से व्यय करना ।

(१७) श्री राम निहोर की आडिट आपत्ति के विरुद्ध क्लर्क के पद पर नियुक्ति ।

(१८) श्री नरोत्तम, सदस्य, नगरपालिका के ऊपर दूकान के लगभग ४५० रुपय की वसूली न किया जाना ।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२७ पर)

सूची

(अ) सड़कों की लम्बाई—

नगरमहापालिका	लम्बाई (मील में)
आगरा	१२०.००
लखनऊ	१७४.०६
प्रयाग	१८८.७३
कानपुर	२७७.००
वाराणसी	१११.३५

(ब) अनुदानों की धनराशि—

नगरमहापालिका	१९५९–६०	१९६०–६१	१९६१–६२
	रु०	०	रु०
आगरा	३,१९,९००	२,७८,१००	२,४८,४५०
लखनऊ	४,२९,७००	६,६३,८००	४,७५,१००
प्रयाग	६,०५,४००	५,९८,०००	१,५६,४००
कानपुर	६,५२,४००	५,७८,५००	७,१०,५४८
वाराणसी	७,५२,७००	६,०७,७००	२,८६,९४५

सन् १९६२–६३ में सड़कों की रक्षा के लिये अभी तक कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०१ का उत्तर, पीछे पृष्ठ ३२९ पर)

नत्थी 'क'

(१) Prescribed Authority की स्वीकृति के बिना हजारों रुपयों का भुगतान।
(२) सरकारी आदेशों की अवहेलना।
(३) Public Works के सम्बन्ध में अपने predecessor द्वारा दिये गये आदेशों को रद्द करना।
(४) विज्ञापन पर झांसी के समाचार-पत्रों पर व्यय।
(५) टपरों का किराया बढ़ाना तथा उनकी नीलामी।
(६) एक लाख पये से ज्यादा के बिलों तथा अन्य ऋणों का भुगतान न करना।
(७) कुछ व्यक्तियों की दूकानों, जमीन इत्यादि में पक्षपात।
(८) समाचार-पत्र "बुन्देलखंड" को ९०५ रु० दिये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा पास किये गये प्रस्ताव का पालन न करना।
(९) "चौरसिया दैनिक प्रभात" में विज्ञापनों पर बोर्ड के धन का दुरुपयोग।
(१०) श्री असगर अली की हेड क्लर्क के पद पर नियुक्ति।
(११) श्री हर चरन लाल, क्लर्क की अनियमित सेवा समाप्ति।
(१२) म्युनिसिपल काउन्सिल को नियुक्ति।
(१३) १४,००० रु० के वाटर मीटरों की चोरी।
(१४) एक लाख पये के लगभग चुंगी चोरी।
(१५) श्री देवकीनन्दन शांडिल्य की Assistant Attendance Officer के पद पर नियुक्ति।
(१६) ८० आदमियों की अनियमित नियुक्ति।
(१७) २५,००० ० का उन समाचार-पत्रों को भुगतान जो standard के नहीं थे।
(१८) कमिश्नर तथा जिलाधीश के पत्रों की non-compliance।
(१९) श्री रामकृष्ण व्यास की अनियमित पदोन्नति तथा अन्य नियुक्तियां।
(२०) अध्यक्ष के द्वारा सामान की smuggling।
(२१) ५०,००० रु० से अधिक का काम अमानों द्वारा कराया जाना।
(२२) बोर्ड के वकील के अतिरिक्त अन्य वकीलों की नियुक्ति।
(२३) १९५९–६० की Annual Administration Report को आयुक्त को न भेजना।
(२४) १९६०–६१ के Revised budget को आयुक्त को न भेजना।
(२५) १९५९–६० तथा १९६०–६१ के बजट को तैयार न करना।
(२६) इलेक्ट्रिक मोटर तथा फिल्टर पम्प के कार्य न करने के कारण सप्लाई के collapse की सम्भावना।
(२७) सर्वश्री काशीराम पटेरिया तथा मुरारी लाल खरे का Suspension।
(२८) बिना टेंडर मांगे हजारों रुपयों की चीजों की खरीदारी।
(२९) वाटर मीटर बोर्ड व पिपरी ग्रूपिंग के बाद के गबन का मामला।
(३०) Audit objection की non-compliance।
(३१) बोर्ड की उप समितियों का निर्माण न किया जाना।
(३२) बोर्ड की स्वीकृति के बिना कर्मचारियों की नियुक्ति तथा पदोन्नति में पक्षपात।
(३३) चुंगी चोरी।

(३४) बोर्ड की स्वीकृति के बिना Assessment Officer की नियुक्ति तथा House Tax का under assessment ।

(३५) Road Grant का दुरूपयोग ।

(३६) बोर्ड के Water Works Department में mismanagement ।

(३७) दो क्राम्पटन छत के पंखे तथा ६ पयूज सरकिट की खरीदारी ।

(३८) Filter Station को बालू की supply ।

(३९) वाटर वर्क्स के बिजली के मोटर की मरम्मत ।

(४०) Public Works Department में खाली सीमेन्ट के बोरों तथा तार के ड्रमों की हानि ।

(४१) ओवरसियर द्वारा Measurement Book का खो जाना ।

(४२) ओवरसियर द्वारा high estimates का बनाना तथा ऊंचे दरों पर सामान की खरीदारी ।

(४३) श्री काशीराम पाटेरिया का निलम्बन, पुर्नानियुक्ति तथा सहायक चुंगी अधीक्षक के पद पर नियुक्ति ।

(४४) Assessment की अपीलों को defend न करना तथा cost money का गबन ।

(४५) एक व्यक्ति को उसके वेतन का भुगतान जब कि उसने बोर्ड में काम नहीं किया ।

(४६) हादीगंज में दूकानों का निर्माण ।

(४७) श्री जयराम दास की हेड क्लर्क तथा उसके पुत्र की क्लर्क के पद पर नियुक्ति ।

(४८) ४ व्यक्तियों की अनुचित नियुक्ति ।

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३० पर)

जिलों की सूची

१---मैनपुरी
२---सहारनपुर
३---मुजफ्फरनगर
४---देहरादून
५---बांदा
६---इटावा
७---फतेहपुर
८---कानपुर
९---गोंडा
१०---बहराइच
११---बस्ती
१२---वाराणसी
१३---गोरखपुर
१४---हरदोई
१५---लखीमपुर खीरी
१६---पीलीभीत
१७---शाहजहांपुर
१८---बदायूं
१९---नैनीताल
२०---रामपुर
२१---रायबरेली
२२---सीतापुर
२३---बाराबंकी
२४---मुरादाबाद
२५---आगरा
२६---बरेली
२७---उन्नाव
२८---मिर्जापुर
२९---एटा
३०---फर्रुखाबाद
३१---इलाहाबाद
३२---लखनऊ ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३१ पर)

लाइसेंसदारों की सूची जिन पर लेवी लगाई गई है तथा लेवी की मात्रा

		मन
१—मेसर्स सुन्दर लाल रमाकान्त, लालगंज	.. ..	३५ १/२
२—,, रामसिंह, लालगंज	.. ..	६५
३—,, कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी , लालगंज	.. ..	२९१ १/२
४—,, मनोहरलाल त्रिपाठी, ,,	.. ..	४२ १/२
५—,, इन्द्र बहादुर सिंह .. ,,	.. ..	५२
६—,, रमाशंकर मिश्रा .. ,,	.. ..	३७
७—,, उमाशंकर तिवारी ,,	.. ..	३२
८—,, कृष्णदत्त त्रिपाठी .. ,,	.. ..	१२ १/२
९—,, जगतनारायण सिंह बेहटा	.. ..	८
	योग ..	५७६

नत्थी "ट"

(देखिये पीछे पृष्ठ ३६१ पर)

अनुदान संख्या २६--नियोजन और एकीकरण

(लेखा शीर्षक : ३७---सामुदायिक विकास प्रायोजनायें---राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थनीय विकास संबंधी निर्माण-कार्य तथा ३९---प्रकीण---सामाजिक तथा विकास संबंधी संगठन---नियोजन विभाग)

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री यादवेन्द्रदत्त ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य---विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।
२	श्री उग्रसेन ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य---तृतीय योजना के खर्चीले स्वरूप की आलोचना करना तथा इसे जनहितकारी बनाने के सुझाव देना ।
३	श्री केसरी प्रसाद पांडेय..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य---(२) अव्यवहारिक सरकारी नीति की चर्चा करना । (२) विभागीय कार्याकलापों की आलोचनात्मक चर्चा करना तथा सुझाव देना ।
४	श्री मैनेजर सिंह ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य---विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।
५	श्री झारखंडे राय, श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री ऊदल	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य---समाजवादी समाज के ढांचे के अन्दर नियोजन कार्यों को विकसित करना, जनता का सहयोग प्राप्त करना, नियोजन का लाभ समाज के पीड़ित व शोषित अंग को मिले व अन्य सुझाव व शिकायतें ।
६	श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री भानु प्रताप सिंह, श्री काशीनाथ बहादुर, श्री प्रेम सिंह, श्री मुन्नू सिंह, श्री विजय सिंह, श्री बलवीर सिंह, श्री नबरंग सिंह तथा श्री चतन्य राज सिंह ।	सम्पूर्ण अनुदन के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने के उद्देश्य---सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

७ श्री कृष्णानन्द राय

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय ।

कमी करने का उद्देश्य--गाजीपुर में गंगा पर पुल निर्माण करने की योजना के तृतीय योजना में सम्मिलित न होने से क्षति एवं असंतोष ।

८ श्री चन्द्रबली,
श्री किसुना तथा
श्री लक्खी सिंह ।

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय ।

कमी करने का उद्देश्य--नियोजन का आधार बदलने के लिये नीति की आलोचना करना ।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी०--८८ एल० ए०--१९६२--८४५ ।